

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू और कश्मीर सरकार
2018 का प्रतिवेदन सं. 2

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**

जम्मू और कश्मीर सरकार

विषय सूची			
क्र. सं.	सामग्री	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सार		vii
अध्याय-I राज्य सरकार का वित्त			
3.	राज्य की प्रोफाइल	1.1	1
4.	वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	1.2	4
5.	राज्य के संसाधन	1.3	11
6.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.4	12
7.	पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.5	20
8.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.6	21
9.	संसाधनों का प्रयोग	1.7	22
10.	व्यय की गुणवत्ता	1.8	28
11.	सरकारी पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.9	33
12.	परिसंपत्तियां और देयताएं	1.10	37
13.	ऋण प्रबंधन	1.11	41
14.	राजकोषीय असंतुलन	1.12	46
15.	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सरकारी दायित्व	1.13	50
16.	निष्कर्ष	1.14	53
17.	सिफारिशें	1.15	54
अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण			
18.	परिचय	2.1	55
19.	विनियोग लेखों का सार	2.2	55

20.	वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन	2.3	56
21.	विभागीय आकड़ों का मिलान न होना	2.4	64
22.	बजटीय प्रक्रियाओं में त्रुटियां	2.5	65
23.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.6	69
24.	चिन्हित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.7	70
25.	स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा	2.8	71
26.	निष्कर्ष	2.9	72
27.	सिफारिशें	2.10	73
अध्याय-III वित्तीय रिपोर्टिंग			
28.	संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों की तुलना में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन	3.1	75
29.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.2	76
30.	स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की प्रस्तुति में गैर-प्रस्तुति/विलम्ब	3.3	77
31.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	79
32.	सरकारी लेखों में अस्पष्टता	3.5	79
33.	संविदाओं की बकाया देयताएं	3.6	80
34.	निष्कर्ष	3.7	80
35.	सिफारिशें	3.8	81

परिशिष्ट

36.	जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल	परिशिष्ट 1.1	83
37.	भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र	परिशिष्ट	84
	भाग ख: वित्त खातों का प्रारूप	1.2	84
38.	वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति	परिशिष्ट 1.3	86
39.	राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा	परिशिष्ट 1.4	88
40.	वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	परिशिष्ट 1.5	91
	31 मार्च 2017 तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		94
41.	वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण। राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक करोड़ से अधिक की लागत वाली केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधि) (अलेखापरीक्षित आकड़ें)	परिशिष्ट 1.6	96
42.	14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत जारी सहायता-अनुदान की स्थिति	परिशिष्ट 1.7	111
43.	जम्मू तथा कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006	परिशिष्ट 1.8	112
44.	एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन	परिशिष्ट 1.9	114
45.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहां बचत कुल प्रावधान के एक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक थी	परिशिष्ट 2.1	118
46.	एक करोड़ और उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं की बचत का विवरण	परिशिष्ट 2.2	120
47.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहां कुल प्रावधान का एक करोड़ या 20 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त व्यय था।	परिशिष्ट 2.3	122
48.	2016-17 के दौरान 49 प्रमुख लेखा शीर्षों में बजट प्रावधानों के बिना किए गए व्यय को दर्शाता विवरण	परिशिष्ट 2.4	123

49.	नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2015-16 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण	परिशिष्ट 2.5	126
50.	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजन के मामले	परिशिष्ट 2.6	128
51.	विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां अनुपूरक उपबंध एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त था	परिशिष्ट 2.7	129
52.	ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 तथा 28 में बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय	परिशिष्ट 2.8	130
53.	ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 23 तथा 28 में अभ्यर्पण नहीं किया गया	परिशिष्ट 2.9	131
54.	ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 तथा 28 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रहा	परिशिष्ट 2.10	133
55.	एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त रहे प्रावधान दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 2.11	134
56.	मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के मुख्य शीर्ष-वार बकाया विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.1	136
57.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का बहुप्रतीक्षित दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.2	140
58.	विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 3.3	142
59.	शब्दावली	परिशिष्ट 4	145

प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विधानमंडल (तत्कालीन) में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार अप्रैल 2018 में राज्यपाल को भेजा गया था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहां कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य से सम्बंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। इसलिए यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन होने पर यह प्रतिवेदन परवर्ती संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के क्रमशः वित्त और विनियोजन लेखाओं की जांच से उदभूत मामलों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय III में वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के साथ विहंगावलोकन और सरकार के अनुपालन की प्रास्थिति दी गई है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा, सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के परिणामों और राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक प्रस्तुत किए गए हैं।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डेटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानों और लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित की गई है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रुझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करती है।

रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार और जनगणना द्वारा किए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डेटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय-1 वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2017 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय संग्रहों की प्रवृत्तियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखा पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई हैं।

अध्याय-3 विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों और लेखों के अप्रस्तुतिकरण से संबंधित सरकार की एक अनुपालना सूची है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य के पास वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष था यद्यपि अनुमानित प्राक्कलन के तुलना में राज्य के अपने गैर-कर राजस्व और सहायता-अनुदान में कमी थी। वर्ष 2016-17 के लिए आदि नकदी शेष ₹98 करोड़ तक घटकर ₹527 करोड़ से ₹429 करोड़ हो गई।

(पैरा 1.2)

प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में रुझान: वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार से अनुदान तथा संघ करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 69.51 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में 71.67 प्रतिशत तक बढ़ गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय लेखों को वित्त पोषण के माध्यम से गैर-ऋण संसाधनों का अन्तरण राज्य सरकार के कुल व्यय के 60 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 62 प्रतिशत था जो केन्द्र के संसाधनों के अंतरण पर राज्य की निर्भरता की गिरावट को 2015-16 तक दर्शाती है, परन्तु वर्ष 2016-17 के दौरान आंशिक रूप से बढ़ी है।

(पैरा 1.2.1)

राज्य का कुल व्यय, ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान बढ़ कर क्रमशः ₹43,845 करोड़ से ₹48,174 करोड़, ₹7,425 करोड़ से ₹8,362 करोड़ तथा ₹36,420 करोड़ से ₹39,812 करोड़ हो गया।

(पैरा 1.2.2)

राज्य के अपने कर राजस्व में विशेष रूप से वस्तु बिक्री और सेवाओं पर कर में स्थिर वृद्धि देखी गयी जो वर्ष 2012-13 में ₹4,174 करोड़ से 2016-17 में ₹6,012 करोड़ तक बढ़ गया।

(पैरा 1.4.1)

विद्युत विभाग के शुल्क को संचयन करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था। लक्ष्यों के प्रति राजस्व के संचयन में ₹1,971 करोड़ की कमी थी तथा विद्युत खरीदारी पर व्यय के प्रति ₹3,362 करोड़ की कमी थी।

(पैरा 1.7.2)

कुल व्यय के विकासात्मक पूंजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 15.10 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 15.60 प्रतिशत रहा, जबकि उन्हीं वर्षों के दौरान कुल व्यय के विकासात्मक राजस्व व्यय का हिस्सा 47.60 प्रतिशत से बढ़कर 51.28 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 1.8.2)

एक करोड़ तथा उससे भी ऊपर के प्रत्येक 119 परियोजनाएं/निर्माण कार्य थे, जिसमें ₹550.39 करोड़ की कुल संस्वीकृत लागत शामिल थी, जिसे ₹601.02 करोड़ तक संशोधित किया गया, जो परियोजनाएं अपूर्ण थी तथा 31 मार्च 2017 तक इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹392.95 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

(पैरा 1.9.1)

राजकोषीय समेकन और ऋण/घाटे का विनियमन: 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत की सीमा के प्रति वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटा उदय के साथ 5.34 प्रतिशत और उदय के बिना 4.13 प्रतिशत था।

(पैरा 1.13.1)

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण: वर्ष 2016-17 के दौरान 12 मामलों में ₹18,751.25 करोड़ के अनुमोदित प्रावधानों के प्रति ₹21,647.53 करोड़ का व्यय हुआ, फलस्वरूप प्रावधान ₹2,896.28 करोड़ तक बढ़ गया। इसके लिए राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(पैरा 2.3.1)

बजटिंग, बचत, अधिक व्यय तथा प्रावधान के बिना व्यय में निरन्तर त्रुटियां थीं।

(पैरा 2.3.2 एवं 2.3.8)

राज्य विधानमंडल के नियमितीकरण के लिए आवश्यकता वाला अधिव्यय 31 मार्च 2017 को ₹1,07,664.29 करोड़ था।

(पैरा 2.3.3)

वर्ष 2016-17 के दौरान, सहायता-अनुदान की ₹1,490.03 करोड़ की राशि ₹130.60 करोड़ की आर्थिक सहायता, ₹0.23 करोड़ वृत्तिका और छात्रवृत्ति ₹7.83 करोड़ के वेतन और ₹555.25 करोड़ अधिप्राप्ति की परिचालन लागत के अंतर्गत व्यय के पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत संवितरित किए गए हैं जो राजस्व शीर्षों में उनकी लेखांकन की आवश्यकताओं के प्रति थे।

(पैरा 2.5.3)

वित्तीय रिपोर्टिंग: विभिन्न अनुदेयी संस्थानों से अनुदानों और ऋणों के प्रति उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असामान्य देरी पाई गई।

(पैरा 3.2 एवं 3.3)

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार का वित्त

इस अध्याय में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय और इसके संरचनात्मक प्रोफाइल के पिछले रुझानों के प्रति बेंचमार्किंग करके वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का विवरण दिया गया है। **परिशिष्ट 1.1** जम्मू व कश्मीर की प्रोफाइल तथा प्रमुख अवसंरचना से संबंधित परिवर्धन सूचक समाविष्ट है और **परिशिष्ट 1.2** राज्य सरकार के वित्त लेखाओं के खाके तथा संरचना का उल्लेख करता है जिस पर यह रिपोर्ट आधारित है। **परिशिष्ट 1.3** राज्य की राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा है।

1.1 राज्य की प्रोफाइल

जम्मू और कश्मीर राज्य सामरिक रूप से पाकिस्तान और चीन को छूने वाली अपनी सीमाओं के साथ स्थित है तथा 2.22 लाख वर्ग किमी. के भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 1.21 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह 32°17'एन और 36°58'एन अक्षांश और 73°26'ई तथा 80°30'ई देशान्तर के बीच भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। जम्मू व कश्मीर भारत का 6^{वां} सबसे बड़ा राज्य है, जिसका देश के भौगोलिक क्षेत्र में 6.76 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य के तीन क्षेत्रों, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को 22 जिलों में संगठित किया गया है।

2011 की जनगणना (अनंतिम डाटा) के अनुसार, जनगणना किए गए क्षेत्र में राज्य की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी। वर्ष 2001-2011 में दशकीय वृद्धि दर वर्ष 1991-2001 की अपेक्षा 29.43 प्रतिशत से घटकर 23.71 प्रतिशत हो गई। 2001 में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किमी. से बढ़कर 2011 में 124 प्रति वर्ग किमी. हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में 2001 में 892 से घटकर 889 रह गया।

राज्य में निर्धनता के पैमाने के रुझान घट रहे हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कुल जनसंख्या में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात 2000 में 40.86 प्रतिशत अनुमानित था। राज्य सरकार द्वारा 2007-08 में किए गए बीपीएल हेड काउण्ट सर्वे के अनुसार यह कुल जनसंख्या का 21.63 प्रतिशत तथा योजना आयोग द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार 2011-12 में 15.1 प्रतिशत तक घट गया।

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 2000 में कुल आबादी में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात 40.86 प्रतिशत था।

स्वतन्त्रता के समय, राज्य की साक्षरता दर केवल पांच प्रतिशत थी वर्ष 2001-2011 के दौरान साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर 64.84 प्रतिशत से 74.04 प्रतिशत के प्रति राज्य में 55.52 प्रतिशत से बढ़कर 67.16 प्रतिशत हो गई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)¹ राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। स्थित कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी 2015-16 के दौरान ₹91,850 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹98,826² करोड़ था (प्रस्तावित) तथा चालू कीमतों पर 2016-17 में अनुमानित जीएसडीपी ₹1,32,207 करोड़ है (प्रस्तावित)।

राजकोषीय मापदंडों के विपरीत बाजार ऋणात्मक सीमा को तय करने के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के लिए जीएसडीपी अनुमानों को ₹1,14,637 करोड़ के रूप में स्वीकार किया था तथा एफसी-XIV की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त और स्वीकृत जीएसडीपी अनुमान ₹1,15,654 करोड़ रहा।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारतीय जीडीपी *(₹करोड़ में) चालू कीमत पर	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086	1,51,92,588
जीडीपी# की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.90
राज्य जीएसडीपी (₹करोड़ में) स्थिर कीमतों पर	76,916	87,570	87,921	91,850	98,826
राज्य जीएसडीपी ³ (₹करोड़ में)चालू कीमतों पर	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
जीएसडीपी की वृद्धि दर	12.80*/ 17.35**	13.85*/ 5.94**	0.40*/ 17.35**	4.46*/ 23.57**	7.59*/ 0.89**

स्रोत: (एफआरबीएम वित्त मंत्रालय जम्मू व कश्मीर और जीओआई वित्त मंत्रालय वयय योजना वित्त विभाग-। डीविजन)

#स्रोत:- भारत सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेब साईट

*स्थिर कीमत की वृद्धि दर

**चालू कीमत पर वृद्धि दर

जम्मू और कश्मीर की जीएसडीपी 2016-17 में 0.89 प्रतिशत की दर से बढ़ गई, जो 14^{वें} वेतन आयोग में किए गए अनुमान से कम था (11.78 प्रतिशत)।

देश की जीडीपी तथा राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रकृतियां परिशिष्ट 1.3 में निर्दिष्ट है।

- 1 आधार वर्ष 2011-12 के साथ नई श्रृंखला पर इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए जीएसडीपी/जीडीपी के आंकड़े
- 2 स्रोत - एफआरबीएम जनवरी-2017
- 3 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय मापदंडों के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की गई मौजूदा कीमतों के आधार पर जीएसडीपी के आंकड़े स्वीकार किए गए जो 2012-13 से 2016-17 तक लागू थे।

1.1.1 राज्य के बजटीय और लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

राज्य सरकार राज्य के समेकित कोष से खर्च करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) और अनुदानों के लिए मांग द्वारा अनुमोदन प्राप्त करती है। इन मांगों पर विधान मंडल में चर्चा की जाती है, विभाग के प्रभावी मंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है और फिर पारित कर दिया जाता है। हालांकि, अंतरिम व्यय वोट ऑफ अकाउंट के प्रति किया जाता है। राज्य विधान मण्डल ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम 2006, (जो 17 दिसम्बर 2008, 20 अप्रैल 2010, 9 अप्रैल एवं 25 अगस्त 2011 को संशोधित किया गया था) को अधिनियमित किया है और सरकार ने एफआरबीएम नियम 2008 पारित किया जिसके अंतर्गत परस्पर वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण: (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, (ख) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटा, (ग) जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में कुल बकाया देयताएं और (घ) प्रतिबद्ध देयताएं। राज्य प्राप्तियों और व्यय के वर्गीकरण की एक प्रणाली का अनुसरण करता है, जो सामान्य केन्द्र तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा मुख्य/लघु लेखा शीर्षों के शीर्षस्तर पर अपनाई गई कार्य-सहयोजना प्रणाली का अनुसरण करता है जो आमतौर पर कार्य-सहयोजना आधारित है।

वि.व. 2015-16 से राज्य सरकार ने बजटीय सुधारों के तहत राज्य की बजट संरचना में बदलाव किया है। बजट के केवल दो भाग होते हैं: प्राप्तियाँ बजट और व्यय बजट तथा व्यय बजट में केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय का आंकलन है। दोनों में से एक की दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए और दूसरे से आम लोगों के बीच संपत्ति निर्माण हेतु खर्च किया गया। योजना और गैर योजना के पुराने वर्गीकरण को त्याग दिया गया है। अब व्यय की दो श्रेणियां हैं, चालू और पूंजीगत। बजट आबंटन प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत है। विभागों द्वारा राज्य विधान मंडल को परिणाम/निष्पादन बजटींग/रिपोर्टिंग की कोई प्रणाली नहीं है, क्योंकि विभाग अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं जिसके लिए सूचना का प्रसार केवल कुछ सरकारी वैबसाइट्स तक ही सीमित है। सरकार एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक विवरणियों को बजट के साथ प्रस्तुत करती है। राज्य सरकार के आहरण और संवितरण अधिकारी की खाता-बही से आरंभ होने वाले प्राप्त/संवितरण संव्यवहारों के संकलन और समेकन के आधार पर महालेखाकार (ले.व.ह) द्वारा विनियोजन लेखें तथा वित्त लेखें तैयार किए जाते हैं जो आरबीआई की खाता-बही में आरंभ होने वाले संव्यवहारों तथा

आरबीआई द्वारा नियंत्रित खजाना और/या बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है। 1 अप्रैल, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के स्थान पर सरकार का एकमात्र बैंकर है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में काम कर रहा है।

राज्य, 11 विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) में से एक, केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में राज्य योजना में शामिल योजनाओं/परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्त पोषण का हकदार है। राज्य की योजना स्कीमों/परियोजनाओं का उच्चतर (90 प्रतिशत) वित्त पोषण केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान और पर्याप्त केन्द्रीय अनुदानों तक पहुँच, राजस्व जुटाने में राज्य के स्वयं के प्रयासों के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित किया है कि केन्द्रीय अंतरण को छोड़कर घाटा होने के बावजूद राज्य का 2013-14 तक एक राजस्व अधिशेष बना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के अपने गैर-कर राजस्व में वृद्धि के बावजूद, राज्य 2014-15 और 2015-16 के दौरान राजस्व अधिशेष को बनाए नहीं रख सका। हालांकि चालू वर्ष यानी 2016-17 के दौरान राज्य में ₹2,166 करोड़ का अधिशेष है।

हालांकि 2016-17 के लिए राज्य के राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में अधिक था, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत पूंजीगत व्यय और कुल व्यय बाद के प्रतिशत से नीचे रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर राजस्व व्यय भी विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में नीचे रहा (परिशिष्ट-1.1)।

1.2 वर्ष 2016-17 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

वित्त लेखों 2016-17 के परिशिष्ट 1 और विवरणी 1 और 2 वर्ष के दौरान व्यापक श्रेणियों के तहत नकदी शेष, प्राप्ति और संवितरण के आदि एवं अंत शेष की सारांश स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है। परिशिष्ट 1.4 में 2012-13 से 2016-17 तक प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में रुझान दिखाने वाले डेटा शामिल है, परिशिष्ट 1.5 अधिक विखंडित रूप प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹करोड़ में)

प्राप्तियाँ		संवितरण			
2015-16	2016-17	2015-16	2016-17		
खण्ड-क: राजस्व		खण्ड-क: राजस्व			
7,326	राज्य के स्वयं का कर राजस्व	7,819	13,675	सामान्य सेवाएँ	15,110
3,913	राज्य के स्वयं का गैर-कर राजस्व	4,072	11,331	सामाजिक सेवाएं	11,564
7,814	केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा	9,489	11,414	आर्थिक सेवाएं	13,138
16,728	भारत सरकार से अनुदान	20,598	-	-	-
35,781	राजस्व प्राप्ति	41,978	36,420	राजस्व व्यय	39,812
खंड-ख: पूँजीगत		खंड-ख: पूँजीगत			
-	-	-	7,331	पूँजीगत परिव्यय	8,286
4	ऋण और अग्रिमों की वसूली	19	94	संवितरित ऋण और अग्रिम	76
14,645	सार्वजनिक ऋण प्राप्ति	20,749	10,815	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	17,023
--	आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-
27,450	लोक लेखा प्राप्तियाँ@@	21,811	24,094	लोक लेखा संवितरण@@	19,458
1,401	आदि नकद शेष	527	527	अंत नकद शेष	429
79,281	कुल	85,084	79,281		85,084

@@ ये नकदी शेष के निवेश के लेन-देनों और विभागीय नकद चेस्ट से रहित हैं (₹14,172 करोड़ की प्राप्तियाँ और ₹14,129 करोड़ का संवितरण)।

इन लेन-देनों का शुद्ध प्रभाव आरंभिक और अंत नकदी शेषों में शामिल है जिसे अगली पंक्ति में दिया गया है।

पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान मुख्य रूप से केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी (21 प्रतिशत) और सहायता अनुदान (23 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹6,197 करोड़ (17.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस तरह सभी क्षेत्रों में वृद्धि के साथ पिछले वर्षों के साथ 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय में ₹3,392 करोड़ (9.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य के समुच्चय नकदी शेष (जिसमें आरबीआई के साथ बिना निवेशित नकदी, निवेशित नकदी तथा विभागीय नकदी कोष में नकदी शामिल है) वर्ष 2016-17 के दौरान ₹527 करोड़ के शुरुआती शेष से ₹98 करोड़ घटकर ₹429 करोड़ हो गया।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा - प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में रुझान

परिशिष्ट 1.4 में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय (पूर्ण मौद्रिक मूल्य, अनुपात और विकास दर) पर डेटा प्रस्तुत किया गया है। इस रुझान विश्लेषण द्वारा उभर कर आए हुए उल्लेखनीय बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- केन्द्रीय सरकार के करों व शुल्कों और केन्द्र सरकार से अनुदानों में राज्य की हिस्सेदारी 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 69.51 प्रतिशत थी, जो 2016-17 के दौरान बढ़कर 71.67 प्रतिशत हो गई जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे में अनुवर्ती कमी के साथ राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के माध्यम से हस्तांतरित किए गए गैर-ऋण संसाधन 2012-13 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 62 प्रतिशत हो गया। राज्य अपने राजस्व अधिशेष को बनाए नहीं रख सका, जो 2012-13 में ₹1,100 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹70 करोड़ हो गया और राज्य सरकार के अपने गैर-कर राजस्व अनुदान में सहायक अनुदान साथ ही साथ अनुमानित प्राप्तियों में कमी होने के कारण 2014-15 में (-) ₹390 करोड़ का घाटा तथा 2015-16 में (-) ₹640 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि, 2016-17 में ₹2,166 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जोकि मुख्यतः ₹1,200 करोड़ की विद्युत सहायिकी को राजस्व शीर्ष में वापिस जमा तथा ₹2,184 करोड़ के राजस्व व्यय की बजाय पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण के कारण रहा।
- राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) में पिछले वर्ष की तुलना में 6.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2.2 बजट अनुमान और वास्तविक

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और कुछ उच्च स्तर के राजकोषीय समुच्चय के वास्तविक वित्तीय परिणामों में रुझान तालिका 1.2 में दिए गए हैं।

तालिका 1.2: बजट और वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय सकल	2014-15			2015-16			2016-17		
		बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक	बजट	संशोधित	वास्तविक
1	राजस्व प्राप्ति (क)+(ख)+(ग)+ (घ)	39,221	34,541	28,939	37,815	40,904	35,781	50,460	50,174	41,978
क	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	7,496	6,438	6,334	8,006	7,988	7,326	9,220	8,442	7,819
ख	राज्य का अपना गैर कर राजस्व	3,561	3,154	1,978	3,509	3,455	3,913	4,019	5,224	4,072
ग	संघकरो/शुल्कों में राज्य का हिस्सा	5,191	4,477	4,477	8,088	8,088	7,814	9,500	9,500	9,489
घ	संघ सरकार से सहायता अनुदान	22,973	20,472	16,150	18,212	21,373	16,728	27,722	27,008	20,598
2	राजस्व व्यय	32,948	31,503	29,329	35,228	37,197	36,420	44,974	42,568	39,812
3	ऋण और अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय	9,436	10,363	5,221	9,686	12,685	7,425	17,781	16,995	8,362
4	कुल व्यय	42,384	41,866	34,550	53,590	58,787	43,845	72,669	74,929	48,174
5	राजस्व अधिशेष	6,273	3,038	(-)390	2,587	3,707	(-) 640	6,486	7,615	2,166*
6	राजकोषीय घाटा	3,020	6,561	5,608	7,099	8,978	8,060	6,430	7,384	6,177
7	प्राथमिक घाटा (+)/अधिशेष(-) (राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान)	(-)450	3,141	2,075	3,304	5,183	4,341	1,705	2,615	1,610


*उदय बॉन्ड्स से मिले खर्च को छोड़कर ₹1397.55 करोड़ तक का राजस्व अधिशेष ₹3563.84 करोड़ है।

चालू वर्ष के दौरान ₹7,615 करोड़ के राजस्व अधिशेष के बजट अनुमान के प्रति ₹2,166 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, हालांकि राजकोषीय घाटे और प्रारम्भिक घाटे में क्रमशः ₹1,207 करोड़ और ₹1,005 करोड़ के संशोधित आंकलनों में गिरावट देखी गई। ऋण और अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय ₹16,995 करोड़ के संशोधित आंकलनों का केवल 49 प्रतिशत था, हालांकि 2015-16 के मुकाबले 12.61 प्रतिशत बढ़ा।

सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के परिशोधन को वित्तपोषित करने का तात्पर्य है कि देनदारियों को चालू राजस्व से नहीं चुकाया जाता है, बल्कि केवल अनिश्चित काल तक लुढ़काया जाता है। सभी उधारी और अन्य देनदारियों का अंतिम रूप से पुनर्वित्तियन नहीं किया जा सकता है और सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों से भुगतान करना पड़ सकता है।

इसलिए, उधार स्थगित कर/परिसंपत्ति बिक्री की प्रकृति में है। नई देनदारियों के साथ पुरानी देनदारियों को लगातार पुनर्वित्त करने के लिए एक इकाई की क्षमता की निरंतर क्रेडिट योग्यता पर निर्भर करती है। **चार्ट 1.1** रेखांकन 2016-17 के वास्तविक बजट को वास्तविक रूप से अधिकृत करता है।

चार्ट 1.1: बजट बनाम वास्तविक



राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर) ₹7,819 करोड़ (वास्तविक) का संग्रहण संशोधित अनुमानित लक्ष्य से ₹623 करोड़ कम हो गया। 2014-15 के दौरान केन्द्र सरकार से अनुदान में सहायता ₹16,150 करोड़ और 2015-16 में ₹16,728 थी, लेकिन उसे ₹27,008 करोड़ के लिए (संशोधित) बजट दिया गया था, जिसके विरुद्ध केवल ₹20,598 करोड़ की ही वसूली हुई थी, जो बताता है कि बजट का अनुमान अनुचित रूप से बहुत अधिक था। वास्तविक राजकोषीय घाटा (₹6,177 करोड़) जी.एस.डी.पी. का 5.34 प्रतिशत था, जिसने एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के लक्ष्य को तोड़ दिया। इसके अलावा, ₹2,615 करोड़ के संशोधित बजटीय लक्ष्य के मुकाबले प्राथमिक घाटा ₹1,610 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,005 करोड़ की कमी हुई।

1.2.3 राजस्व बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

2014-15 से पहले, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अन्तर्गत धनराशि का हस्तांतरण दो विधियों में राज्य बजट और प्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों और स्वतन्त्र समितियों में किया जाता था। 2014-15 से आरम्भ होकर, सीएसएस के लिए राज्यों को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता राज्य के समेकित निधि के माध्यम से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत हस्तांतरित की जानी थी। मुख्य योजनाएँ जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस), को छोड़कर, जहाँ 2016-17 में राज्य के बजट के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की गई, एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 36 से अधिक योजनाएं हैं, कुल मिलाकर ₹628 करोड़, जो 2016-17 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर कार्यान्वयन एजेंसियों (संस्थानों, निगमों, समितियों, इत्यादि) को सीधे वित्त पोषण के तहत जारी रखा गया। विवरण **परिशिष्ट 1.6** पर है। ये निधि राज्य सरकार के बजटीय और लेखा प्रणाली से बाहर है। प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं के उदाहरण **तालिका 1.3** में दिए गए हैं। हालांकि इस सम्बन्ध में मामला महालेखाकार (ले.एवं.हक) (नवम्बर 2017) ने राज्य सरकार के साथ राज्य के बजट के माध्यम से सभी निधियों को नियमित करने के लिए उठाया है।

तालिका 1.3: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई प्रमुख धनराशि (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम/योजना	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी कुल धनराशि वर्ष के दौरान				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला विकास आयुक्त	45.00	-	35.00	55.00	32.50
ऑफ ग्रिड डीआरपीएस	नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल /लद्दाख आदि।	33.93	-	22.02	59.96	35.16
ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा (एमएनआरई)	जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	29.20	-	38.64	29.30	14.49
चेनाब घाटी पावर को जम्मू और केपीएमडीपी अनुदान के तहत पाकुल दुल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-	200.00
स्वदेश दर्शन-विषय आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास कॉर्प./ जम्मू एवं कश्मीर, राज्य केबल कार कॉर्प.	-	-	-	-	118.63
जम्मू के मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	एस.के. कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर एचआरडी एनिमल बायोटेक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय	1.01	-	1.23	-	6.14
दिव्यांग व्यक्ति के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजना	समग्र क्षेत्रीय केंद्र	-	-	2.49	6.91	7.34
कुल		109.14	-	99.38	151.17	414.26

(स्रोत: सीजीए की वेबसाइट के सीपीएमएस)


(शीर्ष स्तर पर समेकित आंकड़ा आधार राज्य सरकार द्वारा नहीं रखा गया था।)

1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त खातों के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य के बजट के वित्तपोषण के संसाधनों को राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजी प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियों में निम्न शामिल हैं: (क) कर राजस्व (i) राज्य के अपने करों जैसे राज्य के उत्पादन शुल्क, वैट/ जीएसटी से राजस्व जो राज्य नियंत्रित कर सकते हैं (ii) वित्त आयोग अधिनिर्णय के तहत केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा, (ख) (i) राज्य के नियन्त्रण में गैर-कर राजस्व जैसे ब्याज/लाभांश और उपयोगकर्ता शुल्क एवं (ii) केन्द्र सरकार से अनुदान। पूंजीगत प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों/अग्रिमों की वसूली, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में इक्विटी के विनिवेश की आय या भूमि/भवनों से अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय, (iii) संघ सरकार से प्राप्तियाँ, जो सरकार के लिए बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, ऋण और अग्रिम जैसे देनदारियों का निर्माण करती है और (iv) राज्य सरकार से सार्वजनिक खातों में बैंकर के रूप में या दूसरों के धन के ट्रस्टी के रूप में रसीदे जमा की जाती है। चार्ट 1.2 में 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों के रुझानों को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: 2012-13 से 2016-17 तक विभिन्न प्राप्तियों के संबंधी हिस्से का रुझान




2012-17 में राजस्व प्राप्तियों और कुल प्राप्तियों में वृद्धि हुई। लोक लेखा प्राप्तियों में 2012-16 में वृद्धि देखी गई, यद्यपि 2016-17 में घटकर ₹2,396 करोड़ हो गई, जो 2015-16 में ₹4,312 करोड़ थी। 2016-17 में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की संख्या बढ़कर ₹20,749 करोड़ हो गई, कुल प्राप्तियों का अनुपात 2012-13 में 83.28 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 64.46 प्रतिशत हो गया। हाँलाकि, कुल प्राप्तियों के लिए लोक लेखा प्राप्तियों का अनुपात 2012-13 में 6.27 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 3.68 प्रतिशत हो गया।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखों के विवरण-14 में लघुशीर्षों द्वारा सरकार के राजस्व और गैर ऋण प्राप्तियों का वर्णन दिया गया है। राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र सरकार से कर और गैर-कर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण और अनुदान सहायता शामिल है। 2012-13 से 2016-17 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के रूझान और संरचना को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है और **चार्ट 1.3** में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संरचना



संघीय करों एवं शुल्को में राज्य सरकार के हिस्से और सहायता अनुदान के स्थानान्तरण ने 2012-13 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 69 प्रतिशत का गठन किया गया और 2016-17 में बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया। जीएसडीपी के संबंधी राजस्व प्राप्तियों का रूझान **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किया है।

तालिका 1.4: जीएसडीपी से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के रूझान

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्ति (आरआर) (₹करोड़ में)	26,217	27,128	28,939	35,781	41,978
राज्य का अपना राजस्व (₹करोड़ में)	7,993	9,143	8,312	11,239	11,891
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.79	3.47	6.68	23.64	17.31
आरआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	35.13	34.31	31.19	31.21	36.30
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.35	5.94	17.35	23.57	0.89
राजस्व अधिक्त्य डब्ल्यू.आर.टी. जीएसडीपी	0.33	0.58	0.38	1.00	19.45

राजस्व प्राप्तियों ने निरपेक्ष रूप से 2012-13 से 2016-17 की अवधि में एक प्रगतिशील वृद्धि दिखाई। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव वाला पैटर्न दिखाई देता है। जीएसडीपी के लिए राज्यों के कर राजस्व अधिक्त्य से राजस्व प्राप्तियों में धीमी वृद्धि के कारण 2014-15 तक गिरावट देखी गई है, लेकिन वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।

सीएसएस के लिए केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अनुदान की प्रकृति में है, और राज्य के राजस्व प्राप्तियों के तहत परिलक्षित होती है। चूंकि, कुछ प्रमुख योजनाओं जैसे एसएसए, एनएचएम और एमजीएनआरईजीए के बजट की परिसम्पत्ति को निर्माण के लिए पूंजीगत क्षेत्र के तहत रखा गया था, राज्य के बजट के माध्यम से लेन-देन के मार्ग में राजस्व घाटे में ₹1,490.03 करोड़ की कमी और पूंजीगत परिव्यय में 2016-17 के दौरान राज्य की इसी सीमा तक वृद्धि में योगदान दिया है।

1.4.1 राज्य के अपने राजस्व

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें अपने स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व के रूझान तालिका 1.5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.5: कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व के रुझान

(₹करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व	5,833	6,273	6,334	7,326	7,819
जिनमें से माल और सेवाओं की बिक्री पर कर	4,174	4,579	4,602	5,277	6,012
गैर-कर राजस्व	2,160	2,870	1,978	3,913	4,072
जिसकी विद्युत बिक्री से प्राप्तियाँ	1,589	1,533	1,428	1,477	2,770
कुल	7,993	9,143	8,312	11,239	11,891

राज्य मार्च 1997 से जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सेवाओं पर कर लगा रहा है, जो 2016-17 में ₹1,686.80 करोड़ था। सरकार सेवा कर के अन्तर्गत आधार को विस्तृत करने में विफल रही है। और यह सेवा केवल नाम मात्र की है और केवल 31 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है और सेवा कर प्राप्तियों का 84 प्रतिशत अर्थात् ₹1,403.84 करोड़ का कार्य अनुबन्ध सेवाओं के माध्यम से ₹1,686.80 करोड़ के कुल सेवा कर राजस्व से हुआ। 14वें वित्त आयोग के अनुसार, 2016-17 के दौरान राज्य के हिस्से के रूप में संभावित सेवा कर संग्रह ₹4,602.19 करोड़ होना चाहिए, अर्थात् केन्द्रीय सेवा कर (₹2,48,230.51 करोड़) राज्य के हिस्से का 1.854 प्रतिशत, जिसके विरुद्ध राज्य ने ₹1,686.80 करोड़ का वास्तविक सेवा कर संग्रहित किया और ₹2,915.39 करोड़ छोड़ दिए।

विद्युत की बिक्री से प्राप्तियाँ, गैर-कर राजस्व का प्रमुख घटक होने के कारण, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व के 73.56 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 37.75 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य रूप से 1,200 करोड़ के राजस्व लाभ के कारण 2016-17 में बढ़कर 68.02 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 में कुल कर राजस्व का 71.56 प्रतिशत माल और सेवाओं की बिक्री पर कर 2016-17 में बढ़कर 76.89 प्रतिशत हो गया। वाउचर की लेखापरीक्षा से पता चला है कि ₹35.11 करोड़ (₹4.35 करोड़ सेवा कर, ₹28.52 करोड़ विद्युत प्राप्तियाँ और ₹2.25 करोड़ वन प्राप्तियाँ) वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः विद्युत प्राप्तियों और वन प्राप्तियों को सेवा कर के दोहरे लेखों के कारण लेखों में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। हालाँकि, मामलों की परीक्षण जांच की सीमा तक लेखों में सुधार किया गया है, अन्य मामलों में भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व प्राप्त होता है।

1.4.1.1 राज्य का अपना कर राजस्व


राज्य के अपने कर राजस्व का प्रदर्शन तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: जीएसडीपी के सम्बन्धी राज्य के अपने कर राजस्व में रुझान

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्वयं की कर प्राप्तियाँ (ओटीआर) (₹करोड़ में)	5,833	6,273	6,334	7,326	7,819
ओटीआर की वृद्धि दर(प्रतिशत)	22.93	7.54	0.97	15.66	6.73
ओटीआर/जीएसडीपी (प्रतिशत)	7.82	7.93	6.83	6.39	6.76
जीएसडीपी की वृद्धि दर(प्रतिशत)	17.35	5.94	17.35	23.57	0.89
अधिक्य अनुपात					
जीएसडीपी के संदर्भ में ओटीआर अधिक्य	1.32	1.27	0.06	0.66	7.56

राज्यों की अपनी कर प्राप्ति 2012-13 में ₹5,833 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹7,819 करोड़ हो गई है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक कर-वार ब्यौरा चार्ट 1.4 में दिया गया है।

चार्ट 1.4: कर राजस्व के रुझान



भूमि राजस्व संग्रह 2012-13 में ₹96 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹17 करोड़, 82.29 प्रतिशत घट गया।

कर राजस्व के प्रमुख शीर्षों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बजट अनुमानों और वास्तविक कर राजस्व प्रप्तियों के बीच अन्तर तालिका 1.7 में दिए गए हैं।

तालिका 1.7: बजट/संशोधित अनुमान एवं वास्तविक कर राजस्व
(2015-16 से 2016-17)

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16 वास्तविक	2016-17 बीई	2016-17 आरई	2016-17 वास्तविक	2016-17 में आरई-वास्तविक में अन्तर
वाणिज्यिक कर (वैट/जीएसटी बिक्री और सेवाओं पर)	5,277	6,985	6,238	6,012	226
राज्य उत्पाद शुल्क	533	536	536	569	(-) ³³
अन्य राज्य कर शुल्क	9,331	11,199	11,168	10,727	441
कुल	15,141	18,720	17,942	17,308	634

वाणिज्यिक करों के संदर्भ में, वास्तविक संशोधित अनुमानों (आरई) के साथ मेल नहीं खा सकते हैं और अन्य राज्य करों/शुल्कों के मामले में यह बजट अनुमान (बीई)/संशोधित अनुमान (आरई) से काफी नीचे है। हालांकि राज्य आबकारी शुल्कों के सम्बन्ध में वास्तविक बजट अनुमान (बीई) के साथ-साथ संशोधित अनुमान (आरई) के अतिरिक्त थे।

1.4.1.2 संग्रह की लागत


2016-17⁴ के दौरान बिक्री और व्यापार पर करों के संग्रह पर व्यय ₹51.21 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क ₹24.79 करोड़, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क ₹24.23 करोड़, वाहन ₹13.30 करोड़ और भूमि राजस्व ₹147.56 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रह पर व्यय का प्रतिशत, क्रमशः 0.85 प्रतिशत, 4.35 प्रतिशत, 10.64 प्रतिशत, 8.88 प्रतिशत और 873.65 प्रतिशत था। भूमि राजस्व के संबंध में संग्रह की लागत का प्रतिशत एकत्र राजस्व से अधिक था।

1.4.1.3 राज्य का अपना गैर-कर राजस्व

वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व का एक मदवार ब्यौरा चार्ट 1.5 में दिया गया है।

⁴ स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए 2016-17 में वास्तविक राजस्व वसूल हुआ: ₹228 करोड़, वाहन: ₹150 करोड़ और भूमि राजस्व: ₹17 करोड़

चार्ट-1.5: गैर-कर राजस्व में रुझान



विद्युत विभाग से प्राप्तियाँ राज्य के गैर-कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जो 2015-16 में ₹1,477 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹2,770 करोड़ हो गया। “अन्य” श्रेणी के तहत, 2014-15 में प्राप्तियाँ ₹171 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹2,014 करोड़ हो गईं और 2016-17 के दौरान घटकर ₹1,003 करोड़ हो गईं। तालिका 1.8 में 2014-15 से 2016-17 के दौरान बजट और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता दर्शाता है।

तालिका 1.8: गैर-कर राजस्व के रुझान

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	वास्तविक 2015-16	बजट अनुमान 2016-17	वास्तविक 2016-17
विद्युत प्राप्तियाँ	2,630	1,428	2,980	1,477	4,741	2,770
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	73	142	77	150	7	64
वानिकी और वन्य जीवन	71	71	76	68	86	14
विविध *	264	166	254	204	266	221
अन्य**	116	171	68	2,014	124	1,003
कुल	3,154	1,978	3,455	3,913	5,224	4,072

*विविध विभागों सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पुलिस, गैर लौह-खनन और घातुकर्म उद्योग, कृषिकर्म, पशुपालन हैं।

**अन्य:- पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं, श्रम और रोजगार, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, स्टेशनरी और प्रिंटिंग, लघु सिंचाई, ओएसएपी, मत्स्य पालन, शिक्षा आदि ग्राम और लघु उद्योग, आवास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मध्यम सिंचाई, पर्यटन और अन्य।

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, वास्तविक 2016-17 के दौरान बजटीय आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। विद्युत विभाग प्राप्तियों के मामले में, वास्तविक बजट अनुमानों से 42 प्रतिशत कम थे। हालाँकि 2014-15 और 2015-16 के लिए वास्तविक ब्याज प्राप्तियाँ बजटीय अनुमानों से ₹69 करोड़

और ₹73 करोड़ अधिक थी, फिर भी 2016-17 के लिए अनुमान केवल ₹सात करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित बजट में वास्तविक राजस्व की 814 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह अन्य प्राप्तियों ने बजट अनुमानों पर ₹879 करोड़ (709 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाई।

“अन्य” श्रेणी के तहत प्राप्तियों में जल उपयोगिता शुल्क सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के दौरान, राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) से जल उपयोग शुल्क के रूप में ₹543.44 करोड़ प्राप्त हुए। 2012-13 और 2013-14 के दौरान, प्राप्ति क्रमशः ₹158.02 करोड़ और ₹0.02 करोड़ थी। जल उपयोगिता शुल्क हाइडल पावर जनरेट करने वाली कंपनियों पर 25 पैसे प्रति क्यूसेक जल पर जल के उपयोग शुल्क लगाया जा रहा है, जो, जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियम और प्रबन्ध) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत 25 अक्टूबर 2010 को लागू किया गया और 25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014 को संशोधित किया गया। अधिनियम के संशोधन के अधीन, लेवी की आय को एक अलग बचत बैंक खाते में जमा किया जाना है, जिसे सचिव, वित्त विभाग द्वारा जल विद्युत और बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए और जल विद्युत परियोजनाओं को वापस खरीदने के लिए उपयोग किया जाना है, जो राज्य में पहले से ही स्थापित है। 1.4.2015 को जल उपयोगकर्ता प्रभार के बचत खाते में प्रारंभित शेष राशि ₹780.35 करोड़ थी। 2015-16 के दौरान पीएचई विभाग से ₹719.78 करोड़ की राशि हस्तांतरित/वसूल (प्राप्त) की गई और उस पर उपार्जित ₹8.03 करोड़ का ब्याज मिला, जिसमें से जून 2015 में ₹777.04 करोड़ निकाल कर एफडीआरएस में निवेश किए गए और बाद में विद्युत खरीद के लिए भुगतानों के लिए भुनाया गया था।

मार्च 2017 के अन्त में जल उपयोगिता शुल्क के कारण संचयी राशि ₹3,948.61 करोड़ थी (मार्च 2016 में समाप्त होने वाली संचयी शेष राशि ₹3,155.56 करोड़ थी और 2016-17 के दौरान प्राप्तियाँ ₹793.11 करोड़ थी) और मार्च 2017 के अंत में बैंक खाते में शेष राशि ₹4.16 करोड़ थी जिसे समेकित राज्य कोष से बाहर रखा गया था।

रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) एक अन्य क्षेत्र है, जिसके तहत राजस्व का 50 प्रतिशत हिस्सा अस्पतालों में प्रवेश टिकटों की बिक्री की आय से प्राप्त होता है, जिन्हें राज्य खाते से बाहर रखा जाता है और अस्पताल के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।

1.4.2 केन्द्र सरकार से सहायता-अनुदान

तालिका 1.9 राज्य सरकार के बजटीय संसाधन आधार में केन्द्र सरकार से सहायता-अनुदान के महत्व को दर्शाता है। केन्द्र सरकार की सहायता-अनुदान 2012-13 के दौरान ₹14,354 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹20,598 करोड़ हो गई, लेकिन 2012-13 की तुलना में यह कुल राजस्व प्राप्तियाँ 55 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 49 प्रतिशत हो गई।

तालिका 1.9: केन्द्र सरकार से सहायता-अनुदान के रुझान

वर्ष	सहायता अनुदान (₹करोड़ में)	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹करोड़ में)	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुदान
2012-13	14,354	26,217	55
2013-14	13,843	27,128	51
2014-15	16,150	28,939	56
2015-16	16,728	35,781	47
2016-17	20,598	41,978	49

1.4.3 13वें और 14वें वित्त आयोग की अनुदान का अनुकूलन

13वें और 14वें वित्त आयोग को प्रदान की गई अवधि के पाँच वर्षों के दौरान राज्य में केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सेदारी के वास्तविक निर्गत को आयोग द्वारा तैयार किए गए अनुमानों को तालिका 1.10 में आमने-सामने सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.10: केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी (वास्तविक विचलन की तुलना में वित्त आयोग के अनुमान)

(₹करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग	वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक कर हस्तांतरण
2012-13	13वीं एफसी	3,925	3,870
2013-14	13वीं एफसी	4,630	4,142
2014-15	13वीं एफसी	5,462	4,477
2015-16	14वीं एफसी	8,748	7,814
2016-17	14वीं एफसी	10,029	9,489

14वें वित्त आयोग के तहत, 2016-17 के दौरान प्रक्षेपण ₹10,029 करोड़ था। इसके विपरीत, संघ के ₹9,489 करोड़ के हिस्से का वास्तविक कर विचलन, जिसके परिणामस्वरूप ₹540 करोड़ की कमी हुई। 14वें वित्त आयोग के तहत, यूएलबी के चुनाव न होने के कारण, शहरी स्थानीय निकायों के तहत केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से राज्य सरकार द्वारा 2016-17 के दौरान शून्य राशि प्राप्त की गई थी। यूएलबीएस ने 2012-13 (₹2.75 करोड़) के दौरान अन्तिम बार जीआईए फंड प्राप्त किया था।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और एसडीआरएफ के लिए ₹6,178.37 करोड़ अनुमानित (2015-20) था। इसके विपरीत, वर्ष 2015-17 के दौरान ₹753.26 करोड़ और ₹1,078.44 करोड़ की राशि जारी/आबंटित की जानी थी। यद्यपि, 2015-17 (परिशिष्ट 1.7) के दौरान वित्त मंत्रालय से राज्य सरकार द्वारा ₹837.92 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी और ₹52 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध उपरोक्त अवधि के दौरान ₹38.50 करोड़ की राशि राज्य के हिस्से के रूप में जारी की गई थी। वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के हिस्से के रूप में ₹13.50 करोड़ की दूसरी किस्त राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी। भारत सरकार (जीओआई) को ₹386.38 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सौंपा गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा ₹591.97 करोड़ का अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया है।

1.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

केन्द्र सरकार से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और ऋणों/अग्रिमों की हिस्सेदारी नगण्य थी और पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य रूप से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और खुले बाजार से उधार लेना शामिल था, जैसा कि तालिका 1.11 में विस्तृत है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों में रुझान

(₹करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ					
(i) अग्रिमों एवं ऋणों की वसूली	2	4	3	4	19
(ii) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (परिसंपत्ति बिक्री)	-	-	-	-	-
कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	2	4	3	4	19
ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक ऋण)					
(i) ओवरड्राफ्ट और अर्थापय	3,742	2,850	7,448	8,991	15,848

(ii) संघ सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14	15	12	17	25
(iii) अन्य ऋण (बाजार/ संस्थान से ऋण)	3,272	3,137	2,799	5,637	4,876
कुल ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	7,028	6,002	10,259	14,645	20,749
कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ	7,030	6,006	10,262	14,649	20,768

1.6 लोक लेखा प्राप्तियाँ

राज्य, के लोक लेखा में जमा किए जाने वाले राशि के संबंध में, सरकार एक ट्रस्टी या एक बैंकर की तरह कार्य करती है और एक न्यासीय दायित्व वहन करती है। राज्य भविष्य निधि, बीमा/पेंशन निधियां, आरक्षित निधि जमा, तथा अग्रिम, लोक लेखा के प्रमुख घटक हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी लेखाओं के लोक लेखा खंड का अस्थाई रिकार्ड रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है और नकद शेष लेन-देन सहित लेखाओं की उचित प्राप्ति या भुगतान शीर्ष में उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उचित और विविध तथा प्रेषण शीर्षों के तहत रखा जाता है। तालिका 1.12 में लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों के रुझान दिए गए हैं:-

तालिका 1.12: लोक लेखा की रुपरेखा

(₹ करोड़ में)

लोक लेखा के घटक	लोक लेखा प्राप्तियाँ		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण की तुलना में प्राप्तियों की अधिकता	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
राज्य भविष्य निधि, पेंशन/ बीमा निधियां	5,271	4,626	2,385	2,780	2,886	1,846
आरक्षित निधियां	354	452	140	111	214	341
जमा	3,326	3,794	3,213	2,845	113	949
अग्रिम	473	29	473	29	0	0
प्रेषण	17,461	9,320	17,664	10,010	(-)203*	(-)690*
नकद शेष निवेश खाते में प्राप्तियाँ	22,055	14,165	21,101	14,122	954	43
विभागी नकद शेष खाते में प्राप्तियाँ	40	07	39	06	01	01
अन्य उचित तथा विविध	350	3,590	219	3,683	131	(-)93
कुल	49,330	35,983	45,234	33,586	4,096	2,397

*प्रेषण के तहत, पिछले वर्ष के लेखों में समायोजना गैर-समायोजन के कारण प्राप्तियों में संवितरण की अपेक्षा अधिकता थी।


1.7 संसाधनों का प्रयोग

राज्य अपने संसाधन मुख्य कार्यों के निष्पादन हेतु जुटाता है जैसे, सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के लिए सामाजिक सुपुर्दगी के स्तर को बनाए रखना, पूंजीगत व्यय द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क को बढ़ाने, निवेश तथा ऋण सेवाओं की बाध्यता का निष्पादन। यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे के रखरखाव, नए बुनियादी ढांचे के सृजन और विकास तथा सामाजिक न्याय की अन्य जरूरतों के लिए, निर्देशित सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1.7.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटन


चार्ट 1.6 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल व्यय के रुझान को दर्शाता है:

चार्ट 1.6: कुल व्यय रुझान तथा संघटन



चार्ट 1.7 में दिखाए गए राजस्व-पूंजीगत के वर्गीकरण के संबंध में व्यय के संघटन को नीचे दिखाया गया है:-

चार्ट 1.7: कुल व्यय इसके घटकों के हिस्सों का रुझान



उपरोक्त चार्ट 1.7 से यह देखा जा सकता है कि, वर्ष 2012-13 में ₹30,434 करोड़ का कुल व्यय ₹17,740 करोड़ तक बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹48,174 करोड़ हो गया। इसी अवधि में पूंजीगत व्यय (उधार सहित) में ₹5,317 करोड़ से ₹8,362 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2012-13 में ₹14,695 करोड़ का राजस्व व्यय ₹25,117 करोड़ तक बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹39,812 करोड़ हो गया।

कुल व्यय को, राज्य के जी.एस.डी.पी. तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रति व्यय के अनुपात को और जी.एस.डी.पी. और राजस्व प्राप्तियों के संबंध में, इस उत्थान को तालिका 1.13 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 1.13: कुल व्यय - मूल मानक

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय (टी.ई.) (₹करोड़ में)	30,434	31,686	34,550	43,845	48,174
कुल योजना व्यय/ सी.एस.एस. (₹करोड़ में)	6,528	6,011	7,373	2,829	3,440
कुल गैर-योजना व्यय/ सामान्य/साधारण (₹करोड़ में)	23,813	25,554	27,090	40,922	44,658
टी.ई की विकास दर (प्रतिशत)	6.25	4.11	9.04	26.90	9.87
टी.ई./जी.एस.डी.पी. अनुपात (प्रतिशत)	40.78	40.08	37.24	38.25	41.65

राजस्व प्राप्ति (आर.आर.)/ टी.ई. अनुपात (प्रतिशत)	86.14	85.62	83.76	81.60	87.14
के संबंध में कुल व्यय का उत्थान					
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	0.36	0.69	0.52	1.14	11.09
आर.आर. (अनुपात)	1.08	1.18	1.35	1.14	0.57
राजस्व व्यय (आर.ई.) (₹करोड़ में)	25,117	27,058	29,329	36,420	39,812
गैर-योजना राजस्व/व्यय (एन.पी.आर.ई.)/सामान्य/ साधारण	23,560	25,219	26,457	34,847	37,812
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)/सी.एस.एस.	1,557	1,839	2,872	1,573	2,000
की विकास दर					
आर.ई. (प्रतिशत)	10.74	7.73	8.39	24.18	9.31
एन.पी.आर.ई. (प्रतिशत)	9.93	7.04	4.91	31.71	8.50
पी.आर.ई. (प्रतिशत)	24.76	18.11	56.17	54.70	27.14
अनुपात (प्रतिशत)					
टी.ई. की प्रतिशत के रूप में आर.ई.	82.53	85.39	84.89	83.06	82.64
के संबंध में राजस्व व्यय का उत्थान अनुपात					
जी.एस.डी.पी.	0.62	1.30	0.48	1.03	10.46
राजस्व प्राप्तियाँ	1.86	2.22	1.26	0.90	0.94

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹48,174 करोड़ के कुल व्यय में से ₹39,812 करोड़ राजस्व व्यय था तथा ₹8,286 करोड़ पूंजीगत व्यय था, जो कुल व्यय का क्रमशः 82.64 तथा 17.20 प्रतिशत था। कुल व्यय में ₹4,329 करोड़ (अर्थात 9.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, चूंकि यह वर्ष 2015-16 में ₹43,845 करोड़ से 2016-17 में ₹48,174 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व व्यय की वृद्धि 26.90 प्रतिशत थी जो 2016-17 के दौरान घट कर 9.87 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व व्यय में ₹25,117 करोड़ से ₹39,812 करोड़ तक वृद्धि हुई, जो 58.51 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उपरोक्त अवधि के दौरान राजस्व व्यय में ₹14,695 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व व्यय में सतत वृद्धि ने विकासात्मक पूंजी अवरोधों के संसाधनों का आधार नष्ट कर दिया।

1.7.2 विद्युत की खरीद तथा आपूर्ति की वसूल नहीं की गई लागत का भार

राज्य में, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि डी-बंडलिंग और विद्युत कार्यों में सुधार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, विद्युत की खरीदी और आपूर्ति पर, प्राप्तियाँ तथा व्यय, राज्य सरकार के लेखा के एक भाग के रूप में जाने जाते हैं।

विद्युत विकास विभाग के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच लगातार बढ़ते अंतर के कारण, सरकार के बजट में एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक असंतुलन और संसाधनों की निकासी की तरह है, जोकि अन्यथा विकासात्मक उद्देश्यों हेतु प्रयोग में लाया जा सकता था।

विद्युत खरीदी पर व्यय तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के अंतराल के रुझानों को तालिका 1.14 में दिखाया गया है।

तालिका 1.14: विद्युत विकास विभाग के निष्पादन में कमी

(₹करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व का लक्ष्य	वास्तविक राजस्व	विद्युत खरीदी पर व्यय	घाटा
2012-13	2,387	1,589	3,870	2,281
2013-14	2,841	1,533	3,738	2,205
2014-15	2,630	1,428	4,404	2,976
2015-16	2,980	1,477	6,127	4,650
2016-17	4,741	2,770	6,132	3,362

टैरिफ के संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व को एकत्रित करने में ₹1,971 करोड़ की कमी आ गई। वर्ष 2016-17 में विद्युत बिक्री द्वारा ₹2,770 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई। विद्युत खरीदी ₹6,132 करोड़ थी, जिसमें ₹3,362 करोड़ का घाटा हुआ।

1.7.2.1 उदय के निहितार्थ

मार्च 2016 में, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, तथा जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच उदय -“उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना” के तहत राज्य के विद्युत वितरण विभाग के परिचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को गैर सांविधिक अनुपात (एस.एल.आर.) बॉन्ड को जारी करके आरबीआई के माध्यम से, ऋण अर्जित करने की अनुमति दी गई, जिनका उपयोग, विभिन्न केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू) के प्रति बकाया देयों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाएगा। ब्याज लागत पर ₹1,200 करोड़ (चार वर्षों में) की वार्षिक बचत हेतु सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता योजना का उद्देश्य था।

यह राज्य सरकार के विद्युत विकास विभाग की परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी मार्ग प्रशस्ति का कार्य करेगा।

एमओयू के अनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से, गैर एसएलआर के बॉन्ड जारी करके ₹3,537.55 करोड़ (वर्ष 2015-16 में ₹2,140 करोड़ और वर्ष 2016-17 में ₹1,397.55 करोड़) की निधियों का उधार लिया। इस धनराशि को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों पर चल रही देयताओं को चुकाने हेतु उपयोग किया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	एजेंसी जिसको भुगतान किया गया	2015-16	2016-17	कुल
1.	नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एन.टी.पी.सी.	528.22	344.97	873.19
2.	नैशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एन.एच.पी.सी.	1,057.85	690.84	1,748.69
3.	भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड एन.पी.सी.आई.एल	124.39	81.23	205.62
4.	भारतीय पावर ग्रिड निगम पी.जी.सी.आई.एल	73.03	47.67	120.70
5.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एस.जे.वी.एन.एल.	204.41	133.50	337.91
6.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टी.एच.डी.सी.	152.10	99.34	251.44
कुल		2,140.00	1,397.55	3,537.55

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी, पेंशन और रियायतों के कारण, राज्य सरकार के हुए राजस्व व्यय को, राज्य के संसाधनों पर व्यय के रूप में माना जाता है। तालिका 1.15 वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान इन घटकों पर हुए व्यय के रुझान को दिखाती है

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
के वेतन	10,600 (40.43)	11,605 (42.78)	11,733 (40.55)	15,038 (41.29)	15,130 (36.04)
वेतन गैर-योजना साधारण शीर्ष	10,036	10,845	10,961	14,928	15,130
वेतन योजना/सीएसएस शीर्ष	564	760	772	110	0
ब्याज भुगतान	2,707 (10.33)	3,001 (11.06)	3,533 (12.21)	3,719 (10.21)	4,567 (10.88)
पेंशन	3,463 (13.21)	3,592 (13.24)	3,686 (12.74)	3,781 (10.38)	4,216 (10.04)

(कोष्ठक में आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत का सूचक हैं।)

वर्ष 2016-17 में वेतन वृद्धि पर 0.61 प्रतिशत खर्च हुआ तथा पेंशन भुगतानों पर वर्ष 2012-13 में ₹3,463 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹4,216 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई गई और 2016-17 में ही 11.50 प्रतिशत तक वृद्धि थी। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,707 करोड़ से ₹4,567 करोड़ तक बढ़ोतरी के कारण ₹1,860 करोड़ के ब्याज भुगतान में वृद्धि हुई।

जैसा कि वित्तीय लेखा 2016-17 के *परिशिष्ट-XII* में बताया गया दिनांक 31 मार्च 2017 तक प्रतिबद्ध देयताएं ₹1,882.16 करोड़ थीं जिसमें से ₹1,038.61 करोड़ भूमि अधिग्रहण के कारण, भू-मालिकों को देय मुआवजे के कारण तथा ₹347.53 करोड़, निर्माण कार्यों तथा आपूर्ति के बिल का भुगतान नहीं होने के कारण थे।

1.7.4 स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

वर्तमान तथा पिछले वर्ष में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय एवं स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता को तालिका 1.16 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों को वित्तीय सहायता

(₹करोड़ में)

विभाग का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	209.81	538.22	303.68	506.89	519.02
आवासीय और शहरी विकास	303.11	192.45	447.55	512.50	518.33
कृषि	216.42	13.80	158.93	186.79	265.59
सामान्य प्रशासन	9.14	19.46	12.55	13.11	17.35
उद्योग	75.23	23.52	20.32	21.47	20.29
पर्यटन	1.76	8.86	20.50	33.23	18.71
न्याय प्रशासन	4.80	0.05	4.77	6.01	5.97
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0.23	14.06	134.82	51.81	337.06
अन्य	1263.78	671.38	432.23	190.87	26.83
कुल	2,084.28	1,481.38	1,535.35	1,522.68	1,729.15
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	8.30	5.47	5.23	4.18	4.34

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, वित्तीय सहायता का स्तर ₹2,084.28 करोड़ से ₹1,729.15 करोड़ तक कम हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल सहायता का 59.99 प्रतिशत शिक्षा तथा खेल कूद तथा आवासीय एवं शहरी विकास हेतु दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹531.15 करोड़ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए दिए गए। (लेह ₹265.04 करोड़ तथा कारगिल ₹266.11 करोड़)

इसके अतिरिक्त, राज्य में 4,128 पंचायती राज संस्थान हैं। वर्ष 2016-17 में चयनित पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.) को अनुदान नहीं दिया गया। हालांकि, गैर-योजना में से पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में शीर्ष (रख रखाव तथा मरम्मत) के अंतर्गत ₹दो करोड़ दिए गए हैं।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

साधारणतः राज्य में, उत्तम सामाजिक तथा भौतिक संरचना की उपलब्धता, इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता, में सुधार में मूलतः तीन पहलु सम्मिलित होते हैं। व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक प्रावधान) व्यय की दक्षता (उपयोग) तथा प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए परिव्यय परिणाम संबंधों का मूल्यांकन)।

1.8.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास को बढ़ाने के लिए, राज्य की प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। तालिका 1.17 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता तथा राजकोषीय क्षमता का विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय का, वर्ष 2016-17 के दौरान, विशेष श्रेणी के राज्यों की प्रति औसत कार्य निष्पादन का विष्लेशण किया गया है।

तालिका 1.17: वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 में, विशेष श्रेणी राज्यों की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस. डी.पी.	एस.एस. ई./ए.ई.	ई.एस. सी/ ए.ई	डी.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
विशेष श्रेणी राज्य (अनुपात) 2012-13	24.80	34.30	30.70	61.10	15.10	18.10	5.30
जम्मू और कश्मीर, (अनुपात) 2012-13	40.78	23.48	34.13	57.92	17.16	12.66	5.33
विशेष श्रेणी राज्य (अनुपात) 2016-17	27.40	34.20	30.00	61.50	13.60	16.60	5.40
जम्मू और कश्मीर (अनुपात) 2016-17	41.65	28.79	38.09	67.04	17.20	13.15	5.83

ए.ई.-जमा व्यय, डी.ई.- विकास व्यय, एस.एस.ई.-सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.-पूंजीगत व्यय, ई.एस.सी.-आर्थिक क्षेत्र

उपरोक्त विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में, जम्मू और कश्मीर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

- वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 में विशेष श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में, जम्मू और कश्मीर का जी.एस.डी.पी. के अनुपात में जमा खर्च अधिक था।
- वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 में जम्मू और कश्मीर, में शिक्षा को प्राथमिकता कम दी गई।
- वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 के दौरान, सीई से एई का अनुपात अधिक था।
- वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 के दौरान, एसएसई से एई का अनुपात कम था, जबकि उसी अवधि में एई के प्रति आर्थिक क्षेत्र में यह अधिक था।

1.8.2 व्यय के उपयोग की क्षमता

लोक व्यय की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्ष पर, राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह उचित व्यय युक्तिकरण उपायों को अपनाए तथा कोर पब्लिक तथा मेरिट⁵ गुड्स के प्रावधानों पर जोर दें। विकास पर होने वाले व्यय⁶ के आबंटन को सुधारने के अतिरिक्त, विशेष रूप से हाल के वर्षों में ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण सृजित राजकोषीय क्षेत्र के मद्देनजर व्यय के उपयोग की दक्षता भी, पूंजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी.एस.डी.पी.) से परिलक्षित होती है और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर, राजस्व व्यय का भाग खर्च किया जा रहा है। कुल व्यय के (और/या जी.एस.डी.पी.) के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतनी ही व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तालिका 1.18 चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान, राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय का रुझान प्रदर्शित करती है। वर्ष 2012-13 और 2016-17 के दौरान विकास खर्च में ₹13,216 करोड़ (69.27 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाई गई तथा उसी अवधि के दौरान कुल व्यय की तुलना में 62.69 प्रतिशत से 66.88 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्शाई गई।

तालिका 1.18 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर हुए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

⁵ मूल सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं, जिनको सभी नागरिक एक समान रूप में उपभोग करते हैं, इस अर्थ में कि प्रत्येक द्वारा ऐसी वस्तु का उपभोग करना, किसी दूसरे के द्वारा उसी वस्तु का उपभोग करना कमी का कारण न बने जैसे कानून व व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रदूषण रहित हवा तथा पर्यावरणीय वस्तुएँ और सड़क जैसी आधारिक अवसंरचना आदि। मेरिट गुड्स आधारित वे वस्तुएँ होती हैं जो लोक क्षेत्रों में निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं क्योंकि योग्यता या सरकार को भुगतान करने की इच्छा की बजाय उन वस्तुओं की, जरूरत की कुछ अवधारणाओं के आधार पर, प्रत्येक को या पूरे समाज को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में गरीबों को पोषित करने हेतु निशुल्क प्रावधान या रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाना, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा रुग्णता को कम करना, सभी को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना, तथा पेयजल तथा साफ-सफाई आदि को शामिल किया जाता है।

⁶ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण, विकास और गैर-विकास व्यय में अलग-अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के तहत श्रेणीबद्ध हैं। मोटे तौर पर, सामाजिक व आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय से बनी होती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।

तालिका 1.18: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	30,434	31,686	34,550	43,845	48,174
कुल विकास व्यय	19,079	19,514	21,903	29,058	32,295
विकास राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	14,491	15,655	17,290	22,745	24,702
कुल व्यय में, विकास राजस्व का हिस्सा (प्रतिशत)	47.6	49.41	50.04	51.87	51.28
विकास पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	4,588	3,859	4,526	6,219	7,517
कुल व्यय में, विकास पूंजीगत व्यय का हिस्सा (प्रतिशत)	15.10	12.18	13.10	14.18	15.60
विकास के लिए ऋण तथा अग्रिम (₹ करोड़ में)	93	121	87	94	76
कुल व्यय का कुल विकास राजस्व व पूंजी (प्रतिशत)	62.69	61.59	63.40	66.05	66.88

कुल व्यय में, विकास पर होने वाला पूंजीगत व्यय के हिस्सों में वर्ष 2012-13 में, 15.10 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में, 15.60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इसी अवधि में कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय के हिस्से पर 47.60 प्रतिशत से 51.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 1.19 क्षेत्रवार व्यय तथा विकास के सूचकांक के प्रति इसके संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.19: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में
व्यय प्रयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2014-15			2015-16			2016-17		
	टीई के लिए सीईका अनुपात	आरई में, का हिस्सा		टीई के लिए सीईका अनुपात	आरई में, का हिस्सा		टीई के लिए सीईका अनुपात	आरई में, का हिस्सा	
		एस और डब्ल्यू	ओ एंड एम		एस और डब्ल्यू	ओ एंड एम		एस और डब्ल्यू	ओ एंड एम
सामाजिक क्षेत्र (एसएस)									
सामान्य शिक्षा	11.77	75.03	1.23	8.39	66.03	1.7	8.93	69.46	0.02
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	10.57	76.04	0.72	9.22	74.01	66.33	15.47	70.30	0.82
डब्ल्यूएस, स्वच्छता और एचयूडी	25.87	50.10	6.24	28.76	46.27	51.43	31.23	49.19	4.43
अन्य	21.78	19.68	0.25	49.95	20.68	25.55	22.54	14.33	0.03
कुल (एसएस)	15.91	63.06	1.89	19.09	59.88	25.51	16.62	59.07	0.91
आर्थिक क्षेत्र (ईएस)									
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	29.56	79.05	0.86	27.59	80.37	19.48	27.26	80.02	0.24
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	37.67	76.21	8.00	42.82	78.22	50.95	47.94	61.62	9.32
विद्युत और ऊर्जा	2.77	10.00	0.98	4.19	9.16	70.90	7.98	7.60	0.74
परिवहन	41.80	0.16	14.65	48.50	0.07	2.18	51.68	0.03	12.09
अन्य	72.31	46.59	0.73	48.85	8.55	11.59	57.42	41.56	0.75
कुल (ईएस)	24.93	29.05	2.23	23.70	3.88	3.88	28.40	24.76	1.67
कुल (एसएस+ईएस)	20.75	45.77	2.47	21.47	62.45	29.09	23.33	40.82	1.31

टी.ई. संबंधित सेवाओं पर कुल व्यय; सी.ई. पूंजीगत व्यय; आर.ई. राजस्व व्यय; एस.एंड.डब्ल्यू: वेतन और मजदूरी;
ओ.एंड.एम: संचालन और रखरखाव

सामाजिक तथा आर्थिक सेवा क्षेत्रों में कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2014-15 में 20.75 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 21.47 प्रतिशत की और वर्ष 2016-17 में 23.33 प्रतिशत की सतत् वृद्धि को दर्शाता था।

1.8.3 व्यय की प्रभावकारिता अर्थात् परिव्यय परिणाम संबंध

सामाजिक तथा आर्थिक प्रमुख सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के अतिरिक्त, बढ़ता मानवीय विकास मांग करता है कि राज्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुपुदुर्गी करने वाली व्यवस्था को बेहतर बनाएं। राज्य सरकार से अपेक्षा की

जाती है कि गुणवत्ता के अनुसार, पहुंच तथा सरकारी व्यय के परिणाम के संबंध में सामंजस्य स्थापित करें। बजट को पेश करने वाली प्रणाली की शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है।

1.9 सरकारी पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम द्वारा, ढांचा उपलब्ध करवाने के भाग के रूप में राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटा निम्न स्तर पर बनाए रखें, बल्कि राजस्व से अपनी पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्णतः निर्भरता की स्थिति में, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इसके निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल प्राप्ति हेतु आवश्यक उपाय करें तथा इसके बजट में अव्यक्त आर्थिक सहायता के रूप में इसे वहन करने की बजाय उधार ली गई निधियों की लागत वसूली करें तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। यह खंड, चालू और पिछले वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का वृहत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.9.1 अधूरी परियोजनाएं

विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2017 तक ₹ एक करोड़ तथा उसके भी अधिक लागत वाली अधूरी परियोजनाओं का विवरण वित्तीय लेखा की *परिशिष्ट-IX* में दिए गए हैं। तालिका 1.20 में दिए गए विवरण के अनुसार, 119 परियोजनाएं अधूरी थीं।

तालिका 1.20: 31 मार्च 2017 तक विभाग वार अधूरी परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत	परिशोधित लागत	वास्तविक व्यय	अधिक लागत
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), श्रीनगर	03	4.17	4.17	2.76	-
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), जम्मू	78	246.61	266.91	162.48	20.30 (20)
विद्युत विकास विभाग (पीडीडी), जम्मू	01	13.36	13.36	12.64	-

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जम्मू	35	75.29	75.29	43.50	-
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, श्रीनगर	02	210.96	241.29	171.57	30.33 (02)
कुल	119	550.39	601.02	392.95	50.63 (22)

कोष्ठक में दिए आंकड़ें कार्यों की संख्या बताते हैं

मार्च 2017 को, एक करोड़ या उससे अधिक की लागत वाली 119 परियोजनाएं अधूरी थीं। इन अधूरी परियोजनाओं के लिए ₹550.39 करोड़ की स्वीकृत राशि को, ₹601.02 करोड़ तक बढ़ाया गया। दिनांक 31 मार्च 2017 तक इन अधूरी परियोजनाओं पर ₹392.95 करोड़ व्यय किए गए। लोक निर्माण विभाग (जम्मू) की 35 परियोजनाएं, पी.एच.ई. की 81 परियोजनाएं (कश्मीर तीन, जम्मू 78) पी.डी.डी.जम्मू डिवीजन (जम्मू प्रांत) की एक, तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कश्मीर प्रांत की दो परियोजनाओं के लिए, ₹50.63 करोड़ तक की राशि को, 22 परियोजनाओं (पी.एच.ई. 20 जम्मू प्रांत तथा दो सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, कश्मीर प्रांत) के लिए परिशोधित किया गया। लागत में संशोधन के कारणों का उत्तर इन विभागों से प्रतीक्षित है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरूद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा लंबे समय तक अभिप्रेत लाभों से राज्य वंचित रहा।

1.9.2 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

माह मार्च 2017 के अंत में ₹457.34 करोड़ के पूंजीगत व्यय वाली सात बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को दर्शाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान, इन योजनाओं से राजस्व की प्राप्ति केवल ₹0.40 करोड़ (₹457.34 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का 0.09 प्रतिशत) थी। इन परियोजनाओं में से किसी की भी राजस्व प्राप्ति, प्रत्यक्ष कार्यचालन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कार्यचालन व्यय तथा ब्याज प्रभारों का व्यय करने के बाद योजनाएं ₹3.30 करोड़ (पूंजीगत परिव्यय का 0.72 प्रतिशत) की निवल हानि में थीं। रणबीर नहर तथा प्रताप नहर मुख्य नुकसान उठाने वाली परियोजनाएं थीं।

1.9.3 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2017 को वित्तीय लेखों के विवरण आठ के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹803.74 करोड़ का संचयी निवेश 23 कंपनियों (₹521.61 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹231.11 करोड़), आठ सहकारी संस्थानों/स्थानीय निकायों में (₹37.83 करोड़) दो ग्रामीण बैंकों ₹12.85 करोड़ और दो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में किया।

तालिका 1.21 निवेश पर प्रतिफल के साथ-साथ सरकारी उधार की औसत लागत की समस्त जानकारी प्रस्तुत करती है:-

तालिका 1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अंत में निवेश (₹करोड़ में)	498.25	533.27	537.17	547.83	803.74
प्रतिफल (₹करोड़ में)	87.35	128.88	128.88	54.13	45.11
प्रतिफल (प्रतिशत)	17.53	24.17	23.99	9.88	5.61
सभी सरकारी देयताओं पर औसत ब्याजदर (प्रतिशत)	7.07	7.07	7.6	7.17	7.77
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	10.46	17.10	16.39	2.71	2.16

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, लाभांश/ब्याज प्राप्ति में ₹87.35 करोड़ से ₹128.88 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, यह वर्ष 2016-17 में ₹45.11 करोड़ तक कम हो गया। निवेश पर प्रतिफल केवल जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड से ही प्राप्त हुआ, जिसमें सरकार ने 56.45 प्रतिशत की भागीदारी अपने पास रखी है।

1.9.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार इन संगठनों/निगमों में से, कई संगठनों/निगमों को भी ऋण एवं अग्रिम की सहायता उपलब्ध करवा रही है। तालिका 1.22 में पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण और अग्रिम ब्याज प्राप्तियों की स्थिति प्रस्तुत की गई है

तालिका 1.22: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹करोड़ में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/ उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आदि शेष	1,033.69	1,292.55*	1,409.83	1,493.93	1,583.63
वर्ष के दौरान दी गई राशि	93.40	121.41	86.80	93.79	76.24
वर्ष के दौरान राशि का पुनःभुगतान	1.53	4.13	2.69	4.09	19.36
अंतशेष	1,125.56	1,409.83	1,493.93	1,583.63	1,640.52
जिसमें से बकाया राशि के लिए निबंधन और शर्तें तय कर दी गई हैं					
निवल वर्धन	91.87	117.28	84.1	89.70	56.89
ब्याज प्राप्ति	1.31	1.64	1.88	0.97	1.88
बकाया ऋण और अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.12	0.12	0.13	0.06	0.11
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देनदारियों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	6.72	6.72	7.31	6.72	7.34
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.60	6.60	7.18	6.66	7.23

(* राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए गलत वर्गीकरण के परिशोधन के कारण ₹167.00 करोड़ की राशि को 31 मार्च, 2013 को शेष राशि के रूप में प्रोफार्मा बढ़ा दिया गया है)

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नहीं हो सकी है। विधान मंडल में प्रस्तुत किए गए एफ.आर.बी.एम. के ब्यौरे में भी इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

1.9.5 नकद शेष तथा उनका निवेश

राज्य सरकार अपने नकद/ओवरड्राफ्ट प्रबंधन के लिए 01 अप्रैल 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है। नकद शेष में 2015-16 के अंत तक ₹527 करोड़ से वर्ष 2016-17 के अंत तक ₹429 करोड़ होने पर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹98 करोड़ की कमी आई। 31 मार्च 2017 तक महालेखाकार (ले.व.ह) की खाता-बही में दर्शाए अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य नकदी शेष के बीच ₹0.09 करोड़ (डेबिट) का अंतर था। एजेंसी बैंकों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक से आँकड़ों का मिलान न होना इसके अंतर का मुख्य कारण है।

1.10 परिसंपत्तियां और देयताएं

1.10.1 परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विकास एवं रचना

प्रचलित सरकार की लेखांकन पद्धति में, सरकार द्वारा नियंत्रित भूमि एवं भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं को ऐतिहासिक लागत अर्थात् न्यूनतम रूप में बिना समायोजन करते हुए मूल्य वृद्धि/मूल्यहास के अंतर्वाह और बहिर्वाह के रूप में किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को लिखा जाता है। वित्त लेखा 2016-17 के विवरण 12, निधि के स्रोत तथा प्रयोग का अवलोकन प्रस्तुत करता है। वित्त लेखा 2016-17 के विवरण छह तथा 17 सरकार की वित्तीय देनदारियों, जैसे खुले बाजार या वित्तीय संस्थानों से उधार लेना, संघ सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों के तहत निवल प्राप्तियाँ जिनके संबंध में सरकार जिसमें एक ट्रस्टी या बैंकर की तरह कार्य करती है, की सारांश स्थिति उपलब्ध कराती है। वित्तीय लेखों में राज्य सरकार की देयताओं का वर्णन होता है। तथापि, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जानी वाली पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण भावी देयताओं और गारंटियों/राज्य सरकार द्वारा जारी आश्वासन पत्रों से आकस्मिक देयताओं को शामिल नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार के वित्तीय लेखों में, राज्य सरकार से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का सम्पूर्ण विवरण, परिसंपत्ति के सहायक अभिलेख तथा उनका मूल्यांकन एवं रखरखाव कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह) जम्मू और कश्मीर द्वारा नहीं किए जाने के कारण, शामिल नहीं किया जाता है। वित्तीय लेखा, केवल संचयी पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष के पूंजीगत व्यय को मूल्यवृद्धि/मूल्यहास में बिना कोई समायोजन करते हुए नाममात्र के लिए शर्तों में जोड़ा जा रहा है।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

लोक ऋण तथा “लोक लेखों के अंतर्गत अन्य देयताएं” नाम से देयताओं के दो सेट हैं। लोक ऋण, बाजार ऋण आरबीआई द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों तथा केंद्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों से मिल कर बना होता है। ‘अन्य देयताएं’ जो लोक लेखों का भाग होती हैं, लघु अवधि की बचत योजना के तहत निक्षेपों, भविष्य निधियों तथा अन्य निक्षेपों से मिल कर बनी होती है। पाँच वर्षों के दौरान, राजकोषीय देयताओं का संगठन तालिका 1.23 में दिया

गया है (कृपया, वर्ष 2012-13 से सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं में रूझान को *परिशिष्ट 1.3* में देखें)।

तालिका 1.23: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
खुले बाजार तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से उधार	22,796 (56)	24,715 (55)	26,525 (55)	30,452 (55)	34,267 (55)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,839 (4)	1,775 (4)	1,675 (3)	1,579 (3)	1,489 (2)
लोक लेखा देयताएं	15,630 (40)	18,183 (39)	20,114 (42)	23,327 (42)	26,462 (43)
कुल राजकोषीय देयता	40,265	44,673	48,314	55,358	62,219
राजकोषीय देयता की वृद्धि दर	11.02	10.94	8.15	14.57	12.39
राजस्व प्राप्तियाँ	26,217	27,128	28,939	35,781	41,978
राजस्व प्राप्तियों की % राजकोषीय देयता	153.58	164.67	166.95	154.71	148.22
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर	5.79	3.47	6.68	23.64	17.31
उत्थान अनुपात					
राजकोषीय देयता के समकक्ष राजस्व प्राप्ति	1.90	3.15	1.22	0.61	0.71
जीएसडीपी के समकक्ष राजकोषीय देयता	0.63	1.84	0.47	0.62	13.92

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयता का प्रतिशत हैं)

31 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2017 के अंत तक, सरकार की समस्त राजकोषीय देयताओं में ₹55,358 करोड़ से ₹62,219 करोड़ तक वृद्धि हुई।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, संचित राजकोषीय देयताओं के स्टॉक में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 के अंत तक 48.29 प्रतिशत से 53.79 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 के अंत तक, सरकार की राजस्व प्राप्ति की संचित देयताएं 2016-17 के दौरान 1.48 गुणा अधिक थी तथा 2016-17 के दौरान ही यह सरकार के अपने कर तथा गैर-कर राजस्व से 5.23 गुणा अधिक थी। वर्ष 2016-17 के दौरान, जीएसडीपी के संदर्भ में इन देयताओं में 13.92 प्रतिशत का उत्थान यह इंगित कर रहा था कि प्रत्येक वर्ष

जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए, राजकोषीय देयताओं को 13.92 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

1.10.3 आरक्षित निधियों का प्रबंधन

आरक्षित निधियां वे निधियां होती हैं जो राज्य के लोक लेखों का हिस्सा होती हैं इसकी संरचना समेकित निधि से विनियोजित राशियों से एक अलग उद्देश्य के लिए रखी हुई निधि होती है। तालिका 1.24 में 31 मार्च 2017 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में अंत शेषों की गतिविधि दर्शाई गई है। 31 मार्च 2017 के अन्त में इन निधियों में संचित समुच्चय शेष ₹1,885 करोड़ था जिसमें से ₹11 करोड़ सरकारी लेखों से बाहर निवेश किए गए हैं। निधियों में लेन-देनों की प्राप्ति/संवितरण की समीक्षा से यह भी देखा गया है कि, अधिकतर निधियां निष्क्रिय थीं जिनमें शून्य/नगण्य संव्यवहार हुए थे।

तालिका 1.24: आरक्षित निधियों के अंतर्गत वर्ष के अंत में अंतशेष के रुझान

(₹करोड़ में)

आरक्षित निधियां	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज सहित आरक्षित निधियां					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	526	882	202	336	600
कुल-ब्याज सहित आरक्षित निधि	526	882	202	336	600
बिना ब्याज के आरक्षित निधियां					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	28	28	28	--	--
ऋण शोधन निधि	32	61	97	135	169
सूखा राहत निधि	9	9	9	8	9
सरकारी वाणिज्यिक विभाग/उपक्रमों की आरक्षित निधियों का मूल्यहास तथा नवीनीकरण	574	574	574	573	573
सरकार के गैर-वाणिज्यिक विभागों की निधियों का मूल्यहास तथा नवीनीकरण	73	73	73	73	73
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	39	41	41	41	41

निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि	95	95	72	104	116
अन्य विकास तथा कल्याण निधियां	104	104	85	115	136
जनरल बीमा निधि (जनता एंशयोरेंस)	71	68	66	65	63
गारंटी मोचन निधि	5	6	7	8	12
अन्य निधियां	50	67	77	86	93
बिना ब्याज के आरक्षित निधियां	1,079	1,126	1,128	1,208	1285
कुल-आरक्षित निधियां	1,605	2,008	1,331	1,544	1,885
जिनमें से शेष निवेशित हो गया					
राज्य के आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश	11	11	11	11	11

1.10.4 आकस्मिक देयताएं

1.10.4.1 गारंटियों की स्थिति

गारंटी, उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर देयताएं होती हैं, जिसके लिए गारंटी दी गई हो। वित्तीय लेखों के विवरण नों के अनुसार अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटी दी जा सकती थी और विगत पांच वर्षों से लंबित गारंटियों को तालिका 1.25 में तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹करोड़ में)

गारंटियां	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गारंटियों की बकाया राशि	611	2,714	2,860	2,827	2,636

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम-2006, चालू वर्ष के पूर्व वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत तक बढ़ते वार्षिक जोखिम को या जी.एस.डी.पी. के चालू वर्ष के पूर्व वर्ष में 7.5 प्रतिशत को, इनमें से जो भी कम हो, उसे सीमित करने का कार्य सरकार को सौंपता है। 31 मार्च 2017 तक कुल बकाया गारंटियां ₹2,633.95 करोड़ तक की थी, जो वर्ष 2015-16 में ₹35,780 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.36 प्रतिशत थी तथा वर्ष

2015-16 में ₹1,14,637 करोड़ (चालू कीमत) के जी.एस.डी.पी. का 2.30 प्रतिशत थी जैसा कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के राजकोषीय मानकों के मूल्यांकन हेतु स्वीकृत किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न गारंटियों के जोखिमों का आंकलन नहीं किया है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/राज्य के स्वामित्व वाले और उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त एवं सांघिक निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न अपनी देयताओं को पूर्ण करने के लिए, राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि (जी.आर.एफ) की स्थापना की है।

उक्त आदेशानुसार, गारंटी कमीशन/फीस के उदग्रहण का प्रावधान किया गया है जोकि गारंटियों का दो प्रतिशत है, जैसा कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹3.22 करोड़ की राशि गारंटी फीस/कमीशन के रूप में प्राप्त हुई।

1.11 ऋणप्रबंधन

1.11.1 ऋणक्रीरूपरेखा

जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में तथा प्रति व्यक्ति देयताओं को दिखाते हुए, तालिका 1.26 अंतिम पाँच वर्षों के बकाए लोक ऋण तथा अन्य देयताओं को प्रदर्शित करती है

तालिका 1.26: लोक ऋण तथा अन्य देयताओं का भार

वर्ष	वर्ष समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. (₹करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में देयताएं (प्रतिशत)
2012-13	40,265	74,623	53.96
2013-14	44,673	79,055	56.51
2014-15	48,314	92,773	52.08
2015-16	55,358	1,14,637	48.29
2016-17	62,219	1,15,654	53.80

राजकोषीय देयताओं में (क) बैंकों, वित्तीय संस्थानों, खुले बाजार तथा संघ सरकार (समेकित निधि में सभी लोक ऋण के रूप में परिकलित) से उधार के कारण देयताओं तथा (ख) राज्य भविष्य निधि, पेंशन/बीमा निधि, आरक्षित निधि तथा निक्षेपों (राज्य के सभी लोक लेखा के अंतर्गत परिकलित) के कारण अन्य देयताओं को शामिल किया जाता है। राजकोषीय देयताओं के आंकड़ें चिन्हित किए गए शीर्षों के अंतर्गत शेष को दर्शाते हैं तथा वर्ष समाप्ति पर नकद शेष (चाहे निवेश किए गए या नहीं) का लेखांकन नहीं किया जाता

है। वर्ष दर वर्ष, प्रति व्यक्ति बढ़ती देयताएं, राज्य पर जी.एस.डी.पी.के प्रतिशत के रूप में बढ़ते ऋण भार को प्रदर्शित करती है, यह सभी वर्षों में लगभग समान रहा।

1.11.2 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता से तात्पर्य, राज्य द्वारा भविष्य में ऋण सेवाओं की क्षमता से है। राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है, जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। विश्लेषण, बकाया ऋण की वृद्धि दर के मामलों में, राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, ऋण का पुनःभुगतान, तथा ऋण प्राप्ति और राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण का आंकलन करता है। तालिका 1.27 वर्ष 2012-13 से शुरू होकर, पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.27: ऋण स्थिरता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक ऋण	24,635	26,490	28,201	32,031	35,756
बकाए लोक ऋण की वृद्धि दर	8.56	7.53	6.46	13.58	11.63
जी.एस.डी.पी.	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
जी.एस.डी.पी.की वृद्धि दर	17.35	5.94	17.35	23.57	0.89
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज भुगतान/लोक ऋण का बकाया शेष+लोक ऋण का चालू शेष/2)	11	12	13	12	8
राजस्व प्राप्ति का ब्याज प्रतिशत	10.33	11.06	12.21	10.39	6.76
ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण भुगतान का प्रतिशत	72.34	69.09	83.33	73.84	82.04
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण	(-) 24	(-) 205	(-) 678	1367	890

स्रोत:- राज्य वित्त लेखे


वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार के लोक ऋण में ₹24,635 करोड़ से ₹35,756 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, वृद्धि दर 8.56 प्रतिशत से 11.63 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2016-17 से विगत वर्ष की तुलना में लोक ऋण 13.58 प्रतिशत से 11.63 प्रतिशत तक घट गया।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान, जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर में 5.94 प्रतिशत से 23.57 प्रतिशत के रुझान में बढोत्तरी दर्ज की गई, और तब वर्ष 2016-17 में वृद्धि दर 0.89 प्रतिशत कम हो गई, लेकिन तब भी लोक ऋण, औसत ब्याज दर से अधिक था जो वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान 12 और आठ प्रतिशत के बीच रहा। राज्य को ऋण प्राप्तियों पर निर्भर रहने की बजाय विवेक पूर्ण राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों को बढाने के प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक राजस्व प्राप्तियों के ब्याज के प्रतिशत में 10.33 प्रतिशत से 12.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2016-17 में 6.76 प्रतिशत तक घट गई। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण भुगतान का प्रतिशत 72.34 प्रतिशत से 82.04 प्रतिशत के बीच रहा।


निवल ऋण उपलब्धता की स्थिति जैसे आंतरिक ऋण, भारत सरकार तथा अन्य संसाधनों से ऋणों एवं अग्रिमों को (ब्याज भुगतान सहित) करने के बाद, वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक ₹1,367 करोड़ से ₹890 करोड़ तक स्थिति में सुधार हुआ।

1.11.3 विभिन्न राजकोषीय मानकों तथा उनके अनुपातों में रुझान

चार्ट 1.8



चार्ट 1.9



उपरोक्त चार्ट 1.8 सुझाव देता है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक ब्याज भुगतान और लोक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया। इसी प्रकार चार्ट 1.9 बताता है कि कुल व्यय से ऋण, जी.एस.डी.पी. से ब्याज, तथा राजस्व प्राप्तियों से ब्याज के संबंध में अनुपात भी वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान बढ़ गया है जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

1.11.4 बाजार उधार

सरकार की सभी बकाया देयताओं के सभी घटकों में से बाजार ऋण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उस पर ब्याज दरों को प्रशासित नहीं किया जाता है और ऊपर जा सकते हैं यदि बाजार की धारणा में सरकारी ऋण टिकाऊ नहीं है। तालिका 1.28 बाजार ऋणों के संदर्भ में, प्रमुख ऋण स्थिरता के संकेतको को प्रस्तुत करती है

तालिका 1.28: बाजार ऋणों के संदर्भ में प्रमुख ऋण स्थिरता संकेतक

(जहाँ प्रतिशत निर्दिष्ट है, उसके अलावा ₹करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल देयताएं	40,265	44,673	48,314	55,358	62,219
कुल लोक ऋण(वर्ष-समाप्ति)	24,635	26,490	28,200	32,031	35,756
कुल बाजार ऋण क (वर्ष-समाप्ति)	15,510	17,205	18,321	21,046	22,046

कुल देयताओं में बाजार ऋण की प्रतिशतता (प्रतिशत)	38.50	38.50	37.92	38.02	35.43
कुल लोक ऋण में बाजार ऋण की प्रतिशतता (प्रतिशत)	63.0	65.0	64.97	65.70	61.66
बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.00	7.88	7.60	7.17	7.77
बाजार ऋणों पर प्रदत्त ब्याज	1,178	1,289	1,574	1,639	1,906
जी.एस.डी.पी.	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	17.35	5.94	17.35	23.57	0.89
राजस्व प्राप्तियाँ	26,217	27,128	28,939	35,781	41,978
कुल ब्याज भुगतान	2,707	3,001	3,533	3,719	4,567
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	10.3	11.06	12.21	10.39	10.88
प्राथमिक घाटा	1,510	1,553	2,075	4,341	1,610
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में कुल देयताएं	52.35	51.01	54.95	60.27	53.80
बकाया गारंटियां	611	2,714	2,860	2,827	2,636

नोट:- 'शब्द' कुल देयताओं की परिभाषा के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रों से ऑफ बजट उधार भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, ऊपर दिखाए आंकड़ों में, सूचना के अभाव में इनको शामिल नहीं किया गया है।

राज्य सरकार की कुल देयताएँ वर्ष 2012-13 में ₹40,265 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹62,219 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 में ₹21,954 करोड़ की कुल देयताओं में, ₹6,536 करोड़ की वृद्धि में लगभग 30 प्रतिशत योगदान बाजार ऋणों द्वारा किया गया था। कुल सार्वजनिक ऋणों में बाजार ऋणों का प्रतिशत, वर्ष 2012-13 में 63.00 प्रतिशत था जो वर्ष 2016-17 में 61.66 प्रतिशत तक कम हो गया था।

1.11.5 ऋण के परिशोधन का प्रबंधन

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने 30 जनवरी 2012 को एक समेकित ऋण शोधन निधि का गठन अपनी बकाया देयताओं को चुकाने के लिए किया था दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष को वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ करके 2021-22 तक 2010-11 की समाप्ति पर कुल बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के न्यूनतम 10 प्रतिशत तक इस निधि में योगदान करना अपेक्षित है ताकि 2010-11 की समाप्ति पर इसे देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर किया जा सके। इसके

अतिरिक्त, इस वर्ष के बाद से वृद्धिशील देयताओं के संबंध में अंशदान वृद्धिशील देनदारियों के 0.5 प्रतिशत पर किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुमान स्तर तक पहुंच सके।

31 मार्च 2017 तक, इस निधि के अंतर्गत ₹248.51 करोड़ का शेष होना चाहिए {जिसमें ₹49.94 करोड़ का अपेक्षित योगदान भी शामिल है (₹15.63 करोड़ अर्थात् वर्ष 2010-11 के अंत में कुल बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत और ₹34.31 करोड़ अर्थात् 2016-17 की वृद्धिशील देयताओं का 0.5 प्रतिशत)} इसके प्रति ₹168.76 करोड़ (जिसमें, वर्ष 2016-17 में वस्तुतः योगदान किए गए ₹33.97 करोड़ शामिल है) वर्ष 2011-12 के बाद से निधि को हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार, कुल ₹79.75 करोड़ का कम योगदान रहा था। (जिसमें, वर्ष 2016-17 में ₹15.97 करोड़ का कम योगदान भी शामिल है) इस निधि के अंतर्गत शेष का निवेश नहीं किया गया था।

तालिका 1.29: वर्ष के दौरान उठाए गए ऋण का विवरण और भुगतान के लिए इसका उपयोग

(₹करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल उधार	वर्ष के दौरान भुगतान/प्रतिशत
2012-13	7,029	5,085 (72.34)
2013-14	6,002	4,147 (69.09)
2014-15	10,259	8,549 (83.33)
2015-16	14,645	10,815 (73.84)
2016-17	20,749	17,023 (82.04)

उक्त तालिका 1.29 से यह स्पष्ट है कि चालू उधार का 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग पूर्व ऋण के पुनः भुगतान के लिए किया गया था जिसमें 20 प्रतिशत से भी कम परिसंपत्तियों के सृजन अर्थात् पूंजीगत व्यय के लिए छोड़ा गया।

1.12 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय मापदंड-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय साधनों में लगभग सभी राजकोषीय असंतुलन को दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की क्रियात्मक बुद्धिमता का सूचक है।

1.12.1 घाटे में रुझान

तालिका 1.30 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान तीन प्रकार के घाटों पर समयबद्ध डाटा प्रदान करता है।


तालिका 1.30: घाटे के रुझान

(₹करोड़ में)

राजकोषीय सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व अधिशेष	1,100	70	(-)390	(-) 640	2,166
राजकोषीय घाटा	4,216	4,554	5,608	8,060	6,177
प्राथमिक घाटा	1,510	1,553	2,075	4,341	1,610

वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 की अवधि को छोड़कर वर्ष 2012-2017 की अवधि के दौरान राज्य ने राजस्व अधिशेष बनाए रखा। वर्ष 2016-17 में राजस्व अधिशेष (आरएस) ₹2,166 करोड़ था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान, राजस्व अधिशेष घाटे में बदल गया जो 2014-15 में ₹390 करोड़ था इसमें क्षय होकर ₹640 करोड़ हो गया। 2012-13 में राजकोषीय घाटा (एफडी) ₹4,216 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹6,177 करोड़ हो गया और उसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (पीडी) में भी ₹1,510 करोड़ से ₹1,610 करोड़ की वृद्धि रही। चार्ट 1.10 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में जीएसडीपी से संबंधित मुख्य घाटे के सूचकांकों में रुझानों को प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.10: घाटे के सूचक



1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय पैटर्न

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पैटर्न में एक संरचनात्मक बदलाव किया गया है, जैसा कि तालिका 1.31 में दिखाया गया है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत					
1. पूँजीगत व्यय	5,224	4,507	5,134	7,331	8,286
2. ऋण और अग्रिम	93	121	87	94	76
माध्यम से वित्तपोषित					
1. राजस्व अधिशेष	1,100	70	(-)390	(-)640	2,166
2. गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ	2	4	3	4	19
3. राजकोषीय घाटा	4,216	4,554	5,608	8,060	6,177
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित पैटर्न@					
1. बाजार उधार	2,008	1,919	1,811	3,926	3,815
2. भारत सरकार से ऋण	(-)64	(-)64	(-)100	(-) 96	(-)90
3. लघु बचतें, पीएफ़ इत्यादि	1,689	1,990	2,232	2,886	1,846
4. जमा और अग्रिम	189	158	376	112.39	949
5. उचंत और विविध	(-) 31	(-) 48	(-)237	(-) 131	(-)93
6. प्रेषण	(-) 615	1,169	2,545	(-) 208	(-)690
7. आरक्षित निधि	170	403	(-)677	214	334
8. आकस्मिकता निधि से निवल राशि की वसूली	-	-	-	-	-
9. नकद शेष की कमी (+) नकदी संतुलन के लिए अभिवृद्धि (-)	870	(-)972	(-)338	(+)874	(+)98

@ वर्ष के दौरान ये सभी आकड़े संवितरणों/प्रवाह के नहीं हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में राजस्व अधिशेष में ₹2,806 करोड़ की वृद्धि रही। राजकोषीय घाटे की भरपाई लोक लेखा से (जिनमें छोटी बचतें, भविष्य निधि, प्रेषण और आरक्षित निधियाँ इत्यादि प्रमुख भाग हैं) और बाजार उधार से की गई।

1.12.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे का अनुपात और मुख्य राजस्व घाटे और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिमों सहित) मुख्य घाटे का द्विभाजन राज्य के वित्तीय साधनों में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। राजकोषीय घाटे से

राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि वर्तमान उपभोग के लिए किस सीमा तक उधार ली गई राशि का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार का परिसंपत्ति आधार सतत संकुचित हो रहा था और उधार के (राजकोषीय देयताएं) एक हिस्से के लिए कोई परिसंपत्ति बैकअप नहीं था।

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान कारकों के द्विभाजन से राज्य का प्राथमिक घाटा या अधिशेष हुआ जो दर्शाता है (तालिका 1.32) कि उसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा किए गए पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों के संवितरण करने के कारण हुआ। अन्य शब्दों में, राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और कुछ प्राप्तियों को पूंजीगत लेखे के अंतर्गत पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय के तहत प्राथमिक व्यय के ऊपर उधार लेना पड़ा था। यह इंगित करता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण किस हद तक प्राथमिक घाटा हुआ है जो राज्य की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का द्विभाजन

(₹करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	प्राथमिक व्यय	पूंजीगत व्यय/प्राथमिक व्यय का प्रतिशत	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा(-)/अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (4/6)	8 (2-3)	9 (2-6)
2012-13	26,219	22,410	5,224	93	27,727	19	3,809	(-)1,508
2013-14	27,132	24,057	4,507	121	28,685	16	3,075	(-)1,553
2014-15	28,942	25,796	5,134	87	31,017	17	3,146	(-) 2,075
2015-16	35,785	32,701	7,331	94	40,126	18	3,084	(-) 4,341
2016-17	41,997	35,245	8,286	76	43,607	19	6,752	(-) 1,610

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय से अधिक थी जो केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहयोग के कारण इस व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। वर्ष 2012-13 में कुल प्राथमिक व्यय में ₹27,727 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹43,607 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹12,835 करोड़ की वृद्धि होने के कारण रही थी जबकि, वर्ष 2012-13 में पूंजीगत व्यय ₹5,224 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹8,286 करोड़ था। हालांकि, वर्ष 2012-13 में प्राथमिक घाटा ₹1,508 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹1,610 करोड़ हो गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान कारकों के द्विभाजन के परिणामतः सरकार का प्राथमिक घाटा और अधिशेष यह उजागर कराते हैं कि इस अवधि के दौरान प्राथमिक व्यय की तुलना में प्राथमिक घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों में धीमी गति से वृद्धि के कारण रहा था। इसलिए, राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि यह प्रवृत्ति निरंतर जारी रहती है तो ऋण स्थिरता गंभीर खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि आदर्श रूप से हर साल बढ़े हुए गैर-ऋण प्राप्तियों में न केवल वृद्धिशील प्राथमिक व्यय, बल्कि वृद्धिशील ब्याज का बोझ भी शामिल होना चाहिए।

1.13 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ़आरबीएम) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सरकारी दायित्व

जम्मू और कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ़आरबीएम) अधिनियम, वर्ष 2006-07 से लागू करने के लिए, 14 अगस्त 2006 को अधिनियमित हुआ था, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009-10 तक जीएसडीपी के घाटे को तीन प्रतिशत तक कम करना था। इसके अलावा, इसने राज्य सरकार पर कई अन्य राजकोषीय पारदर्शिता दायित्वों को रखा। एफ़आरबीएम अधिनियम के अंतर्गत सरकार पर आवश्यक दायित्व डाले गए, इसमें किए गए सुधार और इसके क्रियान्वयनों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 1.8 और परिशिष्ट 1.9 में दिया है।

1.13.1 संबंधित वित्त आयोगों की सिफ़ारशों के अंतर्गत राजकोषीय समेकन रोडमैप

- केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई बारहवें वित्त आयोग (टीएफ़सी) की सिफ़ारिशों में राज्य सरकार से पिछले पाँच वर्षों (2005-10) की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे तथा बकाया ऋण के लक्ष्यों की प्राप्ति के विशिष्ट राजकोषीय सुधार मार्ग के अनुरूप एफ़आरबीएम अधिनियम को बनाने/संशोधन की आवश्यकता थी। राज्य के लिए मुख्य लक्ष्य 2009-10 तक जीएसडीपी के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटे को प्राप्त करना था। राज्य टीएफ़सी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका और टीएफ़सी द्वारा अनुशंसित ऋण माफी और ब्याज राहत का लाभ नहीं उठा सका।
- तेरहवें वित्त आयोग (टीएचएफ़सी) ने उल्लेख किया कि जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, राजकोषीय समायोजन के उद्देश्यों के लिए राजस्व घाटा/अधिशेष का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि

अनुदान से सहायता के कारण सभी सरकारी खातों में राजस्व अधिशेष है, केंद्र सरकार को राज्य के गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, अप्रैल 2011 और अगस्त 2011 में राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करके वित्तीय घाटे और बकाया ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुकूलित राजकोषीय सुधार पथ निगमित किया गया।

- चौदहवें वित्त आयोग (एफआरएफसी) ने सिफारिश की कि राज्य सरकारें वित्तीय घाटे पर वैधानिक लचीली सीमाओं को प्रदान करने के लिए अपने एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन कर सकती हैं। केंद्र सरकार राजकोषीय रोडमैप को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन कर सकती है, प्रभावी राजस्व घाटे की परिभाषा को छोड़ सकती है और एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद की स्थापना को अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें अपने संबंधित एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करके वार्षिक बजट प्रावधान के उचित बहुविध कार्यों के लिए नए पूंजीगत निर्माण कार्यों की मंजूरी पर वैधानिक सीलिंग प्रदान कर सकती हैं।

तालिका 1.33 में राजकोषीय देयताओं और राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य और वास्तविक परिणाम, जैसा कि लेखों से गणना की गई है, का सारांश दिया गया है।

तालिका 1.33: तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय देयताओं और राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य

(राज्य के वास्तविक/प्रक्षेपित जीएसडीपी के प्रतिशत)

राजकोषीय मापदंड (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)/ वर्ष	2012-13 13 ^{वां} वि. आ	2013-14 13 ^{वां} वि. आ	2014-15 13 ^{वां} वि. आ	2015-16 14 ^{वां} वि. आ	2016-17 14 ^{वां} वि. आ
राजकोषीय घाटा - तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य/प्रक्षेपण	4.2	3.6	3	3	3
राजकोषीय घाटा-वास्तविक	5.5	5.2	6.38	8.77	5.34* 4.13**
राजकोषीय देयताएं - तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य/प्रक्षेपण@	53.6	51.6	49.3	51.42	49.25
राजकोषीय घाटा - सरकारी लेखें@	51.92	51.2	54.95	60.26	53.79* 52.58**

कुल देयताएं (पीएसयू इत्यादि की देयताओं सहित) एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
---	-----	-----	-----	-----	-----

@ जैसाकि पैरा 1.11.1 में राजकोषीय देयताओं के सृजन में प्रवृत्तियां दर्शाते हुए उल्लेख किया गया है, इन्हें बैंकों, वित्तीय संस्थानों, खुले बाजार से उधार के कारण वर्ष के अंत में बकाया देयताओं, केंद्र सरकार और राज्य भविष्य निधि/ पेंशन/ बीमा निधि, आरक्षित निधि और जमा के कारण अन्य देयताओं को शामिल करके संगणित किया गया है।

* उदय के साथ

** वर्ष 2016-17 के दौरान डीआईएससीओएमएस देयताओं के रूप में उदय के ₹1,397.55 करोड़ रहित उदय के बिना

तालिका 1.34 में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान वित्त आयोगों द्वारा किए गए राज्य-विशिष्ट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना की गयी है।

तालिका 1.34: तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण और वास्तविक राजकोषीय परिणाम

(₹करोड़ में)

मुख्य समुच्चय	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	13वां वित्त आयोग प्रक्षेपण	वास्तविक	13वां वित्त आयोग प्रक्षेपण	वास्तविक	13वां वित्त आयोग प्रक्षेपण	वास्तविक	14वां वित्त आयोग प्रक्षेपण	वास्तविक	14वां वित्त आयोग प्रक्षेपण	वास्तविक
जीएसडीपी	59,849	74,623	66,732	79,055	74,406	92,773	1,07,087	1,14,637	1,19,707	1,15,654
अपनी राजस्व प्राप्तियाँ	5,259	7,993	5,882	9,143	6,575	8,312	10,075	11,239	11,320	11,891
राज्य के अपने कर राजस्व	4,822	5,833	5,384	6,273	6,003	6,334	9,317	7,326	10,469	7,819
राज्य के अपने गैर-कर राजस्व	431	2,160	498	2,870	572	1,978	758	3,913	851	4,072
संघ करों/ शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी	3,925	3,870	4,630	4,142	5,536	4,477	8,748	7,814	10,029	9,489
गैर-योजना राजस्व व्यय	12,539	23,561	13,393	25,219	14,132	26,457	28,715	36,420	32,181	39,812
वेतन	5,736	10,298	5,924	10,843	6,115	11,733	एनए	14,763	एनए	15,122
पेंशन	2,192	3,463	2,411	3,592	2,653	3,686	4,378	3,781	4,816	4,216
ब्याज भुगतान	2,240	2,707	2,420	3,001	2,587	3,533	3,511	3,719	3,751	4,567
पूर्व-विचलन गैर-योजना राजस्व घाटा	7,280	15,568	7,511	16,076	7,558	18,145	18,640	17,859	20,860	25,921

पश्च-विचलन गैर-योजना राजस्व घाटा	3,355	8,074	2,881	8,845	2,096	11,203	9,892	153	10,831	5,534
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	53.6	53.96	51.6	56.51	49.3	52.08	51.42	48.29	49.25	53.79
राजकोषीय देयताएं	32,079	40,265	34,434	44,673	36,682	48,314	47,229	55,358	48,672	62,219

राज्यों के अपने कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का वास्तविक राजस्व 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से कम था। राजकोषीय दायित्व भी प्रक्षेपणों से अधिक था।

1.14 निष्कर्ष

राज्य की एक विशेष दर्जे का राज्य होने के कारण केंद्र सरकार से केन्द्रीय करों और अनुदानों में एक उच्च स्तरीय हिस्सेदारी थी। राज्य की केन्द्रीय संसाधनों पर निर्भरता वर्ष 2012-13 में 69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 72 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 2012-13 में कुल पूंजीगत व्यय में ₹5,224 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹8,286 करोड़ की वृद्धि थी वर्ष 2012-13 में राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर) ₹5,833 करोड़ से 2016-17 में ₹7,819 करोड़ हो गया।

सेवा कर एकमात्र केन्द्रीय कर है जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है। राज्य के कानून के तहत राज्य का अपना सेवा कर है। चूँकि केन्द्रीय सेवा कर राज्य पर लागू नहीं है, इसलिए राज्य पूरे देश में केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल सेवा कर में हिस्सेदारी का हकदार नहीं है।

14वें वित्त आयोग के अनुसार, 2016-17 के दौरान राज्य के हिस्से के रूप में संभावित सेवा संग्रहण ₹4,602.19 करोड़ होना चाहिए था, यानी केन्द्रीय सेवा कर (₹2,48,230.51 करोड़) में 1.854 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी जिसके प्रति राज्य ने ₹1,686.80 करोड़ का वास्तविक सेवा कर संग्रहित किया और ₹2,915.39 करोड़ छोड़ दिए।

केन्द्र सरकार ने सीएसएस योजनाओं जैसे एसएसए, एनआरएचएम, एमजीएनआरईजीए आदि के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि हस्तांतरित की है, जो सहायता-अनुदान के रूप में दी गई है और जिन्हें राजस्व प्राप्तियों के तहत लिया गया है, लेकिन परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत शीर्षों के तहत

व्यय वहन किया जा रहा है। इससे राजस्व अधिशेष और पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होती है।

बिजली विभागों के सीमा शुल्क के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की तुलना में राजस्व संग्रहण में ₹1,971 करोड़ की कमी थी तथा इस कमी के साथ-साथ ₹3,362 करोड़ की राशि बिजली की खरीदारी पर व्यय की गई थी।

अपने व्यय को निधि देने के लिए उच्च ब्याज दर वाले बाजार ऋणों पर सरकार की निर्भरता विकास निधि बनाने के लिए राज्यों के अपने राजस्व संसाधनों में सुधार के बजाय बढ़ती प्रवृत्ति पर थी। विकास पूंजीगत व्यय ने 2012-13 से 2014-15 तक निरन्तर घटने की प्रवृत्ति दर्ज की और 2015-16 व 2016-17 के दौरान हुई वृद्धि यह दर्शाती है कि विकासात्मक कार्य 2014-15 तक अपर्याप्त संसाधन प्राप्त कर रहे थे। 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान विकासात्मक पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 15.10 प्रतिशत से 15.60 प्रतिशत के बीच में थी।

₹एक करोड़ या उससे अधिक की लागत की 119 परियोजनाएं थी जो कि अपूर्ण थीं। 31 मार्च 2017 तक इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹392.95 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

राज्य ने तीन सांविधिक निगमों, 23 कम्पनियों आठ सहकारी संस्थाओं/स्थानीय निकायों, दो ग्रामीण बैंकों और दो संयुक्त कंपनियों में ₹803.74 करोड़ का निवेश किया था। ₹45.11 करोड़ का लाभ केवल जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड से आया था।

1.15 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- चूँकि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर है जो काफी हद तक अनियंत्रणीय है, राज्य सरकार राजस्व व्यय के अन्य घटकों सहित उपायों का पता लगा सकती है ताकि निधियों की उधारी का सहारा लेने में कमी हो सके,
- राज्य सरकार परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों का विश्लेषण कर सकती है और इच्छित लाभों को प्राप्त करने और उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम भी उठा सकती है, और
- राज्य सरकार विद्युत शुल्क की दरों के संचयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना भी तैयार कर सकती है।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे वास्तविक बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा प्रत्येक पुनः विनियोगों को सूचीबद्ध करते हैं तथा यह विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय की तुलना में बजट की प्रभारित तथा दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे वित्तों के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसीलिए ये वित्त लेखों के संपूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अन्दर है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों के तहत प्रभारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय प्रभारित है। ये यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा निर्देश के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखों का सार

वर्ष 2016-17 के दौरान, 29 अनुदानों/विनियोजनों के विशुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सार तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वास्तविक व्यय के तुलना में मूल/पूरक प्रावधानों की सार रूप में स्थिति

(₹करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय ¹	बचत (-)/अधिकता (+)	लौटाई गई राशि
दत्तमत	I-राजस्व	40,258.63	677.60	40,936.23	35,241.83	(-)5,694.40	शून्य
	II-पूंजीगत	18,029.30	1,516.50	19,545.80	8,421.30	(-)11,124.50	शून्य

¹ ये सकल आंकड़े राजस्व (₹39.00 करोड़) तथा पूंजीगत (₹135.77 करोड़) के तहत हुए व्यय की कमी को वसूली के साथ लेखों में समायोजित न करते हुए दर्शाए गए हैं।

	III-ऋण एवं अग्रिम	87.00	0.00	87.00	76.24	(-)10.76	शुन्य
कुल दत्तमत		58,374.93	2,194.10	60,569.03	43,739.37	(-)16,829.66	शुन्य
दत्तमत	IV-राजस्व	4,776.74	46.93	4,823.67	4,609.35	(-)214.32	शुन्य
	V-पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शुन्य
	VI-लोक ऋण का पुनः भुगतान	9,914.37	5,450.00	15,364.37	17,023.29	(+)16,58.92	शुन्य
कुल दत्तमत		14,691.11	5,496.93	20,188.04	21,632.64	(+)1,444.60	शुन्य
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई है तो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शुन्य
कुल योग		73,066.04	7,691.03	80,757.07	65,372.01	(-)15,385.06	शुन्य

राजस्व क्षेत्र के 24 अनुदान और चार विनियोजन तथा पूँजीगत क्षेत्र के 22 अनुदान के तहत ₹18,281.91 करोड़ की बचत, राजस्व क्षेत्र के पाँच अनुदानों तथा पूँजीगत क्षेत्र के तहत सात अनुदानों व एक विनियोजन के रूप में ₹2,896.86 करोड़ की अधिकता के परिणाम कुल बचत ₹15,385.06 करोड़ हुई।

दत्तमत क्षेत्र में, ₹2,194.10 करोड़ के रूप में अनुपूरक अनुदान आयुक्त सिद्ध हुए, जैसा कि ₹43,739.37 करोड़ भी ₹58,374.93 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। प्रभारित क्षेत्र में, ₹5,496.93 करोड़ का पूरक अनुदान ₹1,444.60 करोड़, अधिक व्यय के संदर्भ में अपर्याप्त सिद्ध हुए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 कुछ विभागों द्वारा विधायी अनुमोदन के कारण व्यय में अधिकता

ऐसे 12 मामलें थे, जहाँ व्यय एक करोड़ से अधिक था या किए गए प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक था। ऐसे मामलों में ₹18,751.25 करोड़ के अनुमोदित प्रावधान के एवज में, ₹21,647.53 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके पश्चात ₹2,896.28 करोड़ का व्यय प्रावधान से अधिक हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.3** में नीचे दिया गया है। वर्ष 2014-15 को छोड़कर वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक इन व्ययों में सतत 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई तथा उक्त अवधि के दौरान, एक अनुदान के संबंध में, व्यय की अधिकता की सीमा 26 प्रतिशत से 627 प्रतिशत तक थी, जैसा कि **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: अनुदान की सूची, जहाँ वर्ष 2012-17 के दौरान, व्यय में सतत् वृद्धि हुई

(₹करोड़ में)

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)					
08-वित्त विभाग	3,768.28 (286%)	2,916.09 (237%)	186.32* (2%)	2,225.82 (26%)	225.89 (627%)

(*कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें, वर्ष 2014-15 को छोड़कर, प्रावधानों से अधिक व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं)

शीर्ष के तहत, हुए सतत् अधिक व्यय के कारणों का राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया (सितंबर 2017)

2.3.2 अधिक व्यय वाले प्रावधानों को नियमित करने की आवश्यकता

तालिका 2.3 वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल वृद्धि के 13 मामलों, 12 अनुदानों एक विनियोग तथा राज्य की समेकित निधि से ₹2,896.86 करोड़ की अधिकृत राशि के सृजन का सार प्रस्तुत करती है:-

तालिका 2.3: वर्ष 2016-17 के दौरान, अधिक व्यय वाले प्रावधानों को नियमित करने की आवश्यकता

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल योग/ विनियोजन	व्यय	अधिक (प्रतिशत)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	03	योजना तथा विकास विभाग	72.71	248.73	176.02 (242)
2	16	लोक निर्माण विभाग	690.57	1,297.89	607.32 (88)
3	19	आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	672.67	690.32	17.65 (03)
4	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,071.88	1,099.66	27.78 (03)
5	28	ग्रामीण विकास विभाग	439.84	534.37	94.53 (21)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			2,947.67	3,870.97	923.30
II-पूँजीगत (दत्तमत)					
6	04	सूचना विभाग	1.50	2.97	1.47 (98)
7	05	लद्दाख कार्य विभाग	197.54	198.85	1.31 (01)

8	08	वित्त विभाग	36.00	261.89	225.89 (627)
9	11	उद्योग तथा वाणिज्यिक विभाग	152.90	233.72	80.82 (53)
10	15	उपभोक्ता मामलें तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	657.22	657.80	0.58 (1)
11	26	मत्स्य पालन विभाग	10.41	13.34	2.93 (28)
12	29	परिवहन विभाग	40.86	42.50	1.64 (04)
कुल (II-पूँजीगत दत्तमत)			1,096.43	1,411.07	314.64
III-पूँजीगत प्रभारित					
13	08	वित्त विभाग	15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल (III-पूँजीगत प्रभारित)			15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल योग (I+II+III)			19,408.47	22,305.33	2,896.86

राजस्व क्षेत्र में, पाँच अनुदानों में ₹923.30 करोड़ का अधिक व्यय था, जबकि पूँजीगत क्षेत्र में सात अनुदानों में ₹314.64 करोड़ की राशि का, तथा ₹1,658.92 करोड़ के एक विनियोजन के कारण, व्यय अधिक था। लोक ऋण के ₹1,658.92 करोड़ का पुनः भुगतान करने के कारण, ₹2,896.86 करोड़ बजट प्रावधान से अधिक व्यय होना एक मुख्य कारण था। इसी तरह, वर्ष 2015-16 के दौरान, लोक ऋण की अदायगी के कारण प्रावधानों में, समान रूप से अधिक व्यय देखा गया। यद्यपि, लोक ऋण तथा ब्याज भुगतानों की अदायगी राज्य सरकार की समेकित निधि पर एक प्रभारित व्यय है, लेकिन फिर भी समेकित निधि से दिए जाने वाले किसी भी आउटगो के लिए विधायी अनुमोदन आवश्यक है।

2.3.3 व्यय की अधिकता को नियमित करना

जम्मू और कश्मीर, संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह राज्य की विधान सभा द्वारा किए गए नियमित अनुदान/विनियोजन पर नजर बनाए रखें। यद्यपि, इस धारा के तहत, व्यय को नियमित करने की कोई समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है, व्यय की अधिकता का नियमन लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा विनियोजन लेखों पर पूर्ण चर्चा होने के बाद किया जाता है। जैसा कि वर्ष 1980-81 से लगातार विनियोजन लेखों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.)

द्वारा चर्चा नहीं की गई है। वर्ष 1980 से 2016 तक ₹1,04,767.43 करोड़ के बढ़ते व्यय को अभी राज्य की विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना है। जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में विस्तृत रूप से बताया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹2,896.86 करोड़ के हुए अतिरिक्त व्यय को शामिल करने के बाद, जो पूर्ववर्ती उप खंडों में सामने आए थे। दिनांक 31 मार्च 2017 को ₹1,07,664.29 करोड़ के स्तर पर पहुंची राशि को राज्य की विधान सभा द्वारा नियमित करने की आवश्यकता है।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट पुस्तिका के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर कोई व्यय नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया था कि लेखा के 49 मुख्य शीर्षों पर (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.4** में देखें) मूल अनुमानों/पूरक मांग में बिना कोई प्रावधान के और इस प्रभाव के पुनः विनियोजन आदेश के बिना ₹2,174.74 करोड़ का व्यय हुआ।

2.3.5 व्यय की बहुलता

जम्मू और कश्मीर वित्तीय कोड के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की बहुलता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, **तालिका 2.4** में सूचीबद्ध 23 अनुदानों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अंतिम तिमाही में मौजूदा वर्ष के लिए ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ। पिछली तिमाही में, व्यय का प्रतिशत, कुल व्यय के संदर्भ में, 35 से 97 प्रतिशत के बीच रहा। पिछली तिमाही में व्यय हुए, कुल ₹52,333.70 करोड़ में से, ₹10 करोड़ से अधिक व्यय होने वाली राशि वाले प्रत्येक मामले में ₹24,988.91 करोड़ की राशि का व्यय 23 अनुदानों में हुआ, जो कुल व्यय का 47.75 प्रतिशत है।

तालिका 2.4: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय की बहुलता के मामलों (₹करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान हुआ कुल व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
3	योजना एवं विकास विभाग	791.77	511.85	64.65
4	सूचना विभाग	51.31	24.76	48.26
5	लदाख मामले विभाग	763.21	741.44	97.15
6	विद्युत विकास विभाग	8,759.62	3,768.10	43.02
8	वित्त विभाग	26,331.65	12,285.50	46.66

9	संसदीय कार्य विभाग	48.48	16.97	35.00
10	विधि विभाग	196.75	73.67	37.44
11	उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग	452.75	249.39	55.08
12	कृषि विभाग	1,221.34	587.52	48.10
14	राजस्व विभाग	1,001.74	348.47	34.79
15	उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण विभाग	681.51	298.21	43.76
16	लोक निर्माण विभाग	2,717.40	1,534.33	56.46
17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,810.33	1,125.96	40.07
18	सामाजिक कल्याण विभाग	1,194.02	834.00	69.85
19	आवासीय तथा शहरी विकास विभाग	1,073.88	562.83	52.41
20	पर्यटन विभाग	326.62	189.73	58.09
22	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग	934.45	504.60	54.00
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,579.36	717.84	45.45
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	180.77	88.78	49.11
25	श्रम एवं रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग	144.55	106.68	73.80
26	मत्स्य पालन विभाग	78.23	28.00	35.79
27	उच्चतर शिक्षा विभाग	905.82	330.69	36.51
29	परिवहन विभाग	88.14	59.59	67.61
कुल		52,333.70	24,988.91	47.75

2.3.6 बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 49 मामलों में से प्रत्येक मामले में बचत एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान की 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई (परिशिष्ट 2.1)। कुल बचत ₹18,281.91 करोड़ राशि के प्रति 23 अनुदानों से संबंधित 33 मामलों में प्रकट हुई बचत ₹17,998.85 करोड़² को तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

² प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रुपये से अधिक।

तालिका 2.5: ₹50 करोड़ या इससे अधिक अनुदानों सहित बचतों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन के नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचते/ प्रतिशत
I- राजस्व (दत्तमत)						
1	01-सार्वजनिक प्रशासनिक विभाग	310.14	0.00	310.14	239.84	70.30 (23)
2	02-गृह विभाग	4,330.11	261.22	4,591.33	4,360.38	230.95 (5)
3	06-विद्युत विभाग	10,365.56	0.00	10,365.56	8,082.12	2,283.44 (22)
4	07-शिक्षा विभाग	6,419.37	66.27	6,485.64	5,132.66	1,352.98 (21)
5	08-वित्त विभाग	5,650.29	0.00	5,650.29	4,479.18	1,171.11 (21)
6	10-विधि विभाग	319.57	1.68	321.25	166.44	154.81 (48)
7	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	305.69	0.00	305.69	219.04	86.65 (28)
8	12-कृषि विभाग	1,009.95	0.00	1,009.95	934.32	75.63 (7)
9	13-पशुपालन	432.39	0.00	432.39	376.16	56.23 (13)
10	14-राजस्व विभाग	1,182.96	0.00	1,182.96	897.83	285.13 (24)
11	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग	2,433.21	0.00	2,433.21	2,375.49	57.72 (2)
12	18-समाजिक कल्याण विभाग	1,049.39	266.03	1,315.42	1,116.39	199.03 (15)
13	21-वन विभाग	717.54	0.00	717.54	589.91	127.63 (18)
14	22-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	550.59	0.00	550.59	480.64	69.95 (13)
15	24-आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	187.34	12.43	199.77	147.83	51.94 (26)
16	25-श्रम एवं रोजगार, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	105.01	0.00	105.01	50.83	54.18 (52)
17	27-उच्चतर शिक्षा विभाग	878.95	0.00	878.95	673.54	205.41 (23)
कुल-राजस्व (दत्तमत)		36,248.06	607.63	36,855.69	30,322.60	6,533.09
राजस्व (प्रभारित)						
18	08-वित्त विभाग	4,725.37	46.61	4,771.98	4,567.30	204.68(4)
कुल राजस्व (प्रभारित)		4,725.37	46.61	4,771.98	4,567.30	204.68(4)
कुल-I		40,973.43	654.24	41,627.67	34,889.90	6,737.77

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन के नाम	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचते/ प्रतिशत
II-पूँजीगत (दत्तमत)						
19	01-सार्वजनिक प्रशासनिक विभाग	251.38	0.00	251.38	11.85	239.53 (95)
20	02-गृह विभाग	541.75	0.00	541.75	106.31	435.44 (80)
21	03-योजना और विकास विभाग	2436.28	0.00	2436.28	543.05	1893.23 (78)
22	06-विद्युत विकास विभाग	2877.07	0.00	2877.07	699.46	2177.61 (76)
23	07-शिक्षा विभाग	1127.23	0.00	1127.23	312.45	814.78 (72)
24	12-कृषि विभाग	949.94	0.00	949.94	315.12	634.82 (67)
25	14-राजस्व विभाग	906.62	1405.67	2312.29	103.91	2208.38 (96)
26	16-लोक निर्माण विभाग	1856.99	0.00	1856.99	1436.57	420.42 (23)
27	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	603.40	0.00	603.40	434.84	168.56 (28)
28	18-सामाजिक कल्याण विभाग	458.46	10.37	468.83	77.63	391.20 (83)
29	19-आवासीय तथा शहरी विभाग	778.15	0.00	778.15	383.56	394.59 (51)
30	20-पर्यटन विभाग	342.08	30.77	372.85	178.03	194.82 (52)
31	22-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.20	0.00	785.20	453.81	331.39 (42)
32	23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	637.82	0.00	637.82	479.70	158.12 (25)
33	28-ग्रामीण विकास विभाग	1915.38	0.00	1915.38	1117.19	798.19 (42)
कुल-II-पूँजीगत (दत्तमत)		16,467.75	1,446.81	17,914.56	6,653.48	11,261.08
कुल योग- (I+II)		57,441.18	2,101.05	59,542.23	41,543.38	17,998.85

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2017) प्रत्येक अनुदान के प्रति पर्याप्त बचत (उपयोग में कमी) के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया था।

2.3.7 विशेष विभागों द्वारा सतत बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान, दस मामलों में से प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक, कुल अनुदान के दस प्रतिशत या उससे अधिक, राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के तहत तीन अनुदानों और एक विनियोजन और पूँजीगत (दत्तमत) अनुभाग में छह अनुदानों में निरन्तर बचत थी, जो तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान निरन्तर बचतों को दर्शाते हुए अनुदानों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. और नाम	बचतों की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व (दत्तमत)						
1	10-विधि विभाग	62.01 (33)	65.28 (32)	97.04 (34)	102.19 (37)	154.81 (48)
2	11-उद्योग और वाणिज्य विभाग	32.34 (15)	42.17 (18)	89.05 (33)	53.91 (19)	86.65 (28)
3	21-वन विभाग	69.18 (14)	58.36 (11)	133.20 (21)	95.01 (14)	127.62 (18)
राजस्व (प्रभारित)						
4	10-कानून	12.54 (39)	3.81 (14)	6.47 (22)	3.98 (13)	7.32 (21)
पूंजीगत (दत्तमत)						
5	06-विद्युत विभाग	170.59 (26)	485.02 (56)	250.25 (64)	707.60 (70)	2177.61 (76)
6	12-कृषि विभाग	122.09 (31)	159.06 (40)	222.70 (55)	179.63 (33)	634.82 (67)
7	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	61.42 (19)	32.80 (12)	235.89 (53)	496.95 (67)	168.56 (28)
8	19-आवासीय और शहरी विकास विभाग	235.05 (31)	672.87 (76)	568.44 (77)	220.61 (42)	394.59 (51)
9	25-श्रम एवं रोजगार, लेखा सामग्री और मुद्रण विभाग	78.16 (98)	102.52 (98)	76.70 (98)	31.79 (29)	14.54 (13)
10	28-ग्रामीण विकास विभाग	123.28 (30)	185.13 (48)	1104.58 (60)	496.69 (38)	798.19 (42)

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2017) इन शीर्षों के तहत निरन्तर बचतों के कारणों को नहीं बताया गया।

2.3.8 प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित न किया जाना

राज्य बजट नियम पुस्तिका के अनुसार, व्यय विभागों को बचत के प्रत्याशित होने पर वित्त विभाग को अनुदान और विनियोग या उसके भाग को अभ्यर्पित किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2016-17 के अन्त तक राजस्व क्षेत्र के तहत 24 अनुदान और तीन विनियोग के तथा पूंजीगत क्षेत्र के तहत 22 अनुदान थे जिनमें बचत हुई थी। हालांकि, उस वर्ष के दौरान संबंधित विभाग द्वारा बचतों के पूर्वानुमान में कोई भी अभ्यर्पण नहीं किया गया। इन मामलों में बचतें ₹18,281.91 करोड़ की थी, जिसमें 49 मामलों में ₹18,281.56 करोड़ भी शामिल थे (29 अनुदानों और तीन विनियोग सहित) और जिसमें बचतें एक करोड़ और अधिक की थी। **परिशिष्ट 2.2** में

प्रासांगिक विवरण उल्लेखित किया गया है। निधियों (बचतों) की गैर-अभ्यर्पित से निधियों को अन्य जरूरत मंद विभागों को हस्तांतरित करने के सरकारी अवसरों से वंचित कर दिया।

2.3.9 अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

11 मामलों में, नौ अनुदानों सहित (परिशिष्ट 2.6), ₹1,577.29 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्रत्याशित व्यय के रूप में मूल प्रावधान की अधिकता में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, ₹10,591.71 करोड़ के अंतिम व्यय ₹13,632.85 करोड़ के मूल अनुदान से कम थे। इस प्रकार ₹4,618.43 करोड़ की बचतें, समस्त अनुपूरक प्रावधान से अधिक हो गईं, जो निधि प्रेषण की अपर्याप्त प्रणाली और अतिरिक्त निधियों के अनावश्यक आबंटन को इंगित करता है।

पांच अनुदानों/विभागों (परिशिष्ट 2.7) में ₹65.35 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए, जो ₹710.36 करोड़ के अपूरित सकल अधिशेष व्यय को छोड़कर थे, जोकि ₹2,896.86 करोड़ की कुल अधिकता का 24.52 प्रतिशत बनता है। (तालिका 2.3)

2.3.10 एक करोड़ से अधिक के अनावश्यक बजट आबंटन

33 मुख्य शीर्षों सहित 20 अनुदानों में जहां ₹5,905.51 करोड़ राशि का (परिशिष्ट 2.11) अपने व्यय को पूरा करने के लिए अलग-अलग (विभिन्न) शीर्षों/योजनाओं के तहत प्रावधान किया गया था, परन्तु उस वर्ष के दौरान पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। जहां प्रावधान पर व्यय की अधिकता थी, वहाँ प्रावधान अन्य योजनाओं में पुनः विनियोजित किया जाना चाहिए था।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न होना

विभागों के नियन्त्रण अधिकारियों को खर्च पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण रखने, इसे बजट अनुदानों में रखे जाने और उनके लेखों की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य वित्तीय नियम में अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी लेखा बही में अभिलेखित व्यय का महालेखाकार (ले.व.ह), जम्मू व कश्मीर की लेखा बही में अभिलेखित व्यय के साथ प्रत्येक माह मिलान किया जाए। हालांकि विभाग के आंकड़ों के मिलान न किए जाने को उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में नियमित रूप से इंगित किया जाता है, इस संबंध में नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा की गई चूक निरन्तर बनी रही। वर्ष 2016-17 के दौरान 358 में से 184 नियन्त्रण अधिकारियों ने ₹28,281.07 करोड़ के

व्यय {₹48,097.71 करोड़ के कुल व्यय का 58.80 प्रतिशत (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)} और ₹36,594.12 करोड़ की प्राप्तियों {₹41,978.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 87.07 प्रतिशत (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)} का मिलान किया गया।

2.5 बजटीय प्रक्रियाओं में त्रुटियां

वर्ष 2016-17 में अनुदानों हेतु मांग की जांच से निम्नलिखित विहित खामियों को प्रदर्शित किया:

- ₹19,009.77 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान जो ₹80,757.07 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.53 प्रतिशत होता है उसे नियन्त्रण अधिकारियों के पास विभिन्न अनुदानों मांगों में, शीर्ष-वार/योजना-वार प्रावधानों के विवरण के बिना रखा गया, जो कि राज्य के वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। उस मुद्दे को पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उजागर किया था, परन्तु उपचारात्मक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई है।
- लेखों के पूंजीगत शीर्षों को अनुदानों की मांग में उप-शीर्ष स्तर पर बन्द किया जाता है। अनुदानों के लिए अनुमोदित मांग का वस्तु शीर्ष स्तर तक कोई भी विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

ये कमियां बजटीय प्रक्रिया को अशुद्ध बनाती हैं, इसके कारण विभागीय आकड़ों का महालेखाकर (ले.व.ह) जम्मू व कश्मीर द्वारा समेकित किए गए आंकड़ों के साथ मिलान करना कठिन है। उपरोक्त मामले को राज्य सरकार को समय-समय पर सूचित किया गया था। इस मामले में आगे की कार्रवाई प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।

2.5.1 बजटीय अनुदानों की चूक को टालने हेतु निधियों का आहरण

जम्मू व कश्मीर वित्तीय संहिता खण्ड-1 [नियम 2.16 (5) और नियम 2.33] के प्रावधानों के अनुसार खजाने से किसी भी प्रकार की निधि का आहरण, जब तक इसकी आवश्यकता तत्काल संवितरण के लिए न हो, नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, खजाने से निधि आहरण की अनुमति बैंकों में जमा रखने या सिविल जमावेशी के तहत बजटीय अनुदानों को व्यपगत को रोकने के लिए नहीं दी जाती है। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं कि लोक लेखा को समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचने हेतु सरकारी व्यय को सीधे समेकित निधि से किया जाना चाहिए।

लघु शीर्ष 800-अन्य जमा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के अधीन में यह देखा गया कि ₹50.25 करोड़ की राशि के आहरण के पश्चात भी ₹493.80 करोड़ की राशि शेष थी, ₹71.97 करोड़ राशि को लघु शीर्ष में जमा किया गया, जो कि अनावश्यक था। वर्ष के अन्त तक ₹515.52 करोड़ का संचित शेष समेकित निधि के तहत प्रमुख शीर्षों के लेखों से संबंधित रूप में प्रतिलेखित किए जाने चाहिए, जिससे ये मूलतः हस्तांतरित किए जाते थे जैसा कि आगामी वर्ष में, लघु शीर्ष के खातों से आहरण के लिए विधायी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार विनियोजन लेखा क्रियाविधि के द्वारा विधायी संवीक्षा से बचा जाएगा।

यह भी देखा गया कि उक्त नियमों के उल्लंघन में, वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में, कार्यकारी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी (आरएंडबी) डिवीजन, विशेष उप-प्रभाग, डोडा द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों के लिए ₹2.06 करोड़ की राशि का आहरण किया गया तथा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त डिवीजन द्वारा ₹1.65 करोड़ की राशि को लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8443-पीडब्ल्यू जमा) में जमा किया गया।

2.5.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

जम्मू व कश्मीर राज्य बजट नियम पुस्तिका में प्रावधान है कि राज्य का बजट नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभागीय अनुमानों पर आधारित होता है। विभागीय तथा जिला आंकलन, जहाँ तक संभव हो, दोनों सही होने चाहिए, तथा व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारियों का ध्यान उनको मिलना चाहिए, जो इनको प्रस्तुत करते हैं। यह देखा गया था कि वर्ष 2016-17 में संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹8,442 करोड़ कर राजस्व प्रोजेक्शन के तौर पर निर्धारित किए गए थे, जबकि ₹7,819 करोड़ की वास्तविक वसूली की गई, परिणामस्वरूप मूल्य, पूर्वानुमान से सात प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹623 करोड़ के रूप में सामने आया। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 में गैर-कर राजस्व के लिए ₹5,224 करोड़ प्रोजेक्ट के रूप में निर्धारित किए गए थे जबकि ₹4,072 करोड़ की वास्तविक वसूली की गई, परिणाम स्वरूप ₹1,152 करोड़ की कम वसूली हुई जो वास्तविक प्रोजेक्ट के मुकाबले 22 प्रतिशत कम थी। कर तथा गैर-कर राजस्व, प्रोजेक्शन के तुलना में अंतिम पाँच वर्षों के दौरान की गई वास्तविक वसूली तालिका 2.7 में निहित है।

तालिका 2.7: कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व के प्रोजेक्शन के तुलना में वास्तविक वसूली की स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	विवरण	राजस्व का संशोधित अनुमान	वास्तविक वसूली	अंतर	अंतर प्रतिशत के रूप में
2012-13	कर राजस्व	5,975	5,832	143	2.39
	गैर-कर राजस्व	2,819	2,160	659	23.38
2013-14	कर राजस्व	6,820	6,273	547	8.02
	गैर-कर राजस्व	3,400	2,870	530	15.59
2014-15	कर राजस्व	6,438	6,334	104	1.62
	गैर-कर राजस्व	3,154	1,978	1,176	37.29
2015-16	कर राजस्व	7,988	7,326	662	8.29
	गैर-कर राजस्व	3,455	3,913	(-)458	(-)13.26
2016-17	कर राजस्व	8,442	7,819	623	7.38
	गैर-कर राजस्व	5,224	4,072	1,152	22.05

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान, कर राजस्व की वास्तविक वसूली कर एकत्रित करने के अनुमान से 1.62 प्रतिशत से 8.29 प्रतिशत की भिन्नता में थी, जबकि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान गैर-कर राजस्व के मामले में यह 15.59 प्रतिशत से 37.29 प्रतिशत की भिन्नता में थी। वर्ष 2015-16 में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली अनुमान से 13.26 प्रतिशत अधिक थी, तथा वर्ष 2016-17 के दौरान, वसूली अनुमान से 22.05 प्रतिशत कम की रही।

2.5.3 सहायता अनुदान तथा सहायिकी में, गलत वर्गीकरण

किसी भी संस्थान/निकाय को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, सरकार के राजस्व व्यय के रूप में होना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹1,490.03 करोड़ के सहायता अनुदान में, ₹130.60 करोड़ की सहायिकी, ₹0.23 करोड़ की वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति, तथा ₹7.83 करोड़ वेतन तथा ₹555.25 करोड़ की खरीदी की परिचालन लागत पर, मुख्य पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत, भारत सरकार लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.-2) के पैरा नौ के विपरीत व्यय किए गए, जैसा कि तालिका 2.8 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.8: पूंजीगत शीर्षों के तहत, सहायता अनुदान तथा सहायिकी का संवितरण
(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	सहायता अनुदान	सहायिकी	वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति	वेतन	खरीदी की परिचालन लागत
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (सी.ओ)	47.78	--	--	--	--
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर सी.ओ.	--	0.02	--	--	--
4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर सी.ओ.	182.21	--	0.15	0.22	--
4210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर सी.ओ.	13.41	--	--	0.11	--
4215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर सी.ओ.	145.39	--	--	--	--
4217-शहरी विकास पर सी.ओ.	20.88	--	--	--	--
4225-एस.सी, एस.टी, तथा अन्य पिछड़े वर्ग पर सी.ओ.	10.76	--	0.08	0.04	--
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर सी.ओ.	--	--	--	0.35	181.12
4236-पोषण पर सी.ओ.	1.82	--	--	0.11	--
4250-सामाजिक सुरक्षा पर सी.ओ	--	--	--	0.04	--
4401-फसल पैदावार पर सी.ओ.	115.88	114.94	--	1.48	--
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर सी.ओ.	--	0.48	--	--	--
4403-पशुपालन पर सी.ओ.	0.25	0.17	--	--	--
4404-डेयरी विकास पर सी.ओ.	1.02	--	--	--	--
4405-मत्स्य पालन पर सी.ओ.	1.53	--	--	--	--
4406-वानिकी तथा वन्यजीवन पर सी.ओ	12.46	--	--	--	--
4408-खाद्य भंडारण तथा वेयरहाउस पर सी.ओ.	--	--	--	5.15	374.13
4415-कृषि अनुसंधान पर सी.ओ.	23.25	--	--	--	--
4425-सहयोग पर सी.ओ.	--	1.31	--	--	--

4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर सी.ओ.	896.24	--	--	--	--
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर सी.ओ.	--	13.61	--	0.23	--
5425- वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर सी.ओ.	--	0.07	--	--	--
5452-पर्यटन पर सी.ओ.,	--	--	--	0.09	--
5475-सामान्य आर्थिक सेवाओं पर सी.ओ.	17.15	--	--	0.01	--
कुल	1,490.03	130.60	0.23	7.83	555.25

2.6 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

2.6.1 पेंशन का अधिक भुगतान

31 मार्च 2017 के लिए वर्ष के अंत में, कोषागारो/उप-कोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (ले.व.ह) द्वारा निरीक्षण किया गया और विभिन्न कारणों, जैसे पेंशन की (अंकगणित की अशुद्धियों) की वजह से गलत गणना करना, पेंशन के रुपांतरित मूल्य के कारण पेंशन शुरू करने में देरी करना, निर्धारित तिथि से परे पेंशन की बढ़ी हुई दर का भुगतान करना, पेंशन के रुपांतरित मूल्य का गैर-समायोजन/अनियमितीकरण तथा विविध कारणों से ₹36.81 लाख की राशि की बढ़ोत्तरी, पेंशन के अधिक भुगतान के रूप में सामने आई।

जहाँ तक पेंशन भुगतान का संबंध है, कोषागार अधिकारी के स्तर पर नियंत्रण सख्त होना चाहिए था।

2.6.2 वेतन एवं लेखा/रक्षा कार्यालयों द्वारा पेंशन आदि की प्रतिपूर्ति न किया जाना

वह संव्यवहार, जो शुरुआत में राज्य के कोषागारों में संचालित होते हैं, लेकिन पी.ए.ओ./रक्षा कार्यालयों द्वारा समायोज्य होते हैं, उन्हें अंततः संभावित समायोजन के लिए उचंत कर दिया जाता है। मार्च 2017 के अंत में, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, नई दिल्ली, नियंत्रक रक्षा लेखा तथा एफ.ए.ओ. एवं सी.ए.ओ, उत्तर रेलवे की ओर से, राज्य कोषागारों द्वारा क्रमशः ₹173.50 करोड़, ₹5.09 करोड़ तथा ₹1.63 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, तथा जो कोषागारों द्वारा संबंधित तिमाही में वाउचरों की प्रस्तुति न

करने या केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, और रक्षा विभागों से प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, अभी भी राज्य सरकार के लेखों में समायोज्य है।

2.7 चिन्हित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

2.7.1 अनुदान सं. 23 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा 28 ग्रामीण विकास विभाग

बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, दो अनुदानों की जांचों अर्थात् अनुदान सं. 23 और 28 में की गई, जो निम्नलिखित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाती है।

2.7.2 अवास्तविक बजट प्रावधान

अनुदान सं. 23 और 28 की लेखापरीक्षा जांच यह बताती है कि राजस्व (दत्तमत) के साथ-साथ पूंजीगत (दत्तमत) दोनों क्षेत्रों में, बहुत ज्यादा बचत/अधिकता थी। जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.9: अनुदान सं. 23 और 28 में बचत/अधिकता

(₹करोड़ में)

अनुदान संख्या	राजस्व (दत्तमत)			पूंजी (दत्तमत)			कुल विनियोजन (राजस्व + पूंजी)	कुल व्यय (राजस्व + पूंजी)
	कुल विनियोजन	व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+) तथा %	कुल विनियोजन	व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+) तथा %		
23	1,071.88	1,099.66	(+)27.78 (3)	637.82	479.70	(-)158.12 (25)	1,709.70	1,579.36
28	439.84	534.37	(+) 94.53 (21)	1,915.38	1,117.19	(-)798.19 (42)	2,355.22	1,651.56
कुल	1,511.72	1,634.03	(+) 122.31 (8)	2,553.20	1,596.89	(-)956.31 (37)	4,064.92	3,230.92

अनुदान सं. 23 और 28 में राजस्व (दत्तमत) क्षेत्र के तहत, ₹27.78 करोड़ और ₹94.53 करोड़ अधिक होने के कारण, कुल ₹122.31 करोड़ (आठ प्रतिशत) उपलब्ध थे। पूंजीगत (दत्तमत) क्षेत्र में, ₹158.12 करोड़ और ₹798.19 करोड़ की बचत होने के कारण, ₹2,553.20 करोड़ बजट/विनियोजन के प्रति, क्रमशः कुल ₹956.31 करोड़ (37 प्रतिशत) उपलब्ध थे। यह दिखाता है कि या तो विभागों ने अवास्तविक बजट प्रावधान बनाए हैं या वर्ष 2016-17 के दौरान, राशि को वितरित नहीं किया गया है और जिसको वर्ष के दौरान लौटाया भी नहीं गया था। राजस्व (दत्तमत) क्षेत्र के तहत बढी हुई प्रतिशत, तीन प्रतिशत से 21 प्रतिशत की बीच रही, तथा पूंजीगत (दत्तमत)

के तहत, बचत 25 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की बीच रही, और कुल मिलाकर 37 प्रतिशत की बचत रही। इसके अलावा, अनुदान सं. 23 व 28 के राजस्व (दत्तमत) सेक्शन के तहत ₹122.31 करोड़ की समग्र बचत थी जिसको नियमित नहीं किया गया था।

2.7.3 प्रावधानों से अधिक होने वाले व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

जम्मू और कश्मीर, के संविधान की धारा 82 के अनुसार, यह राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित, नियमित अनुदान/ विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुदान संख्या 23 में ₹177.02 करोड़ अधिक हुए व्यय (परिशिष्ट 2.10) तथा अनुदान सं. 28 में, ₹212.03 करोड़ के अधिक हुए व्यय (परिशिष्ट 2.10) को नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

2.7.4 प्रत्याशित बचतों को न लौटाना

राज्य की बजट पुस्तिका के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों के लिए यह आवश्यक है कि जब और जैसे भी बचतों का प्रत्याशित अनुमान हो जाए तो, वह वित्त विभाग को अनुदान/विनियोजन या उनके बचे हुए भाग को लौटा दें। वर्ष 2016-17 के अंत में, अनुदान संख्या 23 (परिशिष्ट 2.9) के चार मामलों के संबंध में ₹306.09 करोड़ (30 प्रतिशत) में की बचत हुई तथा अनुदान संख्या 28 (परिशिष्ट 2.9) के 23 मामलों के संबंध में, ₹296.82 करोड़ (22 प्रतिशत) की बचत हुई जो संबंधित विभाग द्वारा लौटाई नहीं गई। इन महत्वपूर्ण बचतों ने भी, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया। यह बचत अधूरे नियंत्रण का संकेत देती है।

2.7.5 बजट प्रावधान के बिना हुआ व्यय

अनुदान संख्या 23 तथा 28 (परिशिष्ट 2.8) के 18 मामलों में या तो मूल अनुदानों में या पूरक अनुदानों में बिना कोई बजटीय प्रावधान किए ₹276.71 करोड़ की राशि का व्यय हुआ। ये सेवाएं, नई सेवाएं या नई सेवाओं का साधन हो सकती है, जिसके लिए कोई टोकन अनुदान भी प्राप्त नहीं किया गया।

2.8 स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा

एम.एस.ओ. के पैरा संख्या 2.2.37 तथा 38 के अनुसार, लेखापरीक्षा इस बात को जांचने की सुविधा प्रदान करता है कि क्या सक्षम अधिकारी के पास, व्यय की कुछ श्रेणियों के संबंध में, जैसे क्या व्यय, प्रावधानों पर एक वैध शुल्क है,

जिनसे इनको प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है और क्या संगत अनुदानों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति आदेश में शीर्षों का वर्गीकरण किया गया है या नहीं, को स्वीकृत करने की शक्ति थी या नहीं। स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 20 विभागों की स्वीकृतियों की 457 प्रतियां, वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त हुईं। इन स्वीकृतियों में निम्नलिखित विसंगतियां/कमियां पाई गईं।

2.8.1 अनुदानों की मांग के लिए बिना कोई प्रावधान के स्वीकृतियां जारी करना

विस्तृत शीर्ष, लघु शीर्ष तथा मुख्य शीर्ष आदि के स्तर पर ₹5,580.86 लाख की राशि सहित 41 स्वीकृतियों के लिए, मांग में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2.8.2 स्वीकृतियों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया

₹12,583.06 लाख की राशि के लिए 23 स्वीकृतियों में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया।

2.8.3 अधूरा वर्गीकरण

₹8,042.06 लाख की राशि के लिए, 12 स्वीकृतियों में अधूरा वर्गीकरण पाया गया। या तो मांग संख्या, लघु शीर्ष या विस्तृत शीर्ष, रिकार्ड में दर्ज स्वीकृतियों में नहीं पाए गए।

2.8.4 गलत वर्गीकरण

छह स्वीकृतियों में ₹1,100.30 लाख के लिए, गलत वर्गीकरण पाया गया।

2.8.5 वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में, स्वीकृतियां जारी करना

माह फरवरी 2017 से मार्च 2017 के दौरान, 34 स्वीकृतियों के लिए ₹3,642.98 लाख जारी किए गए।

2.9 निष्कर्ष

₹18,281.91 करोड़ की बचत और ₹2,896.86 करोड़ के आधिक्य को समायोजित करके विभिन्न अनुदानों तथा विनियोगों में ₹15,385.06 करोड़ की कुल बचत हुई।

जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 82 के तहत, दिनांक 31 मार्च 2017 तक ₹1,07,664.29 करोड़ के अधिक व्यय को, मार्च 2017 को समाप्त

स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण की आवश्यकता है। गृह, वित्त, विधि, उद्योग तथा वाणिज्यिक, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, वन, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, आतिथ्य तथा शिष्टाचार, परिवहन, उर्जा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवासीय तथा शहरी विभाग, श्रम, स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग तथा ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान, बड़ी मात्रा में बचत की गई। कई मामलों में वर्ष के अंत में माह मार्च में इन अप्रत्याशित बचतों की दूसरे विभागों द्वारा प्रयोग की संभावना को भी न छोड़ते हुए इन निधियों को लौटाया नहीं गया। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, विभागों में बजट पर नियंत्रण न होने को इंगित करते हुए व्यय की बहुलताओं के अतिरिक्त अपर्याप्त प्रावधानों तथा अनावश्यक/अधिक पूरक अनुदानों के भी उदारहण भी थे।

प्रत्याशित बचतों में से आवश्यक क्षेत्रों/कार्यों के लिए पुनः विनियोजन/निधि लौटाने संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं हुए।

कोषागारों की कार्य-प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा उपदान तथा पेंशन के अधिक भुगतान को दिखाती है।

वर्ष के अंत में, मुख्य शीर्ष-8443-सिविल जमा के अधीन, लघु शीर्ष-800-अन्य जमा के अंतर्गत, ₹515.52 करोड़ का संचित शेष है, जो कि समेकित निधि के अंतर्गत लेखा के मुख्य शीर्ष में प्रतिलेखित नहीं किया गया है, जहाँ से इन्हें मूल रूप से हस्तांतरित किया गया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹1,490.03 करोड़ की सहायता अनुदान राशि में ₹130.60 करोड़ की सहायिकी, ₹0.23 करोड़ की वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति, ₹783 करोड़ वेतन के रूप में तथा ₹555.25 करोड़ खरीदी की परिचालन लागत/सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पी.डी.एस. के द्वारा आवयक वस्तुओं की बिक्री के लिए व्यय के मुख्य शीर्ष के तहत वितरित किए गए।

2.10 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है :-

- सरकार को अधिक व्यय के लिए स्पष्टीकरण को समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए तथा विधायी अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहिए,
- सरकार को सभी सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, विशेषकर उन विभागों में जहाँ बचत/अधिकता नियमित रूप से देखी गई हो, और

- राज्य सरकार विधायी जांच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के अंत में संबंधित मुख्य/लघु शीर्षों के पास जमा खातों के अंतर्गत शेष के प्रति लेखन पर विचार कर सकती है।

अध्याय-III
वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

उचित तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक सहज आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रमुख रूप से राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो सामरिक योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल सुप्रबंधकता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता करते हैं।

3.1 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों की तुलना में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.) बिलों की प्रस्तुति में लम्बन

जम्मू व कश्मीर वित्तीय संहिता खंड-1 के पैरा 7.10 के अनुसार, वे बिल जो अदायगी के पश्चात प्रतिहस्ताक्षरित होते हैं उन्हें संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर अग्रिम अदायगी के रूप में निकासी की जाए। अधीनस्थ अधिकारियों को अनुगामी माह के अन्त तक डी.सी. बिल जमा कराने की आवश्यकता होती है इसके बाद ए.सी. बिल नियंत्रण अधिकारी के नाम पर बनाया जाता है और नियंत्रण अधिकारी को यह बिल इसकी प्राप्ति के विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत करना पड़ता है।

उल्लंघन में, ₹1,264.55 करोड़ की कुल राशि के 1,923 बिल (*परिशिष्ट 3.1*) 31 जनवरी 2017 तक विभिन्न आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा ए.सी. बिलों पर तैयार किए गए, समरूपी डीसी बिल महालेखाकार (ले.व.ह) जम्मू और कश्मीर (अगस्त 2017) को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। बकाया ए.सी. बिलों में से, ₹1,078.39 करोड़ 2014-15 तक संबंधित है, ₹108.36 करोड़ 2015-16 से संबंधित है और शेष ₹77.80 करोड़ वर्ष 2016-17 से संबंधित है। एक लंबी अवधि तक भारी मात्रा में डी.सी. बिलों के गैर-प्रतिपादन दुरुपयोग के जोखिम से भरा होता है।

इसके अतिरिक्त ₹429.91 करोड़ की राशि के 83 ए.सी. बिल वर्ष 2016-17 में आहरित किए गए, जिसमें से ₹154.95 करोड़ की राशि के 42 ए.सी. बिल (36.04 प्रतिशत) अकेले मार्च 2017 में ही आहरित किए गए और ₹107.86 करोड़ (69.60 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन में आहरित किए गए थे।

यह मामला समय-समय पर सरकार/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया। इस संबंध में राज्य वित्त विभाग द्वारा अनुदेश जारी करने के बावजूद भी

डीडीओ ने लंबित डीसी बिलों को महालेखाकार (ले.व.ह) को प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं इन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे विशेष उद्देश्यों के लिए सहायता-अनुदान (जीआईए) के रूप में विस्तारित किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा प्रदान की गई जीआईए की स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को राज्य द्वारा प्रदान किये गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	श्रीनगर नगर निगम	112.42	89.65	117.73	161.16	158.18	285.02
2	जम्मू नगर निगम	69.98	127.95	74.30	108.64	98.54	134.49
3	शहरी स्थानीय निकाय (कश्मीर)	62.39	50.32	74.49	87.36	56.03	1.95
4	शहरी स्थानीय निकाय (जम्मू)	41.30	35.03	36.97	62.94	76.65	69.61
5	एसकेयूएसटी* - कश्मीर	90.63	99.43	80.92	100.54	132.18	166.75
6	एसकेयूएसटी* - जम्मू	30.59	45.55	70.15	59.48	54.61	81.00
7	कश्मीर विश्वविद्यालय	61.85	83.94	82.60	114.67	156.80	145.84
8	जम्मू विश्वविद्यालय	63.70	58.66	74.08	76.14	85.80	124.00
9	जम्मू-कश्मीर खेल परिषद	10.26	13.55	21.76	16.93	19.52	24.55
10	जम्मू-कश्मीर कला और संस्कृति अकादमी	19.93	17.32	14.31	17.16	15.18	23.97
11	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)	10.51	8.70	9.63	10.47	10.13	12.14
12	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	12.01	14.72	19.46	7.48	17.47	13.11
13	अन्य	44.96	48.27	134.37	446.28	641.59	646.72
	कुल	630.53	693.09	810.77	1,269.25	1,522.68	1,729.15

* शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय जम्मू/कश्मीर

वित्तीय नियम बताते हैं कि विशेष उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदान, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही और सत्यापन के पश्चात ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए जाने चाहिए, इन्हें महालेखाकार (ले.व.ह), जम्मू व कश्मीर को उनकी स्वीकृति की दिनांक से 18 महीने के भीतर अग्रेषित किया जाए जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो जाए।

वर्ष 2016-17 के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) की स्थिति का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समय-वार बकाया राशि:

31 मार्च 2017 तक की स्थिति।

विलंब की सीमा (वर्षों की संख्या में)	कुल भुगतान किए गए अनुदान		उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए		उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया	
	मदों की संख्या	राशि (₹करोड़)	मदों की संख्या	राशि (₹करोड़)	मदों की संख्या	राशि (₹करोड़)
0-1	353	1,783.70	शून्य	शून्य	353	1,783.70
1-2	267	1,612.82	32	885.91	235	726.91
2 से ऊपर	6,175	3,710.25	5,883	2,782.85	292	927.40
कुल	6,795	7,106.77	5,915	3,668.76	880	3,438.01

31 मार्च 2017 तक की ₹3,438.01 करोड़ की राशि के कुल 880 यू.सी बकाया थे जिसमें से ₹726.91 करोड़ राशि के 235 यू.सी एक वर्ष से भी अधिक बकाया थे और ₹927.40 करोड़ की राशि के 292 यू.सी दो वर्षों से भी अधिक तक बकाया थे।

3.3 स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की प्रस्तुति में गैर-प्रस्तुति/विलम्ब

धारा 14 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा 49 निकायों के कुल 650 वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की जानी है इसे 31 मार्च 2017 तक भी नहीं किया गया था (परिशिष्ट-3.2) कथित अधिनियम की धाराओं 19(3) और 20(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा दस स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है, जैसा कि तालिका 3.3 में तालिकाबद्ध रूप से वार्षिक खातों को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तालिका 3.3: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं को जमा न करना

निकाय/प्राधिकारी का नाम	वर्षों की संख्याओं में विलम्ब	लेखों की संख्या	2016-17 के दौरान अनुदान (₹करोड़ में)	अभ्युक्तियां
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद, लेह (एल.ए.एच.डी.सी.-एल)	1-22	22	265.03	-

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद, कारगिल (एल.ए.एच.डी.सी.-के)	1-13	13	266.11	-
क्षतिपूरक वर्गीकरण प्रबन्धन और योजना प्राधिकारी (सी.ए.एम.पी.ए.)	1-8	08	एनए	इसकी शुरुआत से प्राधिकारण द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात नवम्बर 2009.
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1-6	06	154.00	-
शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, जम्मू	1-2	02	70.50	-
ई.पी.एफ बोर्ड, श्रीनगर	1-10	10	एनए	-
जम्मू और कश्मीर राज्य आवासीय बोर्ड	1-4	04	एनए	-
खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	0-1	01	13.11	-
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूबी)	1-3	03	एनए	-
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस.एल.एस.ए)	0-1	01	एनए	-
कुल		70	768.75	

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद, (एल.ए.एच.डी.सी.) लेह और (एल.ए.एच.डी.सी.) कारगिल की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। एलएचडीसी, लेह, लेखापरीक्षा को इसकी शुरुआत (1995-96) से ही लेखों को प्रस्तुत नहीं कर सका, हालांकि प्राप्त राशि परिषद को जारी की जा रही है और अव्ययित शेष राज्य सरकार के लोक लेखों में वर्ष के अन्त तक गैर-व्ययगत योग्य निधि के रूप में जमा रहा था। एलएचडीसी, कारगिल के संबंध में भी यही स्थिति है, जो वर्ष 2004-05 में अस्तित्व में आया था और जबसे इसकी शुरुआत हुई तब से इसके लेख भी बकाया हैं।

राज्य बजट से पर्याप्त राशि प्राप्त कर रहे इन निकायो द्वारा लेखों की प्रस्तुति में गैर-प्रस्तुति/विलंब एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जो कि वर्षों से विद्यमान है। इस अननुपालन के कारण से इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखों भी राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यकता होती है। जिसके तहत इन निकायों का सृजन किया गया। यह राज्य विधानमण्डल से उनकी कार्यकारिणी और वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपत्ति प्राप्त करने के अवसर से वंचित करता है।

3.4 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

विशेष सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों जो वाणिज्यिक प्रकृति की कार्यकारिणी कर रहे हैं उन्हें वार्षिक निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा तैयार करना होता है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक के समाप्त किए गए लेखों और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम उनके कार्य के संचालन में संपूर्ण वित्तीय स्थिति और कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अंतिम रूप दिए जाने की अनुपस्थिति में, सरकार का निवेश, सुधारात्मक उपायों, यदि किसी की आवश्यकता जवाबदेही की सुनिश्चितता और दक्षता में सुधार करने के लिए हो तो, इसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, जो विलंब है वो सार्वजनिक धन की कमी और धोखे के जोखिम से भरा हुआ है।

सरकारी विभाग के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उपक्रम इस तरह के खाते तैयार करें और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू और कश्मीर को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करें। सरकार के पास दो ऐसे विभागीय उपक्रम: (क) श्रीनगर और जम्मू में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत है। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालन के प्रोफार्मा लेखे बकाया राशि में हैं। दो सरकारी प्रेस 1968-69 से 2016-17 (अगस्त 2017) तक अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं कर पाई है। कश्मीर और लद्दाख डिवीजन में, विभागीय रूप से चलाए जानी वाली पी.डी.एस. दुकानों द्वारा पी.डी.एस का परिचालन सीधे किया जाता है। इन दो डिवीजनों में 1975-76 (संशोधित लेखें) से और (अगस्त 2017) के बाद से प्रोफार्मा लेखें तैयार नहीं किए गए। जम्मू डिवीजन में, पी.डी.एस. परिचालनों मुख्य रूप से निजी डीलरों के माध्यम से (लगभग 91 प्रतिशत) होते हैं और प्रोफार्मा लेखें 1973-74 से 1997-98 तक और 1999-2000 से 2016-17 तक तैयार नहीं किए गए हैं। 1998-99 के लिए तय प्रोफार्मा 2002-2003 (2017) के दौरान अंतिम रूप किया गया था।

राज्य में पी.एस.यू. प्रोफार्मा लेखें वर्ष वार स्थिति **परिशिष्ट 3.3** में दी गई है।

3.5 सरकारी लेखों में अस्पष्टता

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ अन्य व्यय केवल तभी परिचालित किए जाने को उद्दिष्ट होते हैं जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किए जाते हो। बजट और लेखाकरण से संबंधित 800 लघु शीर्षों के नियमित/सामान्य परिचालन, व्यय और राजस्व के उसके उपयुक्त उद्देश्य से संबंधित व्यय की पहचान किए बिना इसके अपारदर्शी लेखों को प्रयुक्त करता है। वर्ष के दौरान ₹10,828.76 करोड़ की राशि (विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की खरीदारी के कारण ₹2,770.24 करोड़ के राजस्व प्राप्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी इसमें

शामिल है, और लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित नहीं किए गए ₹41,978.47 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियों को 25.80 प्रतिशत लेखों के 37 राजस्व प्रमुख शीर्षों के तहत बनता है, इसे लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत अभिलेखित किया गया था। ठीक इसी प्रकार लेखों के 55 प्रमुख शीर्षों के तहत ₹5,330.99 करोड़ व्यय जो ₹48,097.71 करोड़ के कुल व्यय का 11.08 प्रतिशत बनता है इसे लघु शीर्ष के तहत 800-अन्य व्यय के रूप से बुक किया गया था, उसमें से ₹2097.56 करोड़ की राशि प्रासांगिक लघु शीर्ष के तहत बुक की जा सकती थी।

3.6 संविदाओं की बकाया देयताएं

वर्ष 2016-17 के लिए राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं प्रमुख निर्माण कार्यों और संविदाओं पर (₹496.02 करोड़), भूमि अधिग्रहण प्रभार (₹1,038.61 करोड़) और निर्माणों/आपूर्ति पर अप्रदत्त बिल (₹347.53 करोड़) पर ₹1,882 करोड़ थी। राज्य सरकार संविदाओं द्वारा निर्माण करवा रहे थे वो भी विधानमंडल से निधियों के प्रावधान के बिना और संविदाओं के अदायगी नहीं की जा रही है और जिसके परिणामस्वरूप इस लेखे पर देयताओं का सृजन हुआ।

3.7 निष्कर्ष

विभिन्न आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी 2017 तक ए.सी. बिलों पर ₹1,264.55 करोड़ की कुल राशि का आहरण करने के बावजूद, समरूपी डी.सी. बिलों को महालेखाकार (ले.व.ह.) जम्मू व कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2015-16 की तुलना में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों से संबंधित स्थिति में वृद्धि हुई। 880 यू.सी. की कुल संख्या के लिए ₹3,438.01 करोड़ की राशि 31 मार्च 2017 तक बकाया रही। जो दत्तमत क्षेत्र के तहत ₹43,739.37 करोड़ राशि का कुल व्यय 7.86 प्रतिशत था।

वर्ष 1972-73 से लेकर 2016-17 तक 49 स्वायत्त निकायों के 650 वार्षिक लेखें 31 मार्च 2017 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रतिक्षित थे।


विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपकर्मा द्वारा वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की मूल आवश्यकताओं के साथ अनुपालन न होने के कारण वित्तीय से संबंधित रिपोर्टिंग शुद्ध और विश्वसनीय नहीं हो सकती।

लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्तियों के तहत बुक की गई राशि का वर्गीकरण लेखों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत नहीं करता है।

3.8 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:-

- राज्य सरकार आकस्मिक बिलों पर आहरित की गई नकदी के समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक नियमों के तहत जरूरी कार्रवाई कर सकती है,
- राज्य सरकार अनुदेयी संस्थाओं से संबंधित उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध के उपयोगी प्रमाण-पत्रों की सामयिक प्रस्तुति पर विचार कर सकती है,
- राज्य सरकार (स्वायत्त निकायों) लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की सामयिक तैयारी पर विचार कर सकती है, और
- राज्य सरकार मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों तथा व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों में संयुक्त करने के बजाय विभिन्न योजनाओं के तहत स्पष्ट रूप से प्राप्त राशियों और किए गए व्यय को दर्ज करने पर विचार कर सकती है।



(सुशील कुमार ठाकुर)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

श्रीनगर/ जम्मू

दिनांक: 2 फरवरी 2020

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक: 11 फरवरी 2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1 (संदर्भ: पैराग्राफ: 1) जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल					
क. सामान्य डेटा					
क्र. सं.	विवरण				आंकड़े
1	क्षेत्र				2.22 लाख वर्ग किमी.
2	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				1.25 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति स्क्वेयर किमी.)				124 प्रति वर्ग किमी.
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)				10.4
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)				67.2
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)। (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म (2015))				26
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष 2011-15)				73.2
8	गिनी गुणांक (जनसंख्या के बीच आय की असमानता का एक प्रमुख मान दर शून्य से एक तक है। शून्य के करीब मूल्य इंगित करता है कि असमानता कम है और इसके विपरीत) [2009-10]				
	क.	ग्रामीण (अखिल भारत = 0.29)			0.24
	ख.	शहरी (अखिल भारत = 0.38)			0.31
9	सामान्य श्रेणी राज्यों (जम्मू और कश्मीर) के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)				13.8
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)		जम्मू और कश्मीर		15.2
			अन्य विशेष श्रेणी राज्यों		15.7
11	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		जम्मू और कश्मीर		11.7
			अन्य विशेष श्रेणी राज्यों		11.4
ख. वित्तीय डेटा					
क्र.सं.	विवरण (सीएजीआर)	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		विशेष श्रेणी राज्यों	जम्मू और कश्मीर	विशेष श्रेणी राज्यों	जम्मू और कश्मीर
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.40	13.19	14.44	17.32
ख.	स्वयं के कर राजस्व	17.20	16.93	4.99	14.31
ग.	गैर कर राजस्व	6.58	21.80	21.61	4.06
घ.	कुल व्यय	11.78	13.48	18.78	9.87
ड.	पूँजीगत व्यय	6.178	8.86	50.62	13.03
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.30	21.54	13.86	4.61
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	17.91	18.70	20.55	4.83
ज.	वेतन और मजदूरी	15.59	16.52	4.41	0.77
झ.	पेंशन	17.87	15.51	11.76	11.50

परिशिष्ट - 1.2

भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र

सरकारी खातों की संरचना: राज्य सरकार के खातों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष बिलों, आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसका शीर्षक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित राज्य की समेकित निधि।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास एक अग्राह्य है ताकि वह तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम कर सके, लंबित विधायिका द्वारा प्राधिकार। ऐसे व्यय के लिए विधानमंडल का अनुमोदन और संचित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के लिए बाद में प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की वसूली निधि को की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत व्यवस्थित लोक लेखा; लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखों में रखा जाता है और राज्य विधान मंडल के विषयाधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त खातों का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों और संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार और अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण
विवरण सं. 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अलावा व्यय के लिए धन के स्रोतों और उपयोग का विवरण

विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखों के तहत शेष राशि का सारांश
विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष और उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधार और अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेनदेन पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	ईयरमार्कड शेष के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट - 1.3

वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय चर के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के तहत विधायिका में बनाये गये अन्य विवरणों में (परिशिष्ट 1.2 के भाग ख) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों और पैटर्न का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर और गैर-कर राजस्व, राजस्व और पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय चालू बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया। जीएसडीपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय चरों के लिए उछाल गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों की जुटाव, व्यय का पैटर्न आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं। विगत पांच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
चालू कीमतों पर भारत जीडीपी (₹ करोड़ में)	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086	1,51,92,588
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.90
स्थिर कीमतों पर राज्य जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	76,916	87,570	87,921	91,850	98,826
चालू कीमतों पर राज्य जीएसडीपी ¹ (₹ करोड़ में)	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
जीएसडीपी की वृद्धि दर	12.80*/ 17.35**	13.85*/ 5.94**	0.40*/ 17.35**	4.46*/ 23.57**	7.59*/ 0.89**

स्रोत: * अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू और कश्मीर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेब साइट, भारत सरकार

स्रोत: (एफआरबीएम, वित्त विभाग, जे एंड के और भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय योजना वित्त विभाग-1 डिविजन

*स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर

**चालू मूल्य पर वृद्धि दर

¹ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए जीएसडीपी के आंकड़े राजकोषीय पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान मूल्यों के आधार पर 2012-13 से 2016-17 तक के हैं।

शर्तें	गणना का आधार
एक मानदंड में उछाल	मानदंड/जीएसडीपी गोथ की वृद्धि की दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में एक मानदंड का उछाल (एक्स)	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
विकास दर (आरओजी)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि})-1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवा + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] * 100$
ऋण बकाया के लिए ब्याज प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{शेष राशि} + \text{ऋणों और अग्रिमों का अंत शेष})/2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण और अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजी प्राप्तियाँ
प्राथमिक कमी	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के अपने कर राजस्व + राज्य के अपने गैर-कर राजस्व)
राज्य की अपनी कमी	राजकोषीय घाटा-केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी-केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान
गैर नियोजित राजस्व गैप	राजस्व कमी - 'योजना' लेखे पर राजस्व कमी = राजस्व कमी - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2: पैराग्राफ: 1.2.1 और पैराग्राफ: 1.4)

राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा

(₹ करोड़ में)

भाग - क प्राप्तियाँ					
राजकोषीय सकल	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क) + (ख)	26,217	27,128	28,939	35,781	41,978
(क) कर राजस्व	9,703 (37)	10,415 (38)	10,811 (37)	15,141 (42)	17,308 (41)
i) राज्य करों से राजस्व	5,833 (22)	6,273 (23)	6,334 (22)	7,326 (20)	7,819 (19)
जो कि					
बिक्री, व्यापार, पर कर आदि	4,174 (72)	4,579 (73)	4,602 (16)	5,277 (15)	6,012 (77)
राज्य उत्पाद शुल्क	421 (7)	440 (7)	466 (2)	533 (2)	569 (7)
वाहनों पर कर	118 (2)	134 (2)	132 (1)	145 (0.43)	150 (2)
टिकट और पंजीकरण शुल्क	240 (4)	261 (4)	248 (1)	264 (1)	227 (4)
भू-राजस्व	96 (2)	16 (1)	15 (0.05)	12 (0.03)	17 (0.28)
अन्य कर	784 (13)	843 (13)	871 (5)	1,095 (3)	844 (11)
ii) केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,870 (15)	4,142 (15)	4,477 (15)	7,814 (22)	9,489 (23)
ख) गैर-कर राजस्व	16,514 (63)	16,713 (62)	18,127 (63)	20,640 (58)	24,670 (59)
(i) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	2,160 (8)	2,870 (11)	1,978 (7)	3,913 (11)	4,072 (10)
जिसमें से					
बिजली विभाग प्राप्तियाँ	1,589 (74)	1,533 (53)	1,428 (72)	1,477 (38)	2,770 (68)
(ii) संघ सरकार से सहायता अनुदान	14,354 (55)	13,843 (51)	16,150 (56)	16,728 (47)	20,598 (49)
राज्य के स्वयं के राजस्व	7,993	9,143	8,312	11,239	11,891
(क) (i) + (ख) (i)					
केंद्र से राजस्व स्थानान्तरण	18,224	17,985	20,627	24,542	30,087
(क) (ii) + (ख) (ii)					
2. विविध पूंजी प्राप्तियाँ (ऋण और अग्रिमों की वसूली)	2	4	3	4	19
3. सकल सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ (राजस्व धन अग्रिमों की प्राप्तियों सहित)	7,029	6,002	10,259	14,645	20,749
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	33,248	33,134	39,200	50,430	62,746
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	0.55	0	0
6. सकल सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ (विभागीय नकदी चेस्ट और नकदी शेष निवेश में प्राप्तियाँ सहित)	33,438	32,406	37,242	49,546	35,983
सकल प्राप्तियाँ (4+5+6)	66,686	65,540	76,443	99,976	98,729

सार्वजनिक खाता रसीद (नेट) विभागीय नकदी चेस्ट और नकदी शेष निवेश में प्राप्तियाँ शामिल सहित।	1,974	2,790	3,906	4,312	2,396
भाग - ख संवितरण					
राजकोषीय सकल	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. राजस्व व्यय	25,117	27,058	29,329	36,420	39,812
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(83)	(85)	(85)	(83)	(83)
(क) योजना/सीएसएस	1,557 (6)	1,839 (7)	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य/जनरल	23,560 (93)	25,219 (93)	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)
(i) सामान्य सेवाएँ (ब्याज सहित भुगतान)	10,614 (42)	11,374 (42)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)
(ii) सामाजिक सेवाएँ	5,548 (22)	6,319 (23)	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	7,399 (29)	7,526 (28)	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)
2. पूंजीगत व्यय	5,224	4,507	5,134	7,331	8,286
(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)	(17)	(15)	(15)	(17)	(17)
(क) योजना/सीएसएस/सीए	4,971 (95)	4,172 (93)	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य	253 (5)	335 (7)	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)
(i) सामान्य सेवाएँ	637 (12)	648 (14)	608 (12)	1,112 (17)	769 (9)
(ii) सामाजिक सेवाएँ	1,599 (31)	1,230 (28)	1,608 (31)	2,674 (36)	2,306 (28)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	2,989 (57)	2,629 (58)	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)
3. ऋण और अग्रिम के संवितरण	93	121	87	94	76
	(↓)	(↓)	(↓)	(↓)	(↓)
4. कुल (1+2+3)	30,434	31,686	34,550	43,845	48,174
5. सार्वजनिक ऋण का सकल पुनः भुगतान (राजस्व धन अग्रिम पुनः भुगतान सहित)	5,085	4,147	8,549	10,815	17,023
आंतरिक ऋण (राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,265	1,218	1,213	1,485	1,951
राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	-	-	226	0	890
भारत सरकार ² की ओर से ऋण और अग्रिम	78	79	112	113	114
6. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	-	0	0
7. समेकित निधि में से सकल संवितरण (4 + 5)	35,519	35,833	43,099	54,660	65,197
8. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	0	0
9. सकल लोक लेखा संवितरण	31,464	29,616	33,336	45,234	33,587
10. सकल संवितरण (7+8+9)	66,983	65,449	76,435	99,894	98,784
11. नकदी शेष में वृद्धि	(-) 297	972	338	82	(-) 55
12. कुल योग	66,686	66,421	76,773	99,976	98,729

² राजस्व धन अग्रिमों सहित

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय)	1,100	70	(-390)	(-) 640	2,166
2. राजकोषीय घाटा सार्वजनिक ऋण और अन्य देन दारियों के मोचन को छोड़कर कुल व्यय - कुल गैर - ऋण	4,216	4,554	5,608	8,060	6,177
3. प्राथमिक घाटे (राजकोषीय घाटा - ऋण भुगतान)	1,510	1,553	2,075	4,341	1,610
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	2,707	3,001	3,533	3,719	4,567
5. राजस्व की बकाया राशि	1,614	1,433	1,399	1,399	1,468
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि	2,084	1,481	1,535	1,523	1,729
7. राजस्व घन अग्रिम/उपयोग किया गया ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	119 (9 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	107 (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	207 (2 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	215 (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)	242 (2 दिनों में ओवरड्राफ्ट)
8. डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	6	4	9	13	19
9. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	3,286	3,152	10,033	14,645	20,749
10 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी ³)	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया सार्वजनिक ऋण ⁴ (वर्ष अंत)	24,635	26,490	28,201	32,031	35,756
12. बकाया की गारंटियाँ (वर्ष के अंत में)	611	2,714	2,860	2,827	2,636
13. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष अंत)	2,650	4,656	4,232	4,214	4,270
14. अधूरी परियोजनाओं की संख्या	202	267	671	938	119
15. अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	685	832	1,902	1,734	393
कुल व्यय/जीएसडीपी	40.78	40.08	32.24	38.25	41.65
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	86	86	84	82	87
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83	85	85	83	83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23.48	23.82	29.26	31.94	29
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	34.13	32.05	33.88	34.12	38
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	17.17	14.22	14.86	16.72	17.20
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	15.08	12.18	13.10	14.18	15.60
जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व अधिशेष	1.47	0.09	(-)0.42	(-) 0.56	1.87
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा	5.64	5.76	6.04	7.03	5.34
जीएसडीपी के % के रूप में प्राथमिक घाटा	2.02	1.96	2.24	3.79	1.39
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	एनए	एनए	6.95	8.08	एनए
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	53.96	56.51	52.08	48.29	53.79
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	153.58	164.67	166.95	154.71	148.22
ऋण शोधन (मूल + ब्याज) /वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियाँ	90.75	89.41	99.39	99.24	104.05
निवेश पर धन वापसी	87.35	128.88	128.88	54.13	45.11
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं	1.36	1.36	1.28	1.23	1.24

³ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर जीएसडीपी के आंकड़े।

⁴ केवल केन्द्र सरकार से आंतरिक ऋण तथा उधार और अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2)

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण			
विभिन्न मद	2015-16	2016-17		विभिन्न मद	2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	6	7	8
भाग-क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्ति	35,780.60		41,978.47	I. राजस्व व्यय	36,420.40		39,812.18
कर राजस्व	7,326.19	7,819.13		सामान्य सेवाएँ	13,674.92	15,110.66	
गैर-कर राजस्व	3,912.79	4,072.19		सामाजिक सेवाएँ	11,330.96	11,563.68	
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,048.69	5,769.91	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,369.31	2,375.49	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	7,813.48	9,488.60		जल आपूर्ति, स्वच्छता/एचएंडयूडी	1,729.86	1,900.83	
				सूचना और प्रसारण	44.94	48.34	
गैर-योजना अनुदान	11,135.59	12,776.41		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	98.07	95.52	
				श्रम और श्रम कल्याण	58.39	31.59	
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	4,364.95	7,765.93		समाज कल्याण और पोषण	952.86	1311.38	
				अन्य	28.84	30.62	
केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान	1,227.60	56.21					
विशेष योजना स्कीम के लिए अनुदान				आर्थिक सेवाएँ	11,414.52	13,137.84	
				कृषि और सहायक गतिविधियाँ	1,774.23	1,954.71	
				ग्रामीण विकास	573.50	515.77	
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	554.31	564.90	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	497.95	506.67	
				ऊर्जा	6,835.34	8,060.17	
				उद्योग और खनिज	323.07	303.28	
				परिवहन	424.64	777.64	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	28.93	28.24	
				सामान्य आर्थिक सेवाएँ	402.55	426.46	
II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	639.80		-	II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष			*2,166.29
कुल भाग-क	36,420.40		41,978.47	कुल भाग-क	36,420.40		41,978.47

* ₹1,397.55 करोड़ की सीमा तक उदय बांड से प्राप्त व्यय को छोड़कर राजस्व अधिशेष ₹3,563.84 करोड़ है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ				संवितरण			
विभिन्न मद	2015-16	2016-17		विभिन्न मद	2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	6	7	8
भाग ख: पूंजीगत							
III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित आदि नकद शेष	1,400.76		526.90				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0		0	III. पूंजीगत आउटले	7,330.93		8,285.53
				सामान्य सेवाएं	1,111.54	768.71	
				सामाजिक सेवाएं	2,673.81	2,305.78	
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	553.91	566.01	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	240.73	434.85	
				जलापूर्ति, स्वच्छता/एच एंड यूडी	698.43	863.26	
				सूचना एवं प्रसारण	6.05	2.97	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	36.88	36.43	
				समाज कल्याण और पोषण	1,061.54	311.24	
				अन्य सामाजिक सेवाओं	76.27	91.02	
				आर्थिक सेवाएं	3,545.58	5,211.04	
				कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	676.19	732.67	
				ग्रामीण विकास	811.79	1,117.19	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	209.20	198.32	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	372.95	466.62	
				ऊर्जा	298.61	699.46	
				उद्योग और खनिज	154.17	204.35	
				परिवहन	399.95	831.85	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	26.55	9.59	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.17	950.99	
V. ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति	4.09		19.37	IV. ऋण और अग्रिम संवितरण	93.79		76.24
उद्योग और खनिज	0.63	2.50		उद्योग और खनिज	45.93	32.49	
ऊर्जा				परिवहन	30.00	30.00	
सरकारी कर्मचारी	0.81	1.17		सरकारी कर्मचारी	0.85	2.45	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
विभिन्न मद	2015-16	2016-17		विभिन्न मद	2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य	2.65	15.70		अन्य	17.01	11.30	
VI. राजस्व अधिशेष	--	2,166.29		V. राजस्व घाटा	639.80	0.00	
VII. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	14644.99	20,748.53		VI. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	10815.08	17,023.29	
आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	14,627.78	20,723.83		आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	10701.54	16,908.71	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	17.21	24.70		भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	113.54	114.58	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन				ओवरड्राफ्ट सहित राजस्व धन अग्रिमों के तहत निवल लेनदेन			
VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	--	--		VII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	--	--	
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	--	--		VIII. आकस्मिक निधि से व्यय	0.05	0.10	
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,450.54	21,811.06		IX. लोक लेखा संवितरण	24,093.83	19,458.37	
लघु बचत और भविष्य निधि	5,271.16	4,625.73		लघु बचत और भविष्य निधि	2,384.74	2,779.95	
आरक्षित निधियाँ	353.75	452.41		आरक्षित निधियाँ	140.07	111.29	
जमा और अग्रिम	3,798.22	3,823.50		जमा और अग्रिम	3,685.83	2,874.23	
उच्चत और विविध	565.92	3,589.86		उच्चत और विविध	218.99	3,682.92	
विप्रेषण	17,461.49	9,319.56		विप्रेषण	17,664.20	10,009.98	
				X. अंत में नकद शेष	526.90	428.62	
				कोषागारों में नकद और स्थानीय प्रेषण		6.77	
				बैंकों के पास जमा धन	83.93	21.98	
				स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	5.33	5.09	
				नकद शेष निवेश	426.78	383.92	
				आरक्षित निधि निवेश	10.86	10.86	
कुल भाग-ख	43,500.38	45,272.15		कुल भाग-ख	43,500.38	45,272.15	

स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त खातों को वित्त खातों में टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी खाते मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण सरकारी खाते में घाटा वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, देय या प्राप्य मदें या स्टॉक आंकड़ों पर मूल्यहास या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं आंकी जाती हैं।
3. सस्पेंस और विविध शेष राशि में जारी किए गए चेक शामिल हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और राज्य की ओर से किए गए भुगतान और अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट - 1.5 (सतत)

31 मार्च 2017 तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2017 तक	
देयताएं				
	30,451.64	आंतरिक ऋण		34,266.75
20,146.04		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	22,045.60	
1,673.78		एलआईसी से ऋण	1,547.52	
8,631.82		अन्य संस्थानों से ऋण	10,673.63	
	1,579.07	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम		1,489.20
37.79		1984-1985 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-योजना ऋण	96.29	
1,435.75		राज्य योजना स्कीम्स के लिए ऋण	1,345.87	
--		केन्द्रीय योजना स्कीम्स के लिए ऋण	-	
--		केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम्स के लिए ऋण	-	
9.24		राजस्व धन अग्रिम	9.25	
	1.00	आकस्मिकता निधि		1.00
	17,516.85	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।		19,362.63
	1,544.27	रिजर्व फंड		1,885.38
	4,264.97	जमा		5,214.24
	4,408.79	प्रेषण शेष		3,718.37
	13,949.55	सरकारी खाते में अधिशेष		16,115.84
		2014-15 की समाप्ति पर राजस्व अधिशेष		-
13,949.55		राजस्व अधिशेष 2015-16		-
	73,716.14	कुल		82,053.41

31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2017 तक	
परिसंपत्तियां				
	71,426.74	स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		79,712.27
547.84		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	803.74	
70,878.91		अन्य पूंजी परिव्यय	78,908.53	
	1,583.64	ऋण और अग्रिम		1,640.52
716.53		उद्योग और खनिज	746.51	
536.12		परिवहन	566.12	
85.05		ऊर्जा	85.05	
42.77		कृषि और संबद्ध गतिविधियों	40.73	
186.04		अन्य विकास ऋण	183.70	
17.13		सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	18.41	
	12.70	अग्रिम		12.69
	166.11	उच्चंत और विविध शेष		259.16
	0.05	आकस्मिकता निधि (प्रतिपूर्ति रहित)		0.15
	--	अंत शेष लेखा शीर्ष से राशि को राईट ऑफ करना		-
	526.90	नकद		428.62
	--	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	6.77	
83.93		बैंक के पास जमा	21.98	
5.21		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
426.78		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		रिजर्व फंड निवेश	10.86	
		सरकारी खाते में घाटा		
	---	2014-15 की समाप्ति पर राजस्व घाटा		-
	73,716.14	कुल		82,053.41

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2.3)

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण। राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक करोड़ से अधिक की लागत वाली केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
एनआरएचएम के तहत अस्पताल और औषधालय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	240.30
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	अन्य सहित राज्य स्वास्थ्य विभाग	-	-	-	35,488.95	13,922.91
विशेष श्रेणी राज्य डीआईपीपी (पूर्वोत्तर के अलावा अन्य) के लिए पैकेज	जम्मू और कश्मीर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	3,569.47	4,116.86	3,320.63
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम डीपीएडी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, (आईडब्ल्यूएमपी)	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	481.37	4,271.81
डीआरडीए प्रशासन आरडी	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	1,161.49	-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सहायक आयुक्त (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	-	-	-	60,315.73	76,276.16
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी	-	-	-	52,323.93	26,632.50
ग्रामीण आवास आई ए वाई	सहायक आयुक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	-	-	-	5,642.49	5,009.74
सर्व शिक्षा अभियान	उजाला सोसायटी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	89,143.50	50,805.85

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	3,250.00	5,500.00	3,500.00	-	4,500.00
बौद्ध और तिब्बती अध्ययन	गल्डेन तार्गेस्लिन्ग सांस्कृतिक कल्याण सोसायटी, संस्कृति संरक्षण सोसायटी, कुकशो, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्र विकास थेखना चोसलिंग कल्याण सोसायटी और विभिन्न गैर सरकारी संगठन, और अन्य कल्याण सोसायटी	-	-	967.67	-	296.70
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, बटोट, रामबन आदि।	-	-	-	810.82	337.00
आईएचएमएस, एफसीआई आदि की सहायता	होटल प्रबंधन तथा खानपान संस्थान	27.91	366.00	871.00	-	300.00
गंतव्यों और सर्किटों के लिए उत्पाद अवसंरचना विकास	राज्य पर्यटन विभाग		-	-	-	221.80
केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	एसडब्ल्यूएसएम सदस्य, सचिव सह अधीक्षण अभियंता कुपवाड़ा/श्रीनगर/बारामुला/बड्गाम	-	-	-	3,957.20	3,511.01

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
अनुसंधान और विकास सहायता (एसईआरसी)	जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाबा विश्वविद्यालय आदि	270.00	219.18	-	-	314.75
प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थिति की प्रणाली/व्यापक हथकरघा विकास योजना का संरक्षण (सीएचडीएस)	जम्मू और कश्मीर झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण के निदेशक हथकरघा विकास जम्मू कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	2,989.53	-
राष्ट्रीय मध्य विद्यालय शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	उजाला सोसायटी, श्रीनगर/नूर सोसायटी	-	-	-	13,578.18	10,935.54
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	-	-	-	41,266.25	47,450.03
आफ ग्रिड डीआरपीएस	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी करगिल/लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास/ रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर/6वीं बटालियन आईटीबीपी	3,515.92	5,996.19	2,201.96	-	3,392.72
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	569.35	892.35	-	1,634.37

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
सभी और (दूरस्थ गांवों) के लिए ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरण ऊर्जा	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	143.32	-	-	-
व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर श्रीनगर	871.50	131.87	-	142.04	-
आजीविका स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरजोना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए)	-	-	-	2837.79	289.73
ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरण बिजली एमएनआरई	जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,448.88	2,929.77	3,864.21	-	2,919.65
पूर्वोत्तर और हिमालय के लिए बागवानी मिशन	केंद्रीय अस्थायी बागवानी संस्थान, श्रीनगर (आईसीएआर)	-	--	-	148.91	250.00
औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजनाओं आईआईयूएस डीआईपीपी	जम्मू कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम।	-	-	-	-	602.15
शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम सहित सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	विधवाओं, अनाथ विकलांगों और वृद्धों के पुनर्वास के लिए परिषद (मिलिटेंसी के शिकार)	300.00	304.97	288.11	-	300.00
बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और जम्मू कश्मीर, उद्यमिता विकास संस्थान	-	-	-	-	328.07

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खाद्य शिल्प संस्थान जम्मू, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	-	302.16	255.12	-	386.37
जम्मू विकास जैव प्रौद्योगिकी के मानव संसाधन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय,	एस.के. कृषि विज्ञान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर, एचआरडी एनीमल बायोटेक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय	613.85	-	122.89	-	100.99
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू तथा कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	-	-	-	487.40	125.69
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) जम्मू	-	-	-	1,749.92	1,187.23
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एसएएमपीडीए) सीएस	जेके सिडको, सुपर स्टार स्पाइस, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एग्रो इंडस्ट्रीज, बसंतर ब्रेवरीज, डेली नीड नीड मिलक प्रोसेसिंग एंड मिलक प्रोडक्ट्स, एफआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चैन।	-	1,815.75	-	-	112.50

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
कला और संस्कृति का संवर्धन और प्रसार	संगमग्रामतरु कला उत्पादन	-	-	-	-	101.89
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी सोसायटी सिविल सेक्ट. जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	443.00
एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना	जम्मू-कश्मीर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	-	-	1,191.00	-	397.00
कौशल विकास	जम्मू कश्मीर कौशल विकास पहल माँड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी	-	-	263.10	1130.63	627.00
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	जम्मू-कश्मीर एससीएसटी और बीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	120.00
गनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी, श्रीनगर	-	2,900.00	4,250.00	-	2,000.00
राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास निगम लिमिटेड	-	-	470.00	-	350.00

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी का समर्थन (गैर-सरकारी संगठनों की मर्जी से योजना, जेएसएस एसआरसी)	जन शिक्षा संस्थान/राज्य संसाधन केंद्र, जम्मू कश्मीर	-	114.25	-	-	133.56
विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता	एनआईटी श्रीनगर/जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	544.31	900.00
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/जम्मू-कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	-	-	-	-	110.18
पुलिस द्वारा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	पुलिस आवासीय निगम जम्मू कश्मीर	-	-	-	270.00	-
स्वर जनजात शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) राष्ट्रीय शहरी	राज्य शहरी विकास एजेंसी जम्मू कश्मीर	-	-	-	607.94	-
राष्ट्रीय बांस पर मिशन	बांस विकास एजेंसी जम्मू कश्मीर	-	-	-	108.25	-
पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	500.00	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान	विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	135.00	100.00	-
स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन के बुनियादी ढांचे का विकास	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	216.00	252.00	-	-
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान श्रीनगर	-	-	148.80	-	-
इलेक्ट्रॉनिक शासन	जम्मू तथा कश्मीर सरकारी एजेंसियां/ कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	344.92	-	-
अल्पसंख्यकों के लिए निः शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं एमएसी	मानव कल्याण संगठन	-	-	134.51	-	-
मेगा क्लस्टर टैक्सटाईल्स	जम्मू-कश्मीर राज्य स्केल औद्योगिक विकास निगम	-	128.90	1,010.00	-	-
जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल विकास सहित) डीआईटी	जम्मू और कश्मीर ई-शासन एजेंसियां	-	-	136.84	-	-
बुनियादी अनुसंधान के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	158.00	140.36	-	-
राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	132.12	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम सामान्य	जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	-	164.16	200.19	-	-
जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास विभाग	जेके विश्वविद्यालयों	-	-	1,159.13	-	-
बुनियादी ढांचे और विकास एफपीआई के लिए योजना	मीर एगो इंडस्ट्रीज/ कचरू इंडीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	480.33	-	-
स्कीम फॉर डिफरेंटली एबलड पर्सन्स	समग्र क्षेत्रीय केंद्र	733.89	691.02	249.47	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	349.81	116.59	-	-
भूकंप विज्ञान अनुसंधान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	224.98	-	-
राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालयों	-	-	112.84	-	-
एलायंस और आर एंड डी मिशन	भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएस्ट जम्मू/कश्मीर	436.76	4,28.80	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरजेक्टिव मेडिसिन्स, बाबा गुलाम शाह विश्वविद्यालय, रक्षा उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान	-	734.54	-	-	-
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय	108.74	114.14	-	-	-
मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज उधमपुर, समन्वयक स्टार कॉलेज कार्यक्रम, एफवीएसी और पशुपालन शुहामा, महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज, गांधी नगर, जम्मू	-	192.86	-	-	-
राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	-	150.00	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	4,675.75	194.46	-	-	-
पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, लेह/ कारगिल	162.00	1,099.25	-	-	-
अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	133.78	-	-	-
कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी स्तकना गौपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी, तुकला गौपा, कश्मीर म्यूजिक सोसायटी, नेशनल भण्ड थियेटर, संगम थियेटर गुप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज, लालोक कुनफान थुंडल तसोगसपा, कर्मा दुप्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	966.36	-	-	-
सीखो और कमाओ-कौशल पहल डी-वेलोपमेंट	एनआईआईटी, मानव कल्याण संगठन	109.76	893.02	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
पांच मेगा क्लस्टरों की स्थापना	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जम्मू-कश्मीर एसआईसीओपी)	-	310.00	-	-	-
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	-	139.04	-	-	-
एमेडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	847.33	-	-	-	-
चेनाब घाटी पावर को जम्मू-कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के तहत पाकुल दुल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	20,000.00	-	-	-	-
खादी, ग्राम और कोयर उद्योगों का विकास	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	523.49	-	-	-	-
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	1,040.07	-	-	-	-
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	506.70	-	-	-	-
बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	110.62	-	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	271.38	-	-	-	-
खेल के विकास के लिए खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य खेल परिषद/ एलएएचडीसी	786.87	-	-	-	-
कानूनी मेट्रोर्लॉजी और गुणवत्ता आश्वासन वजन और मापन	जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू/श्रीनगर	650.00	-	-	-	-
आरडी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और कार्यक्रमों के बदले जिला योजना प्रक्रिया के सुदृढीकरण	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बड्गाम	750.45	-	-	-	-
नई मंज़िल	कोम्टेक संस्थान प्रौद्योगिकी/राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और समाज कल्याण संगठन/ विकास और प्रशिक्षण के लिए सोसायटी	493.25	-	-	-	-
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	803.06	-	-	-	-
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत सीएस	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/तगंदर/राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर	195.60	-	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम सीएस	आश कानीशॉल पशमीना व रफल हथकरघा बुनकर औद्योगिक सहकारी संस्था लिमिटेड/निगम लिमिटेड, ब्राइट पशमीना रफफल एंड कोटन हैंडलूम वीवर्स इंडस्ट्रियल को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड/ जम्मू और कश्मीर राज्य हैंडलूम डेवेलपमेंट कोरपोरेशन/जम्मू और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कोरपोरेशन लिमिटेड आदि	181.25	-	-	-	-
राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/ कश्मीर संगठन अनुसंधान और विकास के लिए नींव।	531.31	-	-	-	-
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/काचरू एकीकृत कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/वाज़ान फूड्स, सुरक्षित और ताजा फूड्स/शफात तेल मिल्स और मसाले/ मीर एगो इंडस्ट्रीज आदि	1325.22	-	-	-	-
प्रसाद-राष्ट्रीय तीर्थ उत्थान और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर मिशन।	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	840.42	-	-	-	-

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				2012-13
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	
राज्य स्पाइन्ल इंजरी सेंटर की स्थापना	पीएमएनआरएफ/ बाढ़ राहत जम्मू और कश्मीर के प्रिंसिपल/सीएओ जीएमसी श्रीनगर/ सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू।	317.00	-	-	-	-
स्वदेश दर्शन-थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स का एकीकृत विकास।	जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम।	11,862.79	-	-	-	-
राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/जम्मू-कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/ एसकेआईएमएस/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	156.78	-	-	-	-
विकास के लिए पारंपरिक कला/क्राफ्ट्स में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/राष्ट्रीय तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान, बांदीपुरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।	167.00	-	-	-	-
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल-मांड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी।	1,053.88	-	-	-	-
अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	2,859.16	1,442.98	1,681.16	89.38	1,583.66
कुल योग		62,798.59	29,799.93	29,366.12	3,19,992.87	2,66,742.49

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.4.3)

14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत जारी सहायता-अनुदान की स्थिति

(₹ करोड में)

क्रम सं.	हस्तान्तरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	प्रक्षेपण (विभागवार)		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (2015-17)	प्रस्तुत किये गए यूसी	लंबित यूसी	निर्गम के लिए लंबित अनुदान
			2015-16	2016-17				
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग)	1,044.51	125.30	173.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सामान्य मूल अनुदान सामान्य निष्पादन अनुदान	261.13	---	51.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी)	3,117.36	373.96	517.81	367.72	367.72	शून्य	524.05
	सामान्य मूल अनुदान सामान्य निष्पादन अनुदान	346.37	---	67.92	शून्य	शून्य	शून्य	67.92
3	एसडीआरएफ केंद्रीय हिस्सा राज्य हिस्सा	1,268.00 141.00	229.00 25.00	241.00 27.00	470.20 38.50	18.66	51.54	शून्य 13.50
कुल		6,178.37	753.26	1,078.44	876.42	386.38	451.54	605.47

परिशिष्ट - 1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.13)

**जम्मू तथा कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन
(एफआरबीएम) अधिनियम, 2006**

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित दायित्व दिए गए हैं:

(क) राजस्व अधिशेष का रख-रखाव किया जाना था और अधिशेष के क्रमिक सुदृढीकरण हेतु उपाय शुरू किए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण-पूर्व अनियोजित राजस्व घाटा को 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिक 20 प्रतिशत तक धीरे-धीरे कम किया जाना था और इसके पश्चात 2006-07 से आरंभ करके जीएसडीपी के एक प्रतिशत तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ बनाए रखना था। राज्य का हस्तांतरण-पूर्व अनियोजित राजस्व घाटा 2005-06 में जीएसडीपी का 24.73 प्रतिशत था।

(ग) राजकोषीय घाटा को 2006-07 से शुरू करके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकाधिक तीन प्रतिशत तक धीरे-धीरे कम करना था। राज्य का राजकोषीय घाटा 2005-06 में जीएसडीपी का 9.96 प्रतिशत था।

(घ) 'कुल बकाया देयताओं' को 2006-07 से शुरू करके जीएसडीपी के पाँच प्रतिशत तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकाधिक 55 प्रतिशत तक धीरे-धीरे कम करना था। मूल वर्ष 2005-06 के लिए राज्य की 'कुल बकाया देयताएं', अधिनियम में यथा परिभाषित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं के कारण तुरंत उपलब्ध नहीं है। सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं 2005-06 में जीएसडीपी की 63.31 प्रतिशत थी। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जीएसडीपी के सापेक्ष बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 प्रतिशत था।

(ङ) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम भारित गारंटियों का पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत तक या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित किया जाना था।

अधिनियम में यह भी आदर्श रखा गया था कि सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना करनी चाहिए और इन समीक्षाओं को राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) में निर्धारित किये गये राजकोषीय संकेतकों पर निगरानी रखने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमईएफएस)/मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण (एफपीएसएस) के प्रारूपों को राज्य विधानमंडल के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और अनेक विवरण विधानमंडल को राजकोषीय सूचना को प्रकट करने हैं। अधिनियम/नियमावली के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 हेतु बजट से लागू की गई थी। एफआरबीएम अधिनियम में 12^{वें} और 13^{वें} वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/घाटे में कमी के लक्ष्य को पुन निर्धारित/छूट देने के लिए संशोधित किया गया है जैसे नीचे ब्यौरे दिए गए हैं:

- 17 दिसम्बर, 2008 को, हस्तांतरण-पूर्व गैर नियोजित राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बकाया कुल देनदारियों को कम करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया, जो मूल अधिनियम के अनुसार मार्च 2016 के बजाय मार्च 2009 तक क्रमशः अधिकतम 20 प्रतिशत, तीन प्रतिशत और 55 प्रतिशत था।
- 20 अप्रैल 2010 को अधिनियम में संशोधन से 2009-10 के लिए जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पूर्व में ही समाप्त हो चुका था, इसलिए पुनः निर्धारित लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं किया गया था।
- 9 अप्रैल 2011 को अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को 2010-11 से 2014-15 तक जीएसडीपी के 5.3 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत पर पुनः निर्धारित किया गया था। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था अतः पुनः निर्धारण लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं था।
- 25 अगस्त 2011 को एक अध्यादेश के माध्यम से एफआरबीएम अधिनियम के द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान बकाया ऋणों के वार्षिक लक्ष्य को 56.1 प्रतिशत, 55.1 प्रतिशत, 53.6 प्रतिशत, 51.6 प्रतिशत और 49.3 प्रतिशत की जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में पुनः निर्धारित किया गया था जैसा कि 13^{वें} वित्त आयोग की सिफारिश थी। (चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था अतः पुनः निर्धारण लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं था)

परिशिष्ट - 1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.13)

एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय कमी, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य का अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुनः वित्तपोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 प्रतिशत से 2014-15 में 60 प्रतिशत तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखों को छोड़कर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा लेकिन ऐसा केवल केंद्र सरकार से अनुदान के उच्च स्तर के कारण था। तथापि, राजस्व अधिशेष में ₹1,100 करोड़ (2012-13) से ₹70 करोड़ (2013-14) तक की तीव्र गिरावट देखी गई है और वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए रखा नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹390 करोड़ और ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, यद्यपि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,166 करोड़ का राजस्व अधिशेष है। राज्य का अपना घाटा लगातार अधिक बना हुआ है और तेजी से राजस्व जुटाने के बिना व्यय वृद्धि लगातार बढ़ रही है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय योजनाओं को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था क्योंकि उस वर्ष मूल राजकोषीय घाटा 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था। 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार प्रतिशत तब बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य को 2011-12 में जीएसडीपी के 4.7 प्रतिशत और 2012-13 में जीएसडीपी के 4.2 प्रतिशत और 2013-14 में 3.6 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को दर्शाया, लेकिन

राजकोषीय घाटा वास्तव में क्रमशः 5.6, 5.4 और 5.2 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8 और 5.4 प्रतिशत के साथ समाप्त हुआ जो तीन प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक रहा।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (ख) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और (ग) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम “हस्तांतरण-पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा” जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक कम किया जाना था के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित नहीं करते, वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड कानून का राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।
- एफआरबीएम अधिनियम “बजट से बाहर दिये गये मूल और/या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) और अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं के रूप में ‘कुल देयताओं’ को परिभाषित करता है।” यह व्यापक योग था जिसे जीएसडीपी के 55.1 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य था। तथापि, राज्य सरकार के लेखों का हिस्सा बनाने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयू के लेखों में काफी बकाया है और इसलिए उनकी देयताओं का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखों से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण देयताओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यतः राज्य लोक लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखों से बाहर धारित इन नकद शेष की निगरानी नहीं कर रहा है यद्यपि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार इन्हें भी शामिल किया

जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम मुख्य प्रावधानों का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में प्रकट की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन और पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत काउंटरपार्ट मैचिंग फंड की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।
- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं और पूर्वानुमानों पर 12वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डेटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को संगत रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/बीमा में कमी के लक्ष्य (एफआरबीएम अधिनियम के प्रतिशत के रूप में) तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन और बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) और गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी और पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।
- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय है कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।

- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी और अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियाँ का उपयोग से संबंधित स्थिरता के मूल्यांकन को भी शामिल किया गया था। (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं आंकलित से संबंधित राजकोषीय संकेतक और निरंतरता पीछे विभिन्न मान्यताएं भी इस विवरण में शामिल की गई थी। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि दर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के खाता-बही मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्यांकन और पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों के रिकार्ड एकत्र किये गये हैं और राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, व्यय में अधिक वृद्धि और स्थापना संबंधित व्यय प्रतिबद्धताओं और विद्युत क्षेत्र में संसाधन अंतर में अधिक कमी के संदर्भ में राज्य का अपना घाटा अधिक बने रहना, चिंता का विषय है।

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.6)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहां बचत कुल प्रावधान के
रुएक करोड़ से अधिक या 20 प्रतिशत से अधिक थी

(रुकरोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	310.14	70.30	23
2	02	गृह विभाग	4,591.33	230.95	05
3	04	सूचना विभाग	60.88	12.54	21
4	05	लद्दाख कार्य विभाग	589.24	24.34	04
5	06	विद्युत विकास विभाग	10,365.56	2,283.44	22
6	07	शिक्षा विभाग	6,485.64	1,352.98	21
7	08	वित्त विभाग	5,650.29	1,171.11	21
8	09	संसदीय कार्य विभाग	49.26	4.28	09
9	10	विधि विभाग	321.25	154.81	48
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	305.69	86.65	28
11	12	कृषि विभाग	1,009.95	75.63	07
12	13	पशुपालन विभाग	432.39	56.23	13
13	14	राजस्व विभाग	1,182.96	285.13	24
14	15	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	157.34	26.47	17
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,433.21	57.72	02
16	18	समाज कल्याण विभाग	1,315.42	199.03	15
17	20	पर्यटन विभाग	157.10	8.50	05
18	21	वन विभाग	717.54	127.63	18
19	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	550.59	69.95	13
20	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	199.77	51.94	26
21	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	105.01	54.18	52
22	26	मत्स्य पालन विभाग	66.62	1.73	03
23	27	उच्च शिक्षा विभाग	878.95	205.41	23
24	29	परिवहन विभाग	52.40	6.76	13
कुल			37,988.53	6,617.71	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशत
राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	16.02	1.98	12
26	08	वित्त विभाग	4,771.98	204.68	04
27	10	विधि विभाग	34.27	7.32	21
कुल			4,822.27	213.98	
पूँजीगत (दत्तमत)					
28	01	सामान्य प्रशासन विभाग	251.38	239.53	95
29	02	गृह विभाग	541.75	435.44	80
30	03	योजना और विकास विभाग	2,436.28	1,893.23	78
31	06	विद्युत विकास विभाग	2,877.07	2,177.61	76
32	07	शिक्षा विभाग	1,127.23	814.78	72
33	09	संसदीय कार्य विभाग	3.55	1.10	31
34	10	विधि विभाग	52.40	49.04	94
35	12	कृषि विभाग	949.94	634.82	67
36	13	पशुपालन विभाग	69.80	45.91	66
37	14	राजस्व विभाग	2,312.29	2,208.38	96
38	16	लोक निर्माण विभाग	1,856.99	420.42	23
39	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	603.40	168.56	28
40	18	समाज कल्याण विभाग	468.83	391.20	83
41	19	आवास और शहरी विकास विभाग	778.15	394.59	51
42	20	पर्यटन विभाग	372.85	194.82	52
43	21	वन विभाग	69.66	25.33	36
44	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.20	331.39	42
45	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	637.82	158.12	25
46	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	43.16	10.21	24
47	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	108.26	14.54	13
48	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	274.94	42.66	16
49	28	ग्रामीण विकास विभाग	1,915.38	798.19	42
कुल			18,536.33	11,449.87	

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.8)

रुएक करोड़ और उससे अधिक अभ्यर्षित नहीं की बचत का विवरण

(रुकरोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	संख्या और अनुदान/विनियोजन का नाम	बचत	अभ्यर्षित	बचत, जिनको अभ्यर्षित करना शेष है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	70.30	शून्य	70.30
2	02	गृह विभाग	230.95	शून्य	230.95
3	04	सूचना विभाग	12.54	शून्य	12.54
4	05	लद्दाख कार्य विभाग	24.34	शून्य	24.34
5	06	विद्युत विकास विभाग	2,283.44	शून्य	2,283.44
6	07	शिक्षा विभाग	1,352.98	शून्य	1,352.98
7	08	वित्त विभाग	1,171.11	शून्य	1,171.11
8	09	संसदीय कार्य विभाग	4.28	शून्य	4.28
9	10	विधि विभाग	154.81	शून्य	154.81
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	86.65	शून्य	86.65
11	12	कृषि विभाग	75.63	शून्य	75.63
12	13	पशुपालन विभाग	56.23	शून्य	56.23
13	14	राजस्व विभाग	285.13	शून्य	285.13
14	15	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	26.47	शून्य	26.47
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	57.72	शून्य	57.72
16	18	समाज कल्याण विभाग	199.03	शून्य	199.03
17	20	पर्यटन विभाग	8.50	शून्य	8.50
18	21	वन विभाग	127.63	शून्य	127.63
19	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	69.95	शून्य	69.95
20	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	51.94	शून्य	51.94
21	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	54.18	शून्य	54.18
22	26	मत्स्य पालन विभाग	1.73	शून्य	1.73
23	27	उच्चतर शिक्षा विभाग	205.41	शून्य	205.41
24	29	परिवहन विभाग	6.76	शून्य	6.76
कुल-I			6,617.71	शून्य	6,617.71

क्र.सं.	अनुदान संख्या	संख्या और अनुदान/विनियोजन का नाम	बचत	अभ्यर्पित	बचत, जिनको अभ्यर्पित करना शेष है
II- राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	1.98	शून्य	1.98
26	08	वित्त विभाग	204.68	शून्य	204.68
27	10	विधि विभाग	7.32	शून्य	7.32
कुल-II			213.98	शून्य	213.98
III - पूंजी (दत्तमत)					
28	01	सामान्य प्रशासन विभाग	239.53	शून्य	239.53
29	02	गृह विभाग	435.44	शून्य	435.44
30	03	योजना और विकास विभाग	1,893.23	शून्य	1,893.23
31	06	विद्युत विकास विभाग	2,177.61	शून्य	2,177.61
32	07	शिक्षा विभाग	814.78	शून्य	814.78
33	09	संसदीय कार्य विभाग	1.10	शून्य	1.10
34	10	विधि विभाग	49.04	शून्य	49.04
35	12	कृषि विभाग	634.82	शून्य	634.82
36	13	पशुपालन विभाग	45.91	शून्य	45.91
37	14	राजस्व विभाग	2,208.38	शून्य	2,208.38
38	16	लोक निर्माण विभाग	420.42	शून्य	420.42
39	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	168.56	शून्य	168.56
40	18	समाज कल्याण विभाग	391.20	शून्य	391.20
41	19	आवास और शहरी विकास विभाग	394.59	शून्य	394.59
42	20	पर्यटन विभाग	194.82	शून्य	194.82
43	21	वन विभाग	25.33	शून्य	25.33
44	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	331.39	शून्य	331.39
45	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	158.12	शून्य	158.12
46	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	10.21	शून्य	10.21
47	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	14.54	शून्य	14.54
48	27	उच्च शिक्षा विभाग	42.66	शून्य	42.66
49	28	ग्रामीण विकास विभाग	798.19	शून्य	798.19
कुल-III			11,449.87	शून्य	11,449.87
कुल योग -I+II+III			18,281.56	शून्य	18,281.56

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान का एक करोड़ या 20 प्रतिशत से अधिक व्यय था

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अतिरिक्त (प्रतिशत)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना और विकास विभाग	72.71	248.73	176.02 (242)
2	16	लोक निर्माण विभाग	690.57	1,297.89	607.32 (88)
3	19	आवास और शहरी विकास विभाग	672.67	690.32	17.65 (03)
4	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,071.88	1,099.66	27.78 (03)
5	28	ग्रामीण विकास विभाग	439.84	534.37	94.53 (21)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			2,947.67	3,870.97	923.30
II-पूँजीगत (दत्तमत)					
6	04	सूचना विभाग	1.50	2.97	1.47 (98)
7	05	लक्षाख कार्य विभाग	197.54	198.85	1.31 (01)
8	08	वित्त विभाग	36.00	261.89	225.89 (627)
9	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	152.90	233.72	80.82 (53)
10	26	मत्स्य पालन विभाग	10.41	13.34	2.93 (28)
11	29	परिवहन विभाग	40.86	42.50	1.64 (04)
कुल (II-पूँजीगत दत्तमत)			439.21	753.27	314.06
III-पूँजीगत प्रभारित					
12	08	वित्त विभाग	15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल (III- पूँजीगत प्रभारित)			15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल योग (I+II+III)			18,751.25	21,647.53	2,896.28

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

2016-17 के दौरान 49 प्रमुख लेखा शीर्षों में बजट प्रावधानों के बिना किए गए व्यय को दर्शाता विवरण

(रुलाख में)

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
1	01-सामान्य प्रशासन		12.24
	2013-मंत्री परिषद	2.66	
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.58	
2	02-गृह		4,436.80
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	456.51	
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,980.29	
3	03-योजना और विकास		29,269.53
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	19,615.79	
	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	229.11	
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 5475-पूंजीगत परिव्यय	9,424.63	
4	06-विद्युत विकास विभाग		99.89
	2801-विद्युत	99.89	
5	07-शिक्षा		2,681.16
	2202-सामान्य शिक्षा	2,681.16	
6	08-वित्त		25,133.03
	2035-संपत्ति और पूंजी पर अन्य करों का संग्रह	2.49	
	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	59.54	
	2054-कोषागार तथा लेखा अनुभाग	46.57	
	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.71	
	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	18.72	
	5465-जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में निवेश	25,000.00	
7	10-विधि विभाग		2,045.47
	2014-न्याय प्रशासन	2,045.47	
8	11-उद्योग और वाणिज्य		12,286.46
	4851-ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,274.23	
	4852-लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9,729.61	
	4853-गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर पूंजी परिव्यय	282.62	
9	12-कृषि विभाग		13,293.69
	2401-फसल पैदावार	1,082.42	
	2402-मृदा और जल संरक्षण	39.22	

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
	2425- सह-संचालन	661.98	
	4401-फसल उत्पादन पर पूंजीगत परिव्यय	11,404.73	
	4402-मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	105.34	
10	13-पशुपालन विभाग		164.63
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	62.33	
	4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	102.30	
11	14- राजस्व विभाग		2,540.72
	2055-पुलिस	2,540.72	
12	15-उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण विभाग		989.60
	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	31.78	
	4408- खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	957.82	
13	16-लोक निर्माण विभाग		348.84
	4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	74.31	
	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	274.53	
14	17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग		44,894.90
	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	36,676.79	
	2211-परिवार कल्याण	4,711.62	
	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,506.49	
15	18-समाज कल्याण विभाग		29,276.42
	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95.26	
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26,378.64	
	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	89.51	
	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	969.77	
	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	1,743.24	
16	19-आवास और शहरी विकास विभाग		21,432.08
	2217-शहरी विकास	6,690.54	
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	14,741.54	
17	20-पर्यटन विभाग		147.76
	3452-पर्यटन	116.33	
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	31.43	
18	21-वन विभाग		290.38
	2402- मृदा और जल संरक्षण	208.48	
	2406-वानिकी और वन्य जीवन	81.90	

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
19	23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		3.56
	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	3.56	
20	25-श्रम, स्टेशनरी और मुद्रण विभाग		58.08
	2230-श्रम रोजगार	58.08	
21	27-उच्चतर शिक्षा विभाग		358.29
	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	358.29	
22	28-ग्रामीण विकास विभाग		27,667.74
	2215-जल निर्माण और स्वच्छता	2,990.62	
	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,285.82	
	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	187.73	
	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	23,203.57	
23	29-परिवहन विभाग		42.91
	2041 वाहनों पर कर	38.58	
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	4.33	
कुल योग			2,17,474.18

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.3)

नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2015-16 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अतिरिक्त	लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	
2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अतिरिक्त	लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
कुल			1,04,767.43	

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.9)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	07-शिक्षा विभाग	6,419.37	66.27	5,132.66	1,352.98
2	10- विधि विभाग	319.57	1.68	166.44	154.81
3	20-पर्यटन विभाग	155.39	1.71	148.60	8.50
4	24-हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल विभाग	187.34	12.43	147.83	51.94
5	26-मत्स्य विभाग	66.02	0.60	64.89	1.73
कुल-I		7,147.69	82.69	5,660.42	1,569.96
II-राजस्व (प्रभारित)					
6	08-वित्त विभाग	4,725.37	46.61	4,567.30	204.68
7	09-संसदीय कार्य विभाग	1.08	0.33	1.06	0.35
कुल-II		4,726.45	46.94	4,568.36	205.03
II-पूँजीगत (दत्तमत)					
8	10-विधि विभाग	51.55	0.85	3.36	49.04
9	14-राजस्व विभाग	906.62	1,405.67	103.91	2,208.38
10	18-समाज कल्याण विभाग	458.46	10.37	77.63	391.20
11	20-पर्यटन विभाग	342.08	30.77	178.03	194.82
कुल-II		1,758.71	1,447.66	362.93	2,843.44
कुल योग		13,632.85	1,577.29	10,591.71	4,618.43

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.9)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां अनुपूरक उपबंध एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त था

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	अतिरिक्त
I-राजस्व (दत्तमत)							
1	16	लोक निर्माण विभाग	682.13	8.44	690.57	1,297.89	607.32
2	19	आवास और शहरी विकास विभाग	620.82	1.85	672.67	90.32	17.65
कुल-I			1,302.95	60.29	1,363.24	1,988.21	624.97
II-पूंजीगत (दत्तमत)							
3	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	148.78	4.12	152.90	233.72	80.82
4	26	मत्स्य पालन विभाग	9.71	0.70	10.41	13.34	2.93
5	29	परिवहन विभाग	40.62	0.24	40.86	42.50	1.64
कुल-II			199.11	5.06	204.17	289.56	85.39
कुल योग			1,502.06	65.35	1,567.41	2,277.77	710.36

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.5)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 में बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4215/01/102/0011/1171	शून्य	3.55
	कुल		3.55

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जिसमें अनुदान संख्या 28 में बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2215/02/105/0031/0230	शून्य	2,990.62
2	2501/01/800/0031/1956	शून्य	229.52
3	2501/01/800/0099/0004	शून्य	652.25
4	2501/01/800/0099/1354	शून्य	37.49
5	2501/01/800/0099/1956	शून्य	366.56
6	2515/001/0099/0051	शून्य	107.80
7	2515/001/0099/0487	शून्य	76.04
8	2515/102/0031/0230	शून्य	3.89
9	2515/102/0099/0055	शून्य	0.09
10	2515/102/0099/0070	शून्य	0.01
11	4515/101/0011/0051	शून्य	3,865.42
12	4515/102/0031/0003	शून्य	531.86
13	4515/102/0031/0004	शून्य	9,688.35
14	4515/800/0011/2050	शून्य	750.00
15	4515/800/0031/1671	शून्य	6,830.98
16	4515/800/0031/2275	शून्य	1.97
17	4515/800/0031/2650	शून्य	1,535.00
	कुल	शून्य	27,667.85

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.4)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 23 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(रुलाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2055/117/0099/0957	80.00	0.51	79.49
2	2215/01/001/0099/1002	57,316.36	57,248.06	68.30
3	4215/01/102/0031/1001	22,500.00	4,942.36	17,557.64
4	4215/01/102/0031/1002	22,500.00	9,596.26	12,903.74
कुल		1,02,396.36	71,787.19	30,609.17

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 28 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(रुलाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2236/80/800/0099/1839	724.14	495.10	229.04
2	2501/01/001/0099/0003	1,000.00	998.44	1.56
3	2515/001/0099/0029	125.74	8.64	117.10
4	2515/001/0099/0055	7,477.71	2,484.70	4,993.01
5	2515/001/0099/0105	6,408.19	5,315.12	1,093.07
6	2515/001/0099/2357	16.00	5.48	10.52
7	2515/001/0099/0107	19.97	13.69	6.28
8	2515/102/0099/0109	299.14	232.84	66.30
9	2515/102/0099/0111	1,003.50	278.16	725.34
10	2515/102/0099/0118	264.74	86.06	178.67
11	2515/102/0099/0376	6,348.26	4,611.81	1,736.45
12	2515/102/0099/0574	24.36	1.17	23.18
13	2515/800/0099/0097	2,460.72	1,648.75	811.97
14	2515/800/0099/0099	2,335.24	848.44	1,486.80
15	2515/800/0099/0487	762.52	170.44	592.08
16	2515/800/0099/0548	3,326.03	1,014.16	2,311.87
17	4515/102/0011/0230	1,000.00	39.31	960.69
18	4515/102/0031/0341	500.00	12.21	487.79

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 28 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(रूलाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
19	4515/102/0031/0064	4,000.00	269.27	3,730.73
20	4515/103/0031/2377	1,500.00	0.60	1,499.40
21	4515/103/0011/2143	8,059.00	5,017.58	3,041.42
22	4515/800/0031/2143	81,496.99	77,274.35	4,222.64
23	4515/800/0031/2376	5,067.46	3,711.57	1,355.89
कुल		1,34,219.71	1,04,537.89	29,681.82

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.3)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रहा

(रुलाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचत
1	2055/117/0099/1002	739.00	795.71	56.71
2	2215/01/001/0099/1001	48,923.30	51,922.20	2,998.90
3	4215/01/102/0011/1001	9,697.62	20,413.79	10,716.17
4	4215/01/102/0011/1002	9,084.27	13,014.07	3,929.80
कुल		68,444.19	86,145.77	17,701.58

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 28 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रहा

(रुलाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचत
1	2501/01/800/0099/0230	238.54	337.51	98.97
2	2515/101/0099/1519	35.00	18,074.44	18,039.44
3	2515/102/0099/0051	9,813.99	12,348.02	2,534.03
4	4515/102/0011/0704	835.00	1,365.64	530.64
कुल		10,922.53	32,125.61	21,203.08
कुल योग (23 तथा 28)		79,366.72	1,18,271.38	38,904.66

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.10)

एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त रहे प्रावधान दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	1.36
		4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.00
2	02	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	11.70
3	03	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	6.29
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,261.00
4	07	2202	सामान्य शिक्षा	30.08
		4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	825.57
5	08	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.64
6	10	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	36.80
7	11	2055	पुलिस	10.00
		4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	14.12
		4852	लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2.75
		4853	अलौह-खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.00
8	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	355.60
		4705	कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	43.43
		4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.04
9	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	35.62
10	14	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	1.50
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.00
11	16	3054	सड़कें और पुल	1.73
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	131.87
		5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	950.00

12	17	4210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	48.95
13	18	2055	पुलिस	7.72
		4225	एस.सी., एस.टी तथा ओ.बी.सी. कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.45
		4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	114.82
14	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	239.21
15	20	3452	पर्यटन	1.80
		4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	10.14
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	56.50
16	21	2406	वानिकी तथा वन्यजीव	1.06
		4406	वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	29.50
17	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	69.96
		4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	275.91
		4711	बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	360.00
18	23	2215	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1.30
19	27	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	146.92
		4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.27
20	28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	13.00
		4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	748.90
कुल				5,905.51

परिशिष्ट - 3.1
(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.1)

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के मुख्य शीर्ष-वार बकाया विस्तृत आकस्मिक
(डीसी) बिल दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/यूटी के प्रशासनिक	0.11	0.00	0.11
2	2013	मंत्रिपरिषद	0.22	0.00	0.22
3	2014	न्याय प्रशासन	0.00	0.02	0.02
4	2015	चुनाव	2.01	2.87	4.88
5	2030	टिकटें और पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	0.11	0.12
7	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.08	0.00	0.08
8	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
9	2055	पुलिस	0.00	90.22	90.22
10	2056	जेल	0.42	0.00	0.42
11	2059	लोक निर्माण	0.00	0.27	0.27
12	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.86	1.47	2.33
13	2202	सामान्य शिक्षा	62.61	0.46	63.07
14	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.03	0.28
15	2204	खेल और युवा सेवाएं	1.66	0.00	1.66
16	2205	कला और संस्कृति	2.63	0.00	2.63
17	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.15	0.48	5.63
18	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
19	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
20	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ों का कल्याण	0.25	0.00	0.25

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
21	2230	श्रम और रोजगार	0.60	0.12	0.72
22	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.24	22.54	24.78
23	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.28	210.60	212.88
24	2403	पशुपालन	0.03	0.32	0.35
25	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.02	0.00	0.02
26	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.35	22.24	23.59
27	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10.52	0.00	10.52
28	2801	विद्युत	0.00	0.20	0.20
29	2851	गांव और लघु उद्योग	3.39	0.00	3.39
30	3451	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	0.03	0.04	0.07
31	3452	पर्यटन	0.22	0.91	1.13
32	3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.25	0.00	0.25
33	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	1.12	1.12
34	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.00	0.23
35	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	6.30	14.40
36	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
37	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	8.48	0.00	8.48
38	4202	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	197.01	23.84	220.85
39	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.80	149.32	150.12

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
40	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
41	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
42	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.57	4.57
43	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.00	0.50
44	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2.42	17.16	19.58
45	4401	फसल हसबैंडरी पर पूंजीगत परिव्यय	7.51	0.34	7.85
46	4402	मिट्टी और पानी पर पूंजीगत परिव्यय संरक्षण	0.07	0.00	0.07
47	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.60	1.35
48	4408	खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	1.00	49.08
49	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	8.25	0.00	8.25
50	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	10.10	0.00	10.10
51	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	96.49	91.41	187.90
52	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	26.84	1.07	27.91

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
53	4852	लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	0.00	0.12
54	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	6.20	0.00	6.20
55	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	0.00	0.12
56	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	36.91	6.76	43.67
57	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14.44	2.94	17.38
कुल			586.16	678.39	1,264.55

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.3)

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का बहुप्रतीक्षित दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 to 2016-17	29
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 to 2016-17	16
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 to 2016-17	17
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 to 2016-17	15
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 to 2016-17	10
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 to 2016-17	15
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 to 2016-17	09
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 to 2016-17	09
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	1999-2000 to 2013-14, 2015-16 & 2016-17	17
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 to 2016-17	18
11	जम्मू कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 to 2016-17	14
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 to 2016-17	16
13	झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 to 2016-17	12
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2002-03 to 2016-17	15
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 to 2016-17	09
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 to 2016-17	09
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 to 2016-17	09
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 to 2016-17	14
19	कला संस्कृति और भाषाओं की अकादमी	2003-04 to 2016-17	14
20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 to 2016-17	45
21	जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 to 2016-17	22
22	जम्मू-कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 to 2016-17	14
23	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी, (जेएकेईडीए), श्रीनगर।	2003-04 to 2016-17	14

24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 to 2016-17	10
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 to 2016-17	10
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 to 2016-17	11
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 to 2016-17	09
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 to 2016-17	09
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 to 2016-17	09
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपुरा	2008-09 to 2016-17	09
31	जम्मू नगर पालिका	2002-03 to 2016-17	15
32	जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पम्पोर	1996-97 to 2002-03, 2015-16 & 2016-17	09
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, दूदपथरी	2005-06 to 2016-17	12
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकरनाग	2004-05 to 2016-17	13
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 to 2016-17	12
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 to 2016-17	15
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 to 2016-17	14
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, युसमर्ग	2005-06 to 2016-17	12
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरिनाग	2006-07 to 2016-17	11
40	वुलर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण, श्रीनगर	2012-13 to 2016-17	05
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 to 2016-17	10
42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसर, सुरीसर	2006-07 to 2016-17	11
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 to 2016-17	12
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पंछ	2005-06 to 2016-17	12
45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 to 2016-17	12
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किश्तवाड़	2005-06 to 2016-17	12
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 to 2016-17	18
48	जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	2002-03 to 2016-17	15
49	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स	2016-17	1
कुल			650

नोट: 15 कार्यालयों के संबंध में प्रतीक्षित खातों की संख्या के बारे में जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड	2015-16	00	48.49	2,240.00	2,288.49	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू-कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2015-16	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	1997-98	18	10.23	3.73	13.96	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2012-13	03	9.09	45.55	54.64	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू-कश्मीर एगो इंडस्ट्रीज डेव. निगम लिमिटेड	2003-04	12	3.54	11.48	15.02	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2000-01	15	9.20	43.21	52.41	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव. कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2002-03	13	3.12	8.99	12.11	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक डेव. निगम लिमिटेड	2010-11	05	17.65	31.18	48.83	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड.	2003-04	12	1.97	0.61	2.58	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
10.	जम्मू-कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2006-07	09	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
11.	जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज डेव. कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2005-06	10	16.27	384.92	401.19	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (एसएंडई) निगम लिमिटेड	1998-99	17	5.05	22.80	27.85	कंपनी द्वारा 2013-14 तक वार्षिक लेखों का मसौदा तैयार किया गया है लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ में रिकॉर्ड बह गए।
13.	जम्मू-कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	16	2.99	21.28	24.27	कंपनी ने 2014-15 तक के खाते तैयार किए हैं; लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण प्रतिक्षित है
14.	जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	08	34.50	48.94	83.44	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1996-97	19	8.00	68.17	76.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	04	5.00	1,493.55	1,498.55	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू-कश्मीर चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2015-16	00	200.10	0.00	200.10	प्रस्तुत नहीं किए गए

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
18.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	03	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	05	23.57	0.00	23.57	कंपनी 2011-12 और 2012-13 के लिए अपने खातों की तैयारी कर रही है
20.	जम्मू कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	05	2.56	0.00	2.56	कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए खाते
21.	जम्मू-कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	00	98.19	0.81	99.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
22.	जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2011-12	04	154.60	896.48	1,051.08	प्रस्तुत नहीं किए गए
23.	जम्मू कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	19	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			197	692.08	5,325.96	6,018.04	

परिशिष्ट - 4

शब्दावली

क्र.सं.	शर्तें	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए एसएसए और राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी आदि।
2.	जीएसडीपी	जीएसडीपी को राज्य की कुल आय या श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन के अन्य सभी कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3	अधिक्य अनुपात	अधिक्य अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोच या प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 0.6 पर राजस्व उछाल का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है, यदि जीएसडीपी एक प्रतिशत बढ़ जाती है।
4	आंतरिक ऋण	राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किए गए मुख्य रूप से बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियों को शामिल करना।
5.	कोर सार्वजनिक और योग्यता माल	मूल सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं, जिनको सभी नागरिक एक समान रूप में उपभोग करते हैं, इस अर्थ में कि प्रत्येक द्वारा ऐसी वस्तु का उपभोग करना, किसी दूसरे के द्वारा उसी वस्तु का उपभोग करना कमी का कारण न बने जैसे कानून व व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों

		<p>की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रदूषण रहित हवा तथा पर्यावरणीय वस्तुएँ और सड़क जैसी आधारिक अवसंरचना आदि। मेरिट गुड्स आधारित वे वस्तुएँ होती हैं जो लोक क्षेत्रों में निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं क्योंकि योग्यता या सरकार को भुगतान करने की इच्छा की बजाय उन वस्तुओं की, जरूरत की कुछ अवधारणाओं के आधार पर, प्रत्येक को या पूरे समाज को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में गरीबों को पोषित करने हेतु निशुल्क प्रावधान या रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाना, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा रुग्णता को कम करना, सभी को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना, तथा पेयजल तथा साफ-सफाई आदि को शामिल किया जाता है।</p>
6	विकास व्यय	<p>व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण, विकास और गैर-विकास व्यय में अलग-अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के तहत श्रेणीबद्ध है। मोटे तौर पर, सामाजिक व आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय से बनी होती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में माना जाता है।</p>
7.	ऋण स्थिरता	<p>ऋण स्थिरता समय की अवधि में एक वर्तमान ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह भी अपने ऋण सेवा करने की क्षमता के बारे में चिंता का प्रतीक. इसलिए, ऋण की स्थिरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की</p>

		पर्याप्तता और ऐसे उधारों से रिटर्न के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण की सेवा करने की क्षमता में वृद्धि से मेल खाती है।
8	गैर-ऋण की पर्याप्तता प्राप्तियाँ (संसाधन गैप)	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
9	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के लिए ऋण मोचन (मूल + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और यह इंगित करता है कि ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक किया जाता है जो उधार प्राप्त निधियों की शुद्ध उपलब्धता को दर्शाता है।
10	गैर ऋण प्राप्तियाँ	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
11	शुद्ध ऋण उपलब्ध	सार्वजनिक ऋण चुकोती पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in